राजस्थान विधान सभा

५२वीं बैठक, शुक्रवार, दिनांक–१८ मई, सन् १९५६ ई०

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में प्रातः ८.८ बजे प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या १०१२

प्रथम पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत बनी हुई सड़कें एवं उन पर व्यय

श्री हंसराज आर्य—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(अ) प्रथम पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत किस किस जिले में कितने कितने मील लम्बी सड़क बनी और इन पांच सालों में जिलेवार कितने कितने रुपये खर्च हुए?

(ब) सड़कों का यह भी ब्यौरा दिया जावे कि कितने मील अब तक वर्क हुआ और कितने मील कंकरीट की सड़क बनी और कितने मील डामर रोड बनीं ? यह जिलेवार बताया जावे।

(स) इस प्रथम पंच वर्षीय योजना में सब से ज्यादा रुपया किस डिविजन में खर्च हुआ और सब से ज्यादा सडकों की लम्बाई किस डिविजन की है ?

(द) सब से कम सडकें कौन से जिले में बनीं और उसका क्या कारण है ? कृपया इनकी एक मुकम्मिल सूची देने का कष्ट करें।

श्री रामचन्द्र चौधरी – (अ) सूची संलग्न है। विस्तृत सूचना एकत्रित की जा रही है।

(ब) सूची संलग्न है।

(स) प्रथम पंच वर्षीय योजना में सब से ज्यादा रुपया अलवर डिवीजन में खर्च हुआ और सब से ज्यादा लम्बाई सड़कों की जोधपुर डिवीजन की है।

(द) सब से कम सड़कें बीकानेर डिविजन में बनी। सब कार्य योजना अनुसार हुआ है। सूची प्रेषित है।

श्री हंसराज आर्य – सूची नहीं मिली है। सूची दिलाई जावे।

श्री रामचन्द्र चौधरी – (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री):

नाम जिला	प्रथम पंचवर्षीय योजना में बनाई गई सड़कों का अनुमानतः माइलेज				कुल माइलेज	खर्चा
	पेन्टेड:	मैटल्ड;	ग्रेवल:	फे. वे.		
जयपुर	३३	१४१		५	१७९	४६ लाख
स० माधोपुर	६	८८	८६	३८	१४३	२४ लाख
टोंक	१४	२७			४१	१० लाख
झुंझुनूं	१०	२५			३५	७ लाख
सीकर		२५			२५	२० लाख
अलवर		१८३		२०	२०३	४९ लाख
भरतपुर	३०	८९		१७	१२१	३७ लाख
कोटा	३६	८०	२७	१	१४४	३० लाख

श्री अध्यक्ष—लिस्ट दे दीजीयेगा।

(सम्पूर्ण सूची के लिये कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री चन्दनमल वैद – सप्लीमेन्टरी फिर कैसे करेंगे, साहब ?

श्री अध्यक्ष – सप्लीमेन्टरी तो फिर ऐसे भी पढ़ा जावेगा, तब भी नहीं किये जा सकेंगे। इतना क्या याद रह सकेगा ?

श्री हंसराज – सबसे ज्यादा खर्चा अलवर में लगा, इसका क्या कारण ?

श्री रामचन्द्र चौधरी – जोधपुर में ज्यादा सडक बनी, वहां खर्चा कम पड़ा, तो कहीं खर्चा कम पड़ता है, काम ज्यादा हो जाता है, कहीं खर्चा ज्यादा पड़ जाता है काम कम होता है।

श्री हंसराज—बीकानेर में सबसे कम बनाने का क्या कारण ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—वहां पर मैटीरियल आसानी से नहीं मिलता और फिर शायद आप लोगों ने ज्यादा कोशिश नहीं की होगी।

श्री चन्दनमल वैद—इसमें जयपुर जिले में जयपुर नगर की सडकें भी शामिल हैं ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—जी नहीं, ये अलग हैं।

श्री चन्दनमल वैद—उनके लिये कोई अलहदा हैं क्या ?

श्री रामचन्द्र—यह अलग से पूछियेगा तो बता दूंगा।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १०१३

(प्रश्न कर्त्ता अनुपस्थित)

श्री अध्यक्ष – श्री वीरेन्द्रसिंह, ।

प्रश्न संख्या १०१४

सवाई माधोपुर सब डिविजन में प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बनी हुई सड़कें

श्री वीरेन्द्रसिंह—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) सवाई माधोपुर सब डिविजन में प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कौन कौन सी सड़कों की मन्जूरी हुई थी ?

(ख) उक्त सड़कों पर अब तक कितना कार्य हुआ है ?

(ग) बौंली-जस्टाना रोड़ का कार्य कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—(क) मानचित्र संलग्न है। (मानचित्र उपलब्ध नहीं)

(ख), (ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पूर्ण हो जायगा।

श्री वीरेन्द्रसिंह—सवाई माधोपुर सब डिविजन में प्रथम पंचवर्षीय योजना में कौन कौनसी सड़कों की मन्जूरी हुई थी ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—निम्न सड़कें मन्जूर हुई:

1. Metalled road from Sawai-Madhopur to Tonk upto Aligarh Uniara.

2. Metalled road from Bonli to Jarthana.

3. Paving Bazar at Sawai-Madhopur.

4. Fair Weather road from Surwal village to Bhagwatgarh town.

5. Metalled road from Sawai-Madhopur upto Pali.

6. Metalled road from Sawai-Modhopur to Ranthambhore Fort.

7. Paved causeway on Khandar Nullah in Mile 10 on Pali Khardar Road.

8. C. D. Works over Malarna Imgen to Malarna Chore.

9. C. D. works on road Surwal village to Bhagwatgarh town.

10. Improving grish bridge at Bhopal nullah on Pali Khandar Road.

ये सड़कें प्रथम पंचवर्षीय योजना में बनीं:

(१) पेविंग बाजार एट सवाई माधोपुर

(२) फेयर वेदर रोड सूरवाल विलेज से भगवतगढ़ टाउन तक।

श्री हंसराज आर्य—क्या यह सही है कि पी. डब्ल्यू. डी. के मिनिस्टर होते हैं जहां के वहां सड़कें ज्यादा बन जाती हैं?

एक माननीय सदस्य—तो क्या बीकानेर में ज्यादा बन रही हैं?

श्री वीरेन्द्र सिंह—बौंली जरठाना का काम कब तक पूरा हो जावेगा?

श्री रामचन्द्र चौधरी—द्वितीय पंचवर्षीय योजना में।

श्री वीरेन्द्रसिंह—इसमें देरी लगने का क्या कारण?

श्री रामचन्द्र चौधरी—रुपये जैसे जैसे मिलते रहते हैं उसके मुताबिक काम सब जगह चल रहे हैं और फिर कितने ही काम हैं। सभी एक साथ तो होने से रहे?

Page No.5

श्री वीरेन्द्रसिंह—अब तक इस पर कितने काम हुए ?

श्री रामचन्द्र चौधरी – यह अलग से पूछियेगा तो बतला दूंगा ।

श्री वीरेन्द्रसिंह – क्या यह सही है कि जानबूझकर इस काम में देर हुई है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी – ऐसा नहीं है ।

श्री चन्दनमल वैद – क्या यह सही है कि पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर के बदल जाने के कारण जानबूझ कर देरी की जा रही है ।

श्री अध्यक्ष – नेक्स्ट, श्री हरिशंकर ।

प्रश्न संख्या १०१५

गत ५ वर्षों में जयपुर डिविजन में बनाये गये पुलिस स्टेशन

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री – क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्रीवर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) जयपुर डिविज़न में गत ५ वर्षों में कितने नये पुलिस स्टेशन बनाये गये ?

(ख) उनमें से कितने पुलिस स्टेशन अब तक बनकर तैयार हो गये हैं और बाकी कितने अधूरे पड़े हुए हैं ?

(ग) क्या यह सत्य है कि जिला टोंक में पीपलू नाम का पुलिस स्टेशन अधूरा बना हुआ, काफी अर्से से पडा हुआ है ?

(घ) यदि हां, तो इतने अर्से से पुलिस स्टेशन नहीं बन रहा है उसका क्या कारण है ?

[ङ] क्या यह सत्य है कि पी. डब्ल्यू. डी. के अधिकारियों ने उस पुलिस स्टेशन में किये हुये कामों का करीबन ९००० रुपया ठेकेदार को अभी तक पेमेन्ट नहीं किया है और इसी कारण वह बिल्डिंग नहीं बन रही है ?

(च) यदि नहीं दिया तो क्यों ?

(छ) अब पुलिस स्टेशन कब तक बन जायेगा ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—[क] मानचित्र संलग्न है ।

[ख] दो । चौमूं और शेष सात में कार्य चालू है ।

[ग] हां ।

[घ] ठेकेदार के कार्य नियमानुसार न करने के कारण गत जुलाई से कार्य ठीक करने के लिये लिखा जा रहा है, लेकिन अब तक ठेकेदार ने खराबियां ठीक नहीं की हैं ।

[कृपया परिशिष्ट २ देखिये]

(ङ) नहीं, क्योंकि जो कार्य ठेकेदार ने किया वह खराब है अतः उसको चुकारा टेन्डर के मुताबिक वाजिब नहीं है ।

(च) कार्य असन्तोषजनक होने के कारण ।

(छ) कार्य सन् १९५६-५७ में पूर्ण होने की आशा की जाती है ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री—क्या यह सत्य है कि हरिजन होने के कारण पेमेन्ट नहीं किया जा रहा है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी— नहीं, ऐसी बात नहीं है । पर टेन्डर के मुताबिक काम ठीक नहीं होता है, जैसा कि मैंने बताया है ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—क्या यह सत्य है कि उस पुलिस स्टेशन के नहीं बनने से वहां की जनता को काफी परेशानी है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—सरकार जल्दी ही काम पूरा कराने के प्रयत्न में है । उस ठेकेदार ने टेन्डर के मुताबिक काम किया नहीं बराबर उसको लिखा जा रहा है, फिर भी पूरा नहीं कर रहा है ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—इसके अलावा और कई कामों का पैसा भी नहीं दिया जा रहा है उसे ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—यह अलग सवाल है ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—अब मामला किस स्टेज पर है और कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—५६-५७ तक पूरा होने की आशा है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १०१६

भीलवाड़ा में मजदूरों के हेतु क्वार्टर्स का निर्माण एवं उन पर व्यय होने वाली धनराशि

रावत श्री शम्भुसिंह—Will the Labour Minister please to state:

(a) Is it true that quarters for labourers are doing constructed at Bhilwara ?

(b) If so, what amount has been sanctioned and how much spent ?

(c) How many quarters have been constructed and how many labourers can they accommodate ?

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा—(क) हां।

(ख), (ग) १२, २०, ००० रुपये की स्वीकृति दी गई है जिसमें से करीब दो लाख ७५ हजार रुपया खर्च हुआ है। ५०० क्वार्टर्स ५०० मजदूरों के रहने के लिये बनवाने हैं जिनमें ४०० एक कमरे वाले और १०० दो कमरों वाले। १०० एक कमरे वाले मकान बिलकुल तैयार हैं और १०० छत तक पहुंच गये हैं। १०० का ऊपरी ढांचा बन रहा है और १०० प्लिन्थ लेवल तक पहुंच चुके हैं।

श्री शम्भुसिंह—बिजली-पानी फ्री देने की भी व्यवस्था की गई है या नहीं ?

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा—यह प्रश्न एराइज नहीं होता। सरकार तो क्वार्टर बनायगी। जो मजदूर अब उनमें रहेंगे वे अपनी बिजली पानी की व्यवस्था करेंगे। कनेक्शन कोई लेना चाहेगा तो लेगा।

रावत श्री शम्भुसिंह—यह फण्ड भारत सरकार द्वारा अलॉट हुआ [या स्टेट सरकार द्वारा ?

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा—यह इन्डस्ट्रियल हाउसिंग स्कीम के मातहत लोन मिला है और सबसिडी भी मिलती है।

रावत श्री शम्भुसिंह—बकाया कब तक बन जायेंगे ?

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा - इस वर्ष के दिसम्बर मास तक की अवधि दी गई है वरना रुपया लेप्स हो जावेगा।

रावत श्री शम्भुसिंह—क्या यह सही है कि हाईजिनिक और सेनीटेशन पोइन्ट ऑफ व्यू से जितने परिवार को एक क्वार्टर में एकोमोडेट किया जाना चाहिये उससे ज्यादा को अकोमोडेट करने की व्यवस्था की गई है ?

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा—जी नहीं, एक कमरे वाले में एक फेमिली और दो कमरे वाले में उससे ऊंचे स्टेन्डर्ड वाली एक फेमिली को ही अकोमोडेट किया जावेगा।

रावत श्री शम्भुसिंह—उनसे किराया लिया जावेगा ?

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा—क्यों नहीं ?

रावत श्री शम्भुसिंह—किस हिसाब से लिया जावेगा ?

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा—इसके लिये अलग से सवाल पूछें। बहुत सी डिटेल की बातें हैं। इसके सम्बन्ध में एक किताब भी मैं दे दूंगा। अलग जो खर्चे होते हैं उनके मुताबिक किराया निश्चित किया जाता है।

रावत श्री शम्भुसिंह—क्या यह सही है कि भारत सरकार ने रकम अलॉट की थी तो फ्री एकोमोडेट करने के लिये इन्स्ट्रक्शन्स दी थीं ?

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा—ऐसी बात नहीं है।

श्री सन्तोषसिंह—इलेक्ट्रीसिटी का फिटिंग तो सरकार करावेगी ?

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा—अभी जितनी रकम इसमें खर्च करने को मिली है उसमें यह सम्भव नहीं होगा।

रावत श्री शम्भुसिंह—क्या यह सही है कि केवल उन्हीं मजदूरों को इनमें रहने के लिए दिया जायगा जो कांग्रेस द्वारा परिचालित युनियन से संबंधित हैं।

श्री अध्यक्ष—श्री नारायण चतुर्वेदी।

Page No.9

प्रश्न संख्या १०१७

गृह उद्योगों के संचालनार्थ सरकार द्वारा बिजली की प्रति यूनिट दर निश्चित करना

श्री नारायण चतुर्वेदी—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) क्या गृह उद्योग के संचालन के लिये सरकार ने बिजली की दर एक आना प्रति यूनिट नियत कर दी है ?

(२)यदि हां, तो क्या सरकार का कृषि के निमित्त भी बिजली की दर में कमी करने का कोई विचार है ?

(३) भारत के दूसरे राज्य में कृषि उद्योग के लिये बिजली की क्या दरें नियत हैं ?

श्री रामचन्द्र चौधरी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)—(क) नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मद्रास स्टेट हाईड्रोलिक टेरिफ प्रति इन्स्टाल्ड हार्स पॉवर ३ पैसे फी यूनिट पहले ५०० युनिट तक, २ पैसे प्रति युनिट ५०० के ऊपर। आठ आना प्रति हार्स पॉवर प्रति मास गारन्टीड कन्जम्प्शन पर। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट टेरिफ एक आना प्रति युनिट १५ रु० के बराबर प्रति कनेक्टेड हार्स पॉवर पर सालाना के कम से कम कन्जम्प्शन पर।

उत्तर प्रदेश, गंग हाइड्रोलिक पॉवर १ आना ३ पा० प्रति युनिट। १४ दिन के अन्दर बिल अदायगी पर ३ पाई का रिबेट दिया जायगा और इसके साथ ३.५ पाई प्रति युनिट सर चार्ज।

गोरखपुर पॉवर हाउस में स्टेट ट्यूब वैल ३ आना प्रति यूनिट। दूसरे वाटर वर्क्स साढ़े तीन आना प्रति यूनिट।

बम्बई इलेक्ट्रिसिटी ग्रिल्ड। एग्रीकलचर पर कोई अलग दर नहीं है। जनरल पॉवर सर्विस पर २ रु० १२ आना प्रति हार्स पॉवर कनेक्टेड और पौने तीन आने प्रति युनिट बिजली के खर्चे पर पहले १०० युनिट पर प्रति बी. एच. पी. तथा २ आना प्रति युनिट इसके बाद कन्जम्प्शन पर।

श्री नारायण चतुर्वेदी—राजस्थान सरकार इसके लिए क्या सोच रही है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—अपने यहां जो दरें हैं उनकी सूची दी हुई है। उनके मुताबिक चार्ज किया जा सकता है।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—क्या सरकार दरों को कम करने के लिए विचार कर रही है ?

श्री चौधरी—जैसे जैसे खर्च कम होता जायगा, कम की जायगी। शायद हाईड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर होने के बाद कम कर सकें। अभी तो विचार नहीं है।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—इन्डस्ट्रीज़ को एक आना युनिट और एग्रिकलचर को तीन आना यूनिट देते हैं, तो क्या वह ज्यादा नहीं है ?

श्री चौधरी—यह गलत है। एक आना यूनिट किसी को नहीं देते हैं।

श्री वेदपाल त्यागी—क्या यह सत्य है कि कुछ इन्डस्ट्रीज़ से जो चार्ज किया जाता है, वह कॉस्ट जो पड़ती है उससे भी कम चार्ज किया जाता है ? क्या सरकार इन्डस्ट्री को कम भाव पर देना चाहती है और एग्रीकलचरिस्ट को ज्यादा भाव पर देना चाहता है, तो क्या यह देना उचित होगा ?

श्री चौधरी—जो पुराने एक्ज़ीक्यूटेड एग्रीमेंन्ट्स हैं उन्हें उसी रेट पर देना पडता है ? नये जो आते हैं उन पर जनरल रूल्स ही लागू होते हैं।

श्री त्यागी—क्या जिन नयों को बिजली दी जाती है उनके रेट्स एग्रीकलचरिस्ट्स के रेट्स से कम नहीं हैं ?

श्री चौधरी—हो सकता है।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—तो फिर एग्रिकल्चरिस्ट्स को भी कम पर क्यों न दिया जाय ?

श्री अध्यक्ष—क्यों का सवाल नहीं है। इन्फॉरमेशन सीक करने का सवाल।

प्रश्न संख्या १०१८

राजस्थान के जिला हैडक्वार्टस पर जहां कि बिजली नहीं है कि बिजली की व्यवस्था करने सम्बन्धी

श्री वीरेंद्रसिंह—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बतलाने को कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में ऐसे कौन कौन से जिला हैडक्वार्टर्स हैं जहां पर बिजली की व्यवस्था नहीं है ?

(ख) उक्त स्थानों पर अब बिजली लगाने की क्या व्यवस्था की जा रही है ?

[श्री वीरेन्द्रसिंह]

(ग) जिला हैडक्वार्टर सवाई माधोपुर में कब तक बिजली लग जाने की सम्भावना है ?

श्री रामचंद्र चौधरी (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)—(क) निम्नलिखित जिला केन्द्रों का विद्युतकरण नहीं हुआ है :

झुन्झुनू, नागौर, पाली, जालोर, बाडमेर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, बूंदी, सवाई माधोपुर, सिरोही।

(ख) नागौर, पाली, उदयपुर, बांसवाड़ा, बूंदी और सिरोही में निजी पॉवर हाउस हैं। दूसरी स्कीम में झुन्झुनू, सवाई माधोपुर, जालोर तथा चित्तौड़गढ़ का विद्युतकरण किया जायगा। बाड़मेर में स्वयं म्युनिसिपल बोर्ड पॉवर हाउस लगाने की कार्यवाही कर रही है।

(ग) सवाई माधोपुर में विद्युतकरण १९५७ तक होने की सम्भावना है।

प्रश्न संख्या १०१९

वन बन्दोबस्त करते समय जंगल गंवाई व खुले जंगल के रूप में सुरक्षित रखे गये जंगल के भाग

श्री सोहनलाल भटनागर—क्या वन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) फोरेस्ट सेटिलमेंट करते समय कितना प्रतिशत जंगल गंवाई व खुले जंगल के रूप में रखा जाता है ?

(ख) क्या सराड़ा व सलूम्बर तहसीलों के कई ग्रामों में डिमारकेशन लाइन गांवों के बीच में होकर निकाली गई है ?

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा (वन मन्त्री)—(क) इसका कोई निश्चित अनुपात नहीं है। जैसी जहां आवश्यकता होती है, वैसा वहां रख लिया जाता है।

(ख) जी नहीं।

Page No.12

[श्री ब्रजसुन्दर शर्मा]

(ग) इस क्षेत्र की अन्तिम घोषणा (फाईनल नोटिफिकेशन) अभी तक जारी नहीं हुई है, इस कारण इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता।

श्री अध्यक्ष—श्री गुरुदयालसिंह सन्धु।

(अनुपस्थित)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक ४ मई, १९५६ के प्रश्नोत्तर)

प्रश्न संख्या ८१७

अलवर शहर में एक एम. पी. के पास रहने हेतु सरकारी मकान

श्री जवानसिंह (श्री भोपालसिंह की अनुपस्थिति में)—मुझे आशा है कि पहले से मुझे अनुमति मिली हुई है।

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या किसी एम. पी. के पास अलवर शहर में रहने के लिए सरकारी मकान है ?

(ख) क्या यह मकान वर्तमान मुख्य मन्त्री के राजस्व मन्त्री के कार्य काल में दिया गया था ? यदि हां, तो किस तारीख को ?

(ग) क्या मकान निर्माण काल से ही इसमें अलवर शहर के सरकारी पॉवर हाउस के इन्जीनियर रहते चले आये थे ?

(घ) क्या यह सही है कि सरकारी इन्जीनियर से मकान खाली कराने के लिए उसका स्थानान्तरण किया गया है ? यदि नहीं, तो अल्प समय में इस इन्जीनियर के स्थानान्तरण के क्या कारण थे ?

(ङ) क्या यह भी सही है कि फिर दूसरा इन्जीनियर जो अलवर का रहने वाला था और जो उस मकान में भू० पू० अलवर राज्य के समय भी रहता था उसने यह मकान रहने के लिए मांगा तो इन्कार कर दिया गया और फिर उसका स्थानान्तरण भी अन्य स्थान पर करा दिया गया ?

Page No.13

श्री रामचंद्र चौधरी (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)—(क) जी हां।

(ख) जी हां, परन्तु राजस्व मण्डल की स्वीकृति पर दिनांक १८-१२-५४ को।

(ग) जी हां, तिथि का निश्चित् मालुम नहीं हो सका है।

(घ) जी नहीं, स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से हुआ था।

(ङ) जी नहीं। वस्तुस्थिति इस प्रकार है कि जिस मकान को प्रसंगान्तर्गत दूसरा इन्जीनियर लेना चाहता था, वह २८) या २१) रुपये माहवार किराया देना चाहता था, जब कि श्री शोभाराम, एम. पी. ३२) रुपये मासिक किराया देने को तैयार थे। इसलिए राजस्व मण्डल ने मकान उन्हीं को दिया जाना उचित समझा होगा।

प्रश्न संख्या ७६०

(दिनांक ४ मई, १९५६ के प्रश्नोत्तर)

राजस्थान की महत्वपूर्ण सड़कों का आधार, विशेषतया शेरगढ़-पोकरण सड़क

श्री जवानसिंह (श्री हनुवन्तसिंह की अनुपस्थित में)—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में सड़कें किस आधार पर महत्वपूर्ण मानी जाती हैं ?

(ख) शेरगढ़, पोकरण सड़क किन कारणों से महत्व रखती है ?

(ग) उक्त सड़क पर कितनी बसें, लोरियां व प्राईवेट कारें रोजाना चलती हैं ?

(घ) समस्त राजस्थान में कुल कितनी और कौनसी महत्वपूर्ण सड़कें हैं ?

श्री रामचन्द्र चौधरी (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)—(क) अपनी अपनी जगह सभी सड़कें महत्वपूर्ण हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

श्री जवानसिंह—क्या मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करूं कि राजप्रमुख के एड्रेस में महत्वपूर्ण सड़कों का जिक्र किया गया है और इस सड़क का नाम उन महत्वपूर्ण सड़कों में था, तो महत्वपूर्ण किस आधार पर मानी गई है, यह जानने की इच्छा है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—मैंने जवाब दिया कि अपनी अपनी जगह सभी महत्वपूर्ण हैं। कुछ रोड्स स्टेटेजिक इम्पोर्टेंस की हैं और कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाईवेज़ हैं, वे महत्वपूर्ण हैं बाकी दूसरी अपनी अपनी जगह सभी महत्वपूर्ण हैं।

श्री जवानसिंह—(ग) का उत्तर देने की कृपा करें।

श्री रामचन्द्र चौधरी—मैंने अभी जवाब दिया, सब अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं।

श्री जवानसिंह—क्या सरकार यह मानने को तैयार है कि वहां पर एक भी बस कायदे से रोजाना नहीं चलती है ?

श्री अध्यक्ष—(श्री चौधरी से) : (ग) का उत्तर दिया जाय।

श्री रामचन्द्र चौधरी—इसकी सूचना अभी नहीं आई है।

श्री जवानसिंह—माननीय अध्यक्ष, कुछ प्रश्न रह गये थे, तारीख ११ के प्रश्न थे ५१८ और ५६६।

श्री अध्यक्ष—यस, पूछिये।

प्रश्न संख्या ५६६

(दिनांक ११ मई, १९५६ के प्रश्नोतर)

जैसलमेर जिले में शराब व अफीम के ठेके

श्री जवानसिंह (श्री हनवन्तसिंह के स्थान पर)—क्या पृथक राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जिला जैसलमेर में किस किस जगह शराब के ठेके हैं ?

(ख) क्या यह सच है कि इन ठेकों में अब भी शराब बन्द बोतलों में न बिक कर खुली बिकती है ? यदि हां, तो क्यों ?

(ग) इस जिले में अफीम के ठेके कहां कहां हैं ?

(घ) क्या यह सच है कि एस० डी० ओ०, पोकरण के पास ऐसी शिकायतें आई हैं कि अफीम के ठेकेदार अफीम ठीक तौर से तोल कर नहीं देते हैं ?

Page No.15

[श्री जवानसिंह]

(ङ) क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

श्री अमृतलाल यादव (पृथक राजस्व मंत्री)—(क) जैसलमेर जिले में शराब के ठेके निम्नलिखित स्थानों पर हैं :

जैसलमेर शहर, रामगढ़, भाड़ला, पोकरण, लाठी।

(ख) शराब ३५ यू. पी. की तमाम किस्म की बिकती है।

(ग) जैसलमेर जिले में निम्नलिखित स्थानों पर अफीम के ठेके हैं :

जैसलमेर, नसराई, सनातना, बारदी, मोहनगढ़, नागर, छेनापाली, भाड़ला, साकड़ा, भारानी, रामगढ़, पोकरण, बसला, ओली, लाठी, पलसोना, नाका, नाचना।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न संख्या ५६८

सन् १६४६ के जिला जैसलमेर के जागीरदारों की कस्टम विभाग में जमा रकम

श्री जवानसिंह (श्री हनवन्तसिंह की ओर से)—क्या पृथक राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९४९ के जिला जैसलमेर के जागीरदारों की कितनी रकम कस्टम विभाग में जमा है तथा यह रकम अब तक किन कारणों से जागीरदारों को नहीं दी गई ?

(ख) क्या सरकार यह रकम शीघ्र ही देने का इरादा रखती है ?

श्री अमृतलाल यादव (पृथक राजस्व मंत्री)—(क) जिला जैसलमेर में जब से कस्टम हटा है जागीरदारों की रकम रु० १४,५३०, ५–६ पाई सरकार में जमा है।

(ख) यह प्रश्न एक जागीरदार की ओर से जोधपुर डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत में राज्य के खिलाफ उठाया गया है। अदालत की ओर से निर्णय होने तक अदायगी संभव नहीं है।

श्री जवानसिंह—यह बताया गया कि अदायगी होना संभव नहीं है, तो क्या सरकार ने यह मान लिया है कि जागीरदारों की बकाया है ?

श्री अमृतलाल यादव—मैंने बताया कि मामला सबजुडिस है।

श्री जवानसिंह—वह केवल एक जागीरदार के लिए सबजुडिस हो सकता है, लेकिन अन्य जागीरदारों की जो रकम है उसकी अदायगी क्यों नहीं की जा रही है ?

श्री अमृतलाल यादव—उसमें अड़चन तो पड़ती ही है। फैसला होने के बाद जैसा अदालत का निर्णय होगा, कार्यवाही की जायगी।

श्री जवानसिंह—क्या सरकार ने यह फैसला ले लिया है कि यह जागीरदारों की रकम है और उनको दी जानी चाहिए ?

श्री अमृतलाल यादव—जागीरदार ने सरकार पर दावा किया है।

श्री जवानसिंह—मैं यह पूछ रहा हूँ कि क्या यह सरकार ने निश्चय कर लिया है कि यह जागीरदारों की रकम है और यह उनको लौटानी है ?

श्री अमृतलाल यादव—मैंने निवेदन किया कि यह मामला सबजुडिस है। उसके लिए मैं क्या कह सकता हूँ ?

श्री जवानसिंह—माननीय अध्यक्ष, मैं उस दावे के लिए कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहता। मैं उस जागीरदार के अलावा दूसरे जागीरदारों के रुपयों के लिए प्रश्न पूछना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—हमारे पास कोई जवाब नहीं है। I can't dicide. किसका दावा है....

श्री जवानसिंह—माननीय मंत्रीजी ने बताया कि एक जागीरदार का दावा चल रहा है। मैं उस पर कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहता हूं। मैं यह पूछ रहा हूं कि जब सरकार ने यह निश्चय ले लिया है कि जागीरदारों के रुपये हैं और उनको यह रुपये लौटाये जाने चाहिए तो फिर क्या वजह है कि उस जागीरदार के अलावा दूसरे जागीरदारों को रुपये नहीं लौटाये जाते हैं ?

श्री अमृतलाल यादव—मैंने अर्ज किया कि किसी जागीरदार ने सरकार पर दावा दायर कर दिया तो उसका असर दूसरों पर भी पड़ सकता है, इसलिए ज्योंही अदालत का इस सम्बन्ध में निर्णय हो जायगा तो कर दिया जावेगा।

श्री जवानसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह रिप्रेजेन्टेटिव सूट है ?

श्री अमृतलाल यादव—एक की तरफ से है।

श्री जवानसिंह—तो इसलिए प्रश्न पैदा होता है कि जब रिप्रेज़ेन्टिटिव सूट नहीं है, एक व्यक्तिगत दावा है उस हालत में उस व्यक्ति को छोड़ कर दूसरों को रकम क्यों रोकी जाती है?

श्री अमृतलाल यादव—एक जागीरदार की ओर से दावा है, उसका जनरल पोलिसी पर असर पड़ता है।

श्री जवानसिंह—वह क्या असर पड़ता है?

श्री अमृतलाल यादव—अदालत एक जागीरदार को क्या फैसला देती है? अगर एक किस्म का फैसला देती है तो उसका सर्टेनली दूसरों पर असर पड़ता है।

श्री जवानसिंह—यह कैसे मान लिया जाय कि दूसरों पर असर पड़ेगा?

श्री अमृतलाल यादव—माननीय अध्यक्ष, उसकी अड़चन क्या है? एक फैसले तक इन्तजार करना है।

श्री जवानसिंह—माननीय अध्यक्ष, अड़चन सरकार के और मेरे बीच की नहीं है जागीरदारों को अड़चन है, जिनका पैसा सरकार के पास रखा है अकारण।

श्री अध्यक्ष—I have not been able to decide whether the Jagirdars who claim the money and whose case is subjudice or under the decision of the Courtt who are involved?

(विराम)

Short Notice Question.

श्री वेदपाल त्यागी—Mr. Speaker, Sir, there is a list of questions 'Tarankit,' on 18-5-56. They are starred questions and they should be put.

श्री अध्यक्ष—Because the session was going to be adjourned and several questions were still remaining they were admitted, though not ripe and if the Government finds covenient to reply, it can, but I am told that the Government finds it in corvenient to reply and so I did not call.

(विराम)

Page No.18

[श्री अध्यक्ष]

अल्पकाल सूचना प्रश्न

So we proceed on to short notice question.

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—Mr. Speaker, Sir, I beg to move...

श्री अध्यक्ष—I can take it as read.

सन् १९५५-५६. के आर्थिक वर्ष में जोबनेर कृषि कालेज के सुधार हेतु व्यय होने वाली धन राशि

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—Will the Minister for Agriculture please state—

(a) How much amount was provided for the development or improvement of the Jobner Agriculture College during the financial year 1955-56, and what was the actual amount spent during that financial year ?

(b) Who is responsible for failing to utilize the unspent amount budgeted for this college for the year 1955-56 ?

(c) How many members of the teaching staff of the Jobner Agriculture College have been transferred to the newly started Udaipur Agriculture College ? When each one of these member of the teaching staff was transferred and who replaced him and when ?

(d) What steps does the Government propose to take to have the provisional recognition of the Jobner Agricultural College extended for the ensuing academic year ?

(e) How much does the Government propose to spend over the development or improvement of the Jobner Agricultural College during the current financial year ?

(f) Is it a fact that the Govt. had deputed an expert in Agriculture Shri Vishwanathan to make some enquiries regarding the Jobner Agriculture College and that he had submitted two reports to the Govt. on different occasions

Page No.19

[श्री विश्वम्भरनाथ जोशी]

regarding the college ? If so, will the Minister lay before the House the report or reports of Shri Vishwanathan so as to help the House to learn the true state of affairs about the Jobner Agricultural College ?

(g) Is it a fact that another leading expert in Agricultural Prof. Luthra has also prepared a report about the suitability of the site, the soil, the buildings and other paraphernalia of the Jobner Agricultural College for a degree standard Agriculture College, based on first hand impressions formed after personally visiting the jobner College ? Has a copy of this report been given to the Government and have the Ministers for Education and Agriculture seen this report ?

(i) Is it further a fact that Prof. Luthra who is a more eminent authority and an agricultural expert with higher qualifications than Shri Vishwanathan has held the Jobner Agriculture College to be suitable in all respects for degree standard teaching in Agriculture ?

[J] Is it also a fact that even Srhi Vishwanathan had held Jobner to be suitable site for post graduate studies, and has accordingly suggested or recommended to the Govt. that arrangements may be made for post graduate studies and post graduate research at Jobner ?

[k] In view of the foregoing, is the Govt. prepared to honour it assurances to the people of Jobner & the trustees of the Jobner College, given at the time of taking over the college and there after to run this College as full fledged degree College in Agriculture and to take necessary steps for its development and improvement ?

[l] Is it a fact that under the second Five Year Plan Rajasthan is to get, or is likely to get, a handsome amount for development of Collegiate education in Agriculture ? If so, is the Government prepared to concede the prior claims of the agriculture College at Jobner, as the first and the oldest Agricultural College of Rajasthan for a major share out of this amount meant for Agricultural Education ?

[m] What steps the government is taking for filling the existing vacancies on the teaching staff of the Agriculture College at Jobner ?

Page No.20

[श्री विश्वम्भर नाथ जोशी]

(n) What steps does the government propose to take to penalize the members of the teaching staff at Jobner or Udaipur who were responsible for unauthorizedly taking away the batches of students from the Jobner College to the Udaipur College on the night of 15th. August, 1955 in a clandastine and highly objectionable manner ?

(o) Has the Government taken due care to prevent a reptition of such unauthorised mass transfers of students from the Jobner College in the future ?

(p) Has the Government any hesitation in stating that the Jobner Agriculture College shall have parity with the Udaipur Agriculture College in the matter of allocation grants for development, expension or extension etc., and other allied matters ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री)—A lumpsum provision of Rs, 2,10.000 was sanctioned at the time the Jodner College was taken over by the State Govt. After scrutinising the Budget of the Institute Rs. 57,000/-were sanctioned, on the basis of the budget of the last year,for recurring expenditure. The balance of Rs. 1,53,000/-was meant for equipping the library, laboratories and purchase of furniture and other non-recurring expenditure. But the amount was not spent as the question of continuing the College was under examination of the Govt. The Govt. appointed Dr. B. Viswa Nath to report whether the Jobner College should be continued or some other Agriculture institute should be started at Jobner in Nov., 1955. His report was against the continuance of the College at Jobner. On the representation of the Thakur Sahib and others Dr. Viswa Nath was again called in Feb., 1956 to re-examine the position. The second report only confirmed his previous recommendations. Meanwhile Prof. Luthra, on the request of Thakur Sahib of Jobner, gave a report in favour of the College being continued at Jobner.

After examining the different rerpots the Govt. have recently decided to continue the College at Jobner. It was because of these uncertainties that no amount was spent on non-recurring items, the intention beirg to spend the amount to meet the requirements of type of the institute which may finally be decided to be located at Jobner,

(b) The question does not arise in view of what has been stated above.

Page No.21

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

(c) The following members of the staff were temporarily transferred with effect from the dates noted against each of them:-

Dr. A. Rathore	3.11.55
Mr. C.P. Trivedi	6.8.55
Mrs.K.Rathore	6.8.55

Under private management there was some exchange of teachers betweens the S.K.N. Agriculture Institute and S.K.N.Inter College. This was one of the reasons why these Colleges were deaffiliated by the University. On the Govt. taking over the Colleges, the two were spearated. Thus some teaching time was available as a result of release of the teachers from S.K.N. Inter College, By utilizing this time and by appointing two more lecturers all teaching needs were met.

(1) Mr. P.C. Thapan whose subject of specialisation is the same as that of Dr. A. Rathore, took his periods having been released from teaching High School Classes.

(2) Mr. Bharat Singh Rathore was appointed to teach Agronomy on 22. 8. 55 which was the subject of Specialisation of Mr. C.P.Trivedi.

(3) Mr. Bhupal Singh Rathore who as specialised in Agricultural Economics was given classes allotted to Mrs. K. Rathore- having been released from taching High School Classes.

(4) Mr.M.K. Saxena was appointed to teach English in place or Mr.D. C. Dutta who ceased doing so as a result of the separation of the S.K.N. Agricultural Institute and S.K.N. Inter College.

[d] The Govt. have already decided to continue the College at Jobner and the University is being addressed.

[e] The Govt. propose to meet all the requirements of the University. The question is under examination and details are being worked out.

(f) Yes. The copies of the Reports will be placed on the table of the House.

[g] Yes. The report has been seen by the Ministers.

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

(i) Yes.

[j] Yes.

[k] Govt. has already declared their intention to run the College.

(l) No general grant has been made for Agriculture Collegiate education in the Second Five Year Plan. Govt. have, hoewver, decided to equip the College and constuct buildings and appoint additional staff to meet the requirements of the institution.

(m) The Public Service Commission is being moved.

(n) According to the information available no students were taken away to Udaipur on 15.8.55.

(o) The question does not arise.

(p) The requirements of each College will be met according to the resourses available with the Govt.

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—When the Government had not taken any decision regarding the starting of the Udaipur College why the amount already budgetted for the Jobner College was not utilised, specially when the University authorities were asking certain deficiencies in the College to be made good as a condition precedent for the formal recognition of the college ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—Please refer to my reply at (a).

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—Is it not the special responsibility of the Government in view of the fact that they had allotted funds already budgetted for the College, they should have utilised the amounts to meet all the objections raised by the university regarding the defects of the Jobner Agriculture College ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—Mr. Speaker, Sir, I think my reply is very exhaustive and it covers practically all the points.

श्री वेदपाल त्यागी—क्या यह सत्य है कि जो कुछ रकम बजट में रखी थी और युनिवर्सिटी ने जो खामियें बताई थीं उनको पूरा करने में खर्च नहीं की गई ?

Page No.23

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं अपने उत्तर में पूरी बातें बता चुका हूं कि नहीं हुई और उसके कारण भी दे चुका हूं।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—इन परिस्थितियों में जबकि युनीवर्सिटी ने सरकार को साफ कह दिया था कि फलां फलां खामियें हैं इनको पूरी करलो और सरकार ने इसका पालन नहीं किया। क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि येन केन प्रकारेण उनको पूरा किया जाता ?

श्री अध्यक्ष—इसमें जिम्मेदारी का क्या सवाल है ?

Government is always responsible. There cannot be any question on responsibility. There can be a question about facts.

श्री जयनारायण व्यास—सुना जाता है कि जोबनेर कॉलेज के प्रिन्सिपल का ट्रांसफर हो गया है। यदि यह सच है तो इस समय प्रिन्सिपल का काम कौन कर रहा है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—वहां के वाइस प्रिन्सिपल प्रिन्सिपल का काम कर रहे हैं।

श्री जयनारायण व्यास—क्या वाइस प्रिन्सिपल का तबादला नहीं हुआ था ?

श्री अध्यक्ष—क्या वाइस प्रिन्सिपल का तबादला नहीं हुआ था ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जहां तक मेरा ख्याल है नहीं हुआ था। कुछ प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स वहां रहे और कुछ का तबादला हुआ।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—Why the staff, needed for the Udaipur College, was it not recruited through the Public Service Commission or other channels and why staff of the Jobner College was transferred ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—On administrative grounds.

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—What possible administrative grounds could there have been for not employing the normal channels of recruitment and depriving an older institution of its proper staff ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—The administrative reasons were to run both the colleges.

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी— Was there any dearth of suitable and qualified

[श्री विश्वम्भरनाथ जोशी]

lecturers and professors in the province or the country so that persons from an existing agricultural college were removed to the detriment of the institution ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—I did not quite follow the question, but as I said in my reply, there was a shortage of persons of the requisite qualifications but the arrangements in the Jobner college was not disturbed because of that.

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—When the provisional recognition of the Jobner College by the University is due to expire ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—Long ago before we took over.

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी— Am I to understand that it has already expired ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—Before we took over the term expired and the Government moved the university authorities and it was allowed for one year. Now again the position is the same and we have moved recently the University for allowing it to continue for one year more. In the meantime we will arrange for the equipment, if necessary, things which are required by the University.

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या मुख्य मंत्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे · ·

श्री अध्यक्ष—श्री बी. एन. जोशी।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—So I mean to ask when the newly extended provisional recognition of one year is due to expire. It was said, the Government has got an extension for one year. When is the extended period due to expire ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—I do not remember the exact date.

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—Has the Government already moved the University authorities for extension, or is only contemplating to move ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—Mr. Speaker, I think the point is very clear that the college would run. We would move the university for all these things. When and on what date we have moved and what is the date of the last extension, a reply of these questions is not relevant. It may be that this information may be required, but I think what I have said, is very clear.

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—I am not particular about the exact date. I want to know specifically whether the University authorities have already been moved or it is only under the contemplation of the Government?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—At least the Government have issued orders to the Secretary that they should move it immediately.

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—Have the orders been communicated to the University?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—I do not remember today whether they have been communicated. If they have not been communicated, they will be communicated immediately.

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—In veiw of the report of Professor Luthra, the Jobner College has got the best scope for post-graduate studies and research studies. Is it under the contemplation of the Government to start post graduate classes in the Jobner College?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—That is not under considration at present.

श्री जयनारायण व्यास—अध्यक्ष महोदय, जहां तक मुझे मालूम हुआ है जोबनेर कॉलेज के प्रिंसिपल और वायस-प्रिंसिपल दोनों का तबादला वहां से हो चुका है। तबादला हुआ है या नहीं हुआ, यह गवर्नमेन्ट के बाद की इन्क्वायरी की बात है, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या जोबनेर कोलेज के प्रिन्सिपल के स्थान पर स्थायी नियुक्ति करने का कोई और गवर्नमेन्ट ने कदम उठाया है? यदि हां, तो क्या?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—वहां की कॉलेज में आवश्यक स्टाफ भर्ती के लिये, जिसमें प्रिन्सिपल भी आता है, जल्दी से जल्दी भर्ती करने के लिये पी. एस. सी. को लिखा गया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या मुख्य मंत्रीजी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वहां से कितने मेम्बर्स ऑफ स्टाफ का ट्रान्सफर हुआ और एवज में कितने वहां भेजे गये?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैंने जो पहले उत्तर दिया है उसमें एरेन्जमेन्ट की बात आ जाती है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं नम्बर पूछता हूं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—तीन व्यक्तियों का वहां से ट्रान्सफर हुआ और इसके बाद में वहा पर इन्टर कॉलेज चलता है, वहां के स्टाफ से एडजस्टमेन्ट किया गया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—एवज में कितने भेजे गये ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—डिटेल्स इस समय मेरे पास नहीं हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जब तक एवज में दूसरों को भेजने की व्यवस्था नहीं थी तब तक लोगों को वहां से हटाकर दूसरी जगह भेजने का क्या कारण था ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—दूसरी जगह कॉलेज रन करनी थी। कई कॉलेजों में ऐसी सूरत हो सकती है जहां १-२ व्यक्तियों की कमी रह सकती है। पूरी व्यवस्था नहीं कर पाये और वहां की कॉलेज का डिस्प्यूट चल ही रहा था।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—In veiw of the special position of the Jobner College which was run by the Thakur Sahib of Jobner who had also already spent lacs of rupees and was associated with the working of this institution for several years, will the Government agree to set up an advisory committee associating the former Propietor who had run the institution after making great personal secrifices, with the working of the institutoin ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—Government does not consider it necesary.

श्री मोहनलाल भटनागर—जब युनिवर्सिटी ने जोबनेर कॉलेज का रिक्गनीशन बन्द कर दिया और एक्सपर्ट्स की खिलाफ रिपोर्ट आई तो फिर उस कॉलेज को चलाने का निर्णय लेने का क्या कारण है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—डॉक्टर लूथर इस मामले में काफी जानकारी रखते हैं, उन्होंने रिपोर्ट दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जोबनेर कॉलेज को चलाया जा सकता है। ऐसी हालत में जब कि दो एक्सपर्ट्स डिफर करते हैं तो गवर्नमेंट ने उपयुक्त यही समझा कि इसको चलाया जाय।

Page No.27

श्री विश्वंभरनाथ जोशी—Is it a fact that Professor Luthra who is a very eminent authority on agriculture had stated that Udaipur is unsuitable for being the site of an agricultural college in view of the hilly tracks and in view of its being situated in one corner of Rajasthan ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इसका उत्तर चाहते हैं क्या आप मुझसे ? यह आपस की बहस के लिये है।

श्री जयनारायण व्यास—क्या यह सच है कि जोबनेर कॉलेज के सेकिन्ड ईयर के सब लड़के ट्रान्सफर कर दिये गये हैं ? अगर यह ठीक है तो कॉलेज़ को चालू रखने में उसकी कन्टिन्युएन्सी पर इसका क्या असर होगा, असर होगा भी कि नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इसका उत्तर (एन) के अन्दर आ चुका है,...

"According to the information available no students were taken away to Udaipur on 15-8-55."

श्री जयनारायण व्यास—सेकिन्ड ईयर में जोबनेर कॉलेज़ में लड़के हैं भी कि नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जो फर्स्ट ईयर में थे वे अब इम्तिहान में पास होने के बाद सेकिन्ड ईयर में होंगे।

श्री जयनारायण व्यास—वे तो इम्तिहान पास करने के बाद आयेंगे, इस समय इस कॉलेज़ में सेकिन्ड ईयर के लड़के हैं कि नहीं, सब लडके चले गये कि नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—किसी को ट्रान्सफर करके वहां नहीं लेजाया गया। अगर सिमिलर कॉलेज दो जगहों पर हैं तो यह लडकों के ओप्शन पर निर्भर है कि वे दोनों में से किसी में जायं।

श्री जयनारायण व्यास—मैंने यह नहीं पूछा है कि ट्रान्सफर करके ले जाया गया, ट्रान्सफर हो गया या किया गया, इस समय सेकिन्डईयर में लडके हैं कि नहीं ? मैं यह पूछना चाहता हूँ, मैं इसका डेफिनेट उत्तर चाहता हूँ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मुझे ठीक तौर से जानकारी नहीं है।

श्री जयनारायण व्यास—मुझे बहुत दुख है कि शिक्षा के इन्चार्ज और मुख्य मंत्री को इस इतने अहम शिक्षा सम्बन्धी मसले से जानकारी नहीं है। मैं जानकारी दे दूं कि जोबनेर कॉलेज

[श्री जयनारायण व्यास]

में इस समय सेकिन्ड ईयर में लड़के नहीं हैं । क्या जोबनेर कॉलेज़ से फर्स्ट ईयर से, सेकिन्ड ईयर से चले गये, थर्ड ईयर से चले गये ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं निवेदन करूं कि जोबनेर और उदयपुर के कृषि कॉलेजेज़ की शिक्षा में अन्तर है । जोबनेर में चार साल का कोर्स है और मेट्रीक्युलेट को वहां ले लिया जाता है, जब कि उदयपुर कॉलेज में इन्टर करने के बाद विद्यार्थी को लिया जाता है और उदयपुर का फर्स्ट ईयर जोबनेर के सैकिन्ड ईयर के बराबर है । उसके खुलने के बाद में बहुत से लड़कों ने वहां एड्मिशन लिया, उदयपुर में वे पहले ही चाहते थे।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—Is it a fact that advertisements have been issud on behalf of the authorities of the Udaipur College inviting applications for admission in the ensuing session whereas no such advertisement has been issued by the Jobner College which is highly prejudicial for admissions to the Jobner College in the present session ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—फर्स्ट ईयर में एप्लिकेशन इन्वाइट करने से मतलब है आपका ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—Yes.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—वह नोटिस इश्यू नहीं किया है तो इश्यू कर दिया जायगा ।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—Will the Government take early steps to see that it is done now immediately and why it has not been done so far ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—It would be done in time.

श्री वेदपाल त्यागी—उदयपुर और जोबनेर के लिये एड्मिशन के लिए इन्विटेशन इश्यू करने के लिए टाइम अलग अलग है क्या ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—वहां का अभी टाइम बाकी है, उसमें लड़के एड्मिशन ले सकते हैं ।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—Was any enquiry held into the case of mass trans-

[श्री विश्वम्भर नाथ जोशी]

fers of students through the agency of teachers from the Jobner College to the Udaipur College on the night of the 15th August, 1955 ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--Please refer to my reply No. (n).

श्री जयनारायण व्यास—क्या यह सच है कि सेकिन्ड ईयर में पढ़ने वाले लड़के इस लिये जोबनेर से उदयपुर चले गये कि उनको वहां टीचर्स नहीं मिलते थे और पढ़ाई में दिक्क थी, इस बारे में भी क्या सरकार ने जांच की ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इस कारण से वे वहां गये कि वहां टीचर्स की कमी थी पर क्योंकि वहां पर प्रोपर, उचित व्यवस्था नहीं थी। मुझे मौका मिला था उनसे मिलने का और उन्होंने मुझे बताया था कि टीचर्स की कमी के कारण नहीं बल्कि दूसरी व्यवस्था की कमी थी।

श्री जयनारायण व्यास— व्यवस्था की कमी में तीन टीचर्स की कमी का अफसोस उन्हें नहीं था क्या ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—टीचर्स की कमी के कारण वे वहां नहीं गये, अफसोस नहीं था यह मैंने नहीं कहा। वहां लेबोरेटरी और नजदीक फार्म की कमी थी जो मुझे उन्होंने बताई, उनके यहां से जाने का मुख्य कारण था।

श्री जयनारायण व्यास—क्या उदयपुर में बेटर लेबोरेटरी पहले से ही कायम थी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—बेटर लेबोरेटरी पहले से थी या नहीं थी मैं इस विवेचन में नहीं पड़ना चाहता, जो विद्यार्थियों ने मुझ से कहा वही मैंने सदन के सामने रखा है।

श्री जयनारायण व्यास—मैं अव्यवस्था के बारे में डिटेल्स जानना चाहता हूँ कि अव्यवस्था किस कारण से थी, टीचर्स की कमी के कारण, या लेबोरेटरी नहीं थी, या वहां की आबहवा अच्छी नही थी, आखिर अव्यवस्था का कोई न कोई कारण तो होना चाहिये, क्या किसी लड़के के अभिभावक ने भी उन लड़कों को ट्रांसफर के लिये प्रार्थना पत्र दिया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं समझता हूँ अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर सदन में इतनी ज्यादा चर्चा हो गई है, इस प्रश्न पर जो माननीय सदस्य ने पूछा मैं समझता हूं पहले उस पर काफी वाद-विवाद हो चुका है।

श्री जयनारायण व्यास—क्या यह प्रश्न टालने का उत्तर नहीं है ?

Page No.30

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जो प्रश्न पूछा गया है, उसका उत्तर मैंने दे दिया है, जिस समय सदनमें इस विषय पर बहस हुई थी, सब कुछ बता दिया गया था और लोग जानते हैं कि उन विद्यार्थियों को वापिस भेजने में मैंने सबसे बड़ा काम किया।

श्री जयनारायण व्यास—अव्यवस्था कारण बताई, केवल अव्यवस्था कह देना तो जिम्मेदारी नहीं ? वह अव्यवस्था क्या है, उसके बारे में अगर मैं जानना चाहूं तो यह कोई बुरी बात नहीं है ! मैं अव्यवस्था कि डिटेल्स जानना चाहता हूं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मेरे बताने की जरूरत नहीं, युनिवर्सिटी ने और जो कमेटीज़ आईं उन्होंने बतादी हैं।

श्री जयनारायण व्यास—यूनिवर्सिटी ने जो अव्यवस्था बताई है, जो अव्यवस्था कमेटी ने बताई है, जिस अव्यवस्था सेकिन्ड ईयर के लड़को के वहां से जाने का कारण बन गई, उन अव्यवस्थाओं को और फिर बतादी जाय तो इसमें बुराई क्या है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं समझता हूं कि खास कारण यह था कि लड़के जोबनेर की बजाय उदयपुर को ज्यादा पसन्द करते थे।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—How does the Hon'ble Chief Minister explain the contradiction that he has first stated that there was no tranfer from the Jobner College to the Udaipur College, whereas now he has recently, just now replied to one of the supplementaries that he had an important hand in the re-transfer of boys from Udaipur to Jobner ?

श्री अध्यक्ष—That is an imputation ....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं समझता हूं शब्द "ट्रांसफर" और लड़के खुद चले जांय, इसमें भेद है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जिन अव्यवस्थाओं के कारण लड़कों को जोबनेर छोड़कर उदयपुर जाना पड़ा उन अव्यवस्थाओं को दूर करने के लिये सरकार ने क्या किया ?

श्री अध्यक्ष—जबाब दे दिया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जवाब कहां दिया ?

श्री अध्यक्ष—Order ! Order !!

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—If any amount has been earmarked for agricultural education in the second Five Year Plan, will any major part of it be allotted to the Jobner College as an older institution ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—Please refer to part (p)

श्री विश्वंभरनाथ जोशी—That does not relate to the sum regarding which I am talking.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—Yes, It does not. But it says that requirements of each college will be met according to the resources available with the Government.

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—Has the Government taken a decision to accept the parity between Jobner College and Udaipur College in the matter of scales of pay of teachers, facilities to students, library and laboratory facilities, etc. ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—They were fixed according to the status of each college.

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—No, no. My question is whether the Government in prepared to accept the parity between Jobner College and Udaipnr College...

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—If I say salaries were fixed...

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी— Not only that. General matter of parity in laboratories and...

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—The question has been sufficiently debated, I think.

श्री अध्यक्ष—Order please!

I was given to understand that the Minister had accepted reply to this long question and there was no scrutiny by the office of such a long question and then for 15 minutes continiously it has been debated upon.

श्री विश्वंभरनाथ जोशी—It is a matter of urgent public ilmportance.

Page No.32

श्री अध्यक्ष—Of course. It has arisen so many times.

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री ज्ञानचन्द मोदी ने विधान सभा की बैठकों से १७ और १८ मई, १९५६ तक अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिये प्रार्थना की है।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

राजस्थान कृषि-ऋणिता निवारण विधेयक, १९५६

(प्रवर समिति को)

श्री दामोदरलाल व्यास !

श्री दामोदरलाल व्यास—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान कृषि ऋणिता निवारण विधेयक, १९५६ को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे ;

१. प्रभारी मन्त्री।
२. श्री गोपीलाल यादव।
३. ,, मोतीलाल चौधरी।
४. ,, गौरीशंकर आचार्य।
५. ,, सोहनलाल भटनागर।
६. ,, गोपाल भार्गव।
७. ,, रामकरण जोशी।

Page No.33

[श्री दामोदरलाल व्यास]

८. श्री रोहनलाल शर्मा ।
९. ,, रामरतन टिक्कीवाल ।
१०. ,, कुम्भाराम आर्य ।
११. ,, माधोप्रसाद ।
१२. ,, कंवरलाल जेलिया ।
१३. ,, घासीराम यादव ।
१४. ,, सरदार हरलालसिंह ।
१५. ,, वेदपाल त्यागी ।
१६. ,, हरिकृष्ण व्यास ।
१७. ,, भैरूसिंह खाचरियावास ।
१८. ,, मानसिंह महार ।
१९. ,, जवानसिंह ।
२०. ,, मोहब्बतसिंह ।

यह समिति अपना प्रतिवेदन अगले अधिवेशन के शरू होने पर पहले हफ्ते में उपस्थित करेगी ।

श्री अध्यक्ष – Motion moved.

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि ऋणिता निवारण विधेयक, १९५६ को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे ।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । नेक्स्ट ।

राजस्थान शीरा (नियन्त्रण) विधेयक, १९५६ (प्रवर समिति को)

श्री अमृतलाल यादव — अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान शीरा

Page No.34

[श्री अमृतलाल यादव]

नियन्त्रण विधेयक, १९५६ को प्रवर समिति के सुपर्द किया जाय। जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे :

१. प्रभारी मन्त्री।
२. श्री मंगलसिंह कछवाहा।
३. ,, लक्ष्मण हीरात।
४. ,, भैरोंसिंह केलवा।
५. ,, जयसिंह राणावत।
६. ,, जयचन्द।
७. ,, भैरोंलाल कालाबादल।
८. ,, बी. एन. जोशी।
९. ,, हंसराज आर्य।
१०. ,, प्रभुदयाल।
११. ,, मानसिंह।
१२. ,, रावत श्री शम्भुसिंह।
१३. ,, रावराजा सरदारसिंह।
१४. ,, जगतसिंह झाला।
१५. ,, हनवन्तसिंह।
१६. ,, भोपालसिंह।

यह समिति अपना प्रतिवेदन अगले अधिवेशन के प्रारम्भ होने के पहले सप्ताह में उपस्थित करेगी।

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान शीरा (नियन्त्रण) विधेयक, १९५६ को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

(स्वीकृत)

Page No.35

[श्री अध्यक्ष]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इस समिति के जो मिनिस्टर इन्चार्ज हैं वे इसके सभापति रहेंगे और इसी तरह से दूसरी प्रवर समिति है उसके मिनिस्टर इन्चार्ज भी उसके सभापति रहेंगे।

(इसके आगे की कार्यवाही के लिए कृपया ग्रन्थ ९ ए., देखिये)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक-२६ मई, १६५६.

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या १०१२ का उत्तर देखिये)

SUPPLEMENTRY ANSWER

The proposed achivement of Road mileage against the proposed expenditure in the various Districts is as under :

S. N.	District.	Approximate length of road mileage completed during the Ist. Five Year Plan Both. new and Improvement works.					Expected Exp. in thousands 130 Lakh	Total grant.	Total.
		Painted.	Metalled.	Grvld.	P. W.				
1.	Jaipur.	33P	141M	--	5F	179 miles	4600	263	4863
2.	S. Madhopur.	9P	88 M	86	38	143	2400	12	2412
3.	Tonk.	14	27	--	--	41	1000	--	1000
4.	Jhunjhunu.	10	25	--	--	35	700	19	719
5.	Sikar.	--	25	--	•	25	2000	--	2000
6.	Alwar.	--	183	--	20	203	4900	34	4934
7.	Bharatpur.	30	89	--	12	131	3700	--	3700
8.	Kotah.	36	80	27	1	144	3000	--	3000
9.	Bundi.	--	29	--	12	41	900	--	900
10.	Jhalawar.	--	27	10	--	37	1200	--	1200
11.	Jodhpur.	138	92	38	--	263	3100	1398	4498
12.	Nagour.	16	79	79	--	174	1600	--	1600
13.	Pali.	75	88	35	--	148	8400	--	2500
14.	Jalore.	--	27	67	--	94	800	--	800
15.	Sirohi	18	29	-	--	47	800	--	800
16.	Barmer.	--	--	161	--	161	800	--	800
17.	Jaisalmer.	20	41	28	--	89	600	580	1180

Page No.37

1				2			3		4
18. Bikaner.	4	3	--	--	7	200	--	200
19. Ganganagar,	27	30	--	--	57	3500	1064	4564
20. Churu.	5	39	--	--	44	1300	48	1348
21. Udaipur.	31	85	59	5	180	3500	--	3500
22. Chittor,	--	52	18	-	70	2500	-	2500
23. Bhilwara.	-	88	7	1	96	2500	--	2500
24. Banswara.	--	52	--	—	52	1500	--	1500
25. Dungarpur.	--	25	46	--	29	1300	--	1300
Total :	466	1394	541	94	2495	50800	3418	54218
Deduct for 130 Lakhs works.	46	23	-	-	69			
Net mileage of Five Year Plan Works.	420	1371	541	94	2426 miles.			

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या १०१५ का उत्तर देखिये)

List of new police Stations constructed in Jaipur Divn. during the last Five Years.

S. N.	Name of Districts.	Name of Police Station.	Remarks
1.	Bharatpur.	Besai Dang. (Dholpur)	Under construction.
1,	Bharatpur.	Mandawar (Dausa)	Under construction.
2.	Sawaimadhopur.	Pipalu.	-do-
3.	Distts. Dn.	Chomu.	Completed, Final bill has not been paid.
4.	City Divn.	Statue Circle. ('C' Scheme)	Under construction.
5.	Alwar *	Pilani (Jhunjhunu)	Nearing completion
		'B' Class Police Station at Malsisar.	Work will be started shortly.
		Patan (sikar)	Sanction recently recd.
		Kherli Mandi (Alwar)	* completed.

Only buildings completed for the last there years.

राजस्थान विधान सभा

५२ अ वीं बैठक, शुक्रवार, दिनांक १८ मई, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में ८ बज कर ७ मिनट पर प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष पदासीन)

(प्रश्न भाग व विधायी कार्य के लिये कृपया सन् १९५६ के कार्य विवरणों के ग्रन्थ ६ की संख्या ५२ वीं देखें)

९ बज कर ८ मिनट

श्री मथुरादास माथुर के पत्र विषयक श्री वेदपाल त्यागी के प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष :—Yes, now we come to the third item on the agenda, substantive motion.

श्री लालसिंह शक्तावत :—माननीय अध्यक्ष, मेरा यह निवेदन है कि जो मौलिक प्रस्ताव श्री वेदपाल त्यागीजी प्रस्तुत करना चाहते हैं वह प्रस्ताव पहले भी प्रस्तुत हो चुका है और इसके लिये किसी प्रकार की स्वीकृति नहीं होनी चाहिये । इस सिलसिले में पहले सदन में कई दफा व्यक्तिगत चर्चाएं हुईं और एक दिन तो विशेष रूप से इस पर बहस हुई और विरोधी दल के नेता और सदन के दूसरे सदस्यों ने विरोध किया और कहा कि यह पार्लियामेंट की स्वस्थ परम्पराओं के विरुद्ध होगा । वही प्रश्न आज फिर प्रस्तुत हुआ है । यह एक एक्स्ट्राऑर्डिनेरी प्रोसीजर रख रहे हैं और कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात के होने के लिये एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉजेज भी होने चाहिये । जो मथुरादास जी माथुर के विषय में कहा जाता है कि सिफारिश की और इससे किसको ज्यादा फायदा हुआ और उसका क्या प्रभाव हुआ, इस बात को लेकर कई दफा चर्चाएं हुई । मैं मानता हूं कि सिफारिश के मामले कोई व्यक्तिगत नहीं हैं । यदि हम विचार करें तो हमें मालूम होगा और कई सदस्यों की जानकारी में है कि सिफारिश का मामला एक साधारण है । लेकिन मैं इसके मेरिट्स में नहीं जाना चाहता । इसी तरह से कई मामले होंगे कि किसी का संबंध किसी डकैती से है या किसी सदस्य के मर्डर या कत्ल से है, तो ये ऐसे हैं जो बहुत सोरियस है । लेकिन इसके विषय में क्या सदन उपयुक्त स्थान है जहां उसकी कार्यवाही होनी चाहिये ? मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि यह बात गलत है या सही और मैं मामले के मेरिट पर बहस नहीं करना चाहता । मैं तो साउन्ड पार्लियामेंट्री कन्वेन्शन्स के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि हमें स्वस्थ परम्पराओं

[श्री लालसिंह शक्तावत]

को कायम करने के लिये क्या किसी सदस्य के प्राइवेट या निजी काम, जो जा-बेजा या जा व्यक्तिगत रूप से किया गया है उनके चार्जेज़ सदन में प्रस्तुत करके सदन को एक न्यायालय के रूप में रख कर उसके बारे में यहां विचार हो सके। इसके लिये तो मैं यह मानता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिये क्योंकि सदन के जो कार्य हैं बान्ड हैं और सदन के लिये इसके संबन्ध में जुरिस्डिक्शन बना है। इसके लिये प्रोपर कोरम होना बहुत ही जरूरी है। इसके लिये पहले दृष्टान्त भी दिये गये हैं। ऐसी नजीरें हमारे भारत वर्ष में बहुत कम मौकों पर आई हैं। यदि आप पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्ज़ को निकाल कर देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि ऐसे बहुत कम केसेज़ हैं जिनमें सदस्य विशेष के विरुद्ध सदन ने कार्यवाही की हो। सदन के विरुद्ध सदन उस हालत में कार्यवाही करता है जब इस सदन के सदस्य के एक्शन ऐसे हों जो सदन के लिये घातक हों और अपमानित करने वाले हों और ऐसी विशेष बात पैदा हो जाए जिसके कारण सदन जाब्ते की कार्यवाही नहीं करवा कर सदन स्वयं उसमें कार्यवाही करना अपने पर ले ले और यह समझे कि इसको सदन में किया जावे। मगर इसमें भी एक मर्यादा है। जब इस प्रकार का प्रश्न आवे और सदस्यों की राय हो कि सदन कमेटी बिठावे तो उस सूरत में वह मामला सदन के नेता के सुपुर्द किया जाता है और सदन का नेता अपनी जानकारी करके अगर इस नतीजे पर पहुंचे कि उस पर कोई सदन की कमेटी बिठानी चाहिये जो सदन से संबन्धित है और इस संबन्ध में कार्यवाही करनी चाहिये तो उस प्रस्ताव पर कार्यवाही होती है। मगर यहां पर मैं यह देखता हूं कि यह प्रस्ताव माननीय नेता की तरफ से नहीं आया है किन्तु एक माननीय सदस्य की तरफ से आया है। इसलिये वह तरीका भी उपयुक्त नहीं है। हमारे यहां नियम में लिखा है :—"Repetition of motion". जिस पर चर्चा होकर सदन ने मुल्तबी कर दिया उसको वापिस लेकर वाद-विवाद अब करना चाहते हैं।

इसके अलावा इस प्रस्ताव को स्वीकार करने का मतलब यह होगा कि सदन की जो साधारण कार्यवाही है जैसे लेजिस्लेटिव बिजनेस आदि उसको स्थगित करके हम एक विशेष प्रस्ताव को ले रहे हैं यानि it amounts to an adjournment motion.

एडजोर्नमेन्ट मोशन से मिलती-जुलती यह कार्यवाही होगी। इसके अलावा जो भी बातें होंगी वे व्यक्तिगत होंगी। यह कोई पब्लिक इम्पोर्टेन्स में भी नहीं आता। अब रहा प्रिविलेज का मामला। वैसे देखा जाय तो यह प्रिविलेज मोशन में भी नहीं आता क्योंकि यह सदन के किसी सदस्य का ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुआ हो, वह भी बात नहीं। इसके अलावा यह एक तरह का प्रस्ताव होगा पहले भी और कोई जगह क्या ऐसी परम्परा हुई उसको अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि ऐसे कोई प्रस्ताव होते हैं वे सदन के नेता द्वारा प्रस्तुत होते हैं लेकिन जब इस प्रस्ताव में सदन के नेता की सम्मति नहीं है और दूसरे माननीय सदस्य इस प्रस्ताव को उपस्थित करते हैं तो उसका मतलब यह है कि सदन के नेता में उनका विश्वास नहीं, यह एक प्रकार से सदन के नेता के खिलाफ अविश्वास के प्रस्ताव के तौर पर हो जाता है। इस तरह से प्रस्ताव ने एक प्रकार से इन्डाइरेक्टली नो कोन्फीडेन्स मोशन का स्वरूप ले लिया है। मैंने इस विषय में किसी का संरक्षण नहीं लिया किन्तु इस बात पर मैंने बहुत गंभीरतापूर्वक विचार किया है और मैं इस नतीजे पर पहुचा हूं कि इस मामले को वाद-विवाद में लिया

[श्री लालसिंह शक्तावत]
जाकर इस पर वोटिंग लिया जाना उपयुक्त नहीं होगा। इसको अगर वाद-विवाद में लिया जाता है तो इसमें जो बातें कही जायंगी वे उस मेम्बर के प्रति एक प्रकार से सेन्श्योर होंगी, उसके प्रति विरोधी भावनायें प्रगट होंगी जिसका निराकरण करना और सदन में कही हुई बातों पर जाब्ते से कोई कार्यवाही नहीं कर सकते, किसी कोर्ट में जाकर कोई कार्यवाही नहीं कर सकते। यह एक तरह से जो फ्रीडम ऑफ स्पीच, वाकस्वतंत्रता हमें मिली है उसका एक प्रकार से दुरुपयोग होगा। इस तरह से यह एक परम्परा हो जायगी कि आज किसी एक सदस्य के प्रति इस प्रकार का प्रस्ताव आया और कल किसी दूसरे सदस्य के प्रति ऐसा प्रस्ताव आ सकता है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इस तरह की कोई कमेटी अपोइन्ट नहीं होनी चाहिये। इससे कोई विशेष लाभ नहीं होगा। वैसे भी सदस्यों को जो नाराजगी है वे यहां निकाल लेंगे और जो पब्लिसिटी इसको मिलेगी वह मैं समझता हूं यहां पर जो आलोचना होगी वह सेन्श्योर से भी कहीं ज्यादा है, जो कि उस सदस्य के प्रति इस वजह से होजायगी। यह जो हमारे सदन में फ्रीडम ओफ स्पीच मिली हुई है यहां पर हम कोई भी बात कह सकते हैं जिसके बारे में कोई भी कार्यवाही नहीं हो सकती। उसके कारण आप किसी भी सदस्य के प्रति कोई भी विरोधी भावना प्रदर्शित कर सकते हैं लेकिन यह तय शुदा बात है कि यह प्रस्ताव मन्जूर होने वाला नहीं, पहले जब यह प्रस्ताव आया था इस पर वाद-विवाद हुआ अगर उसी समय वोटिंग भी होता तो यह प्रस्ताव गिर जाता; जहां तक मेरी जानकारी है, यह होता। लेकिन मैंने उस समय विरोध इसलिये नहीं किया कि यह प्रस्ताव गिर जायगा और उस समय इसका गिरना निश्चित था। मेरा उस समय विरोध इसलिये था कि हम इस प्रकार के प्रस्ताव से अस्वस्थ परम्परा कायम करेंगे। इसलिये मेरा सदन के माननीय सदस्यों से इस बारे में निवेदन है कि वे इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करें और इसको पेश करने की अनुमति ही नहीं देनी चाहिये। आज एक के खिलाफ ऐसा प्रस्ताव आया है तो कल दूसरे के खिलाफ भी प्रस्ताव आ सकता है? गलतियां कौन करता है, कौन नहीं करता, यह बात जाने दीजिये। लेकिन हमें यह देखना है कि क्या इस प्रकार की बातों के लिये सदन उपयुक्त स्थान है और क्या सदन के माननीय सदस्य इस प्रकार की आलोचना-प्रत्यालोचना कर सकते हैं? सदन जिसका काम कानून बनाना इत्यादि आवश्यक कार्यवाही करना है उन आवश्यक कार्यों को स्थगित करके एक सदस्य विशेष को लेकर उसके प्रति हम अपनी भावनायें इस तरह से प्रगट करें, जिसका विरोध करने का उसके पास कोई चारा नहीं है। इसलिये मेरा माननीय अध्यक्ष के जरिये माननीय सदस्यों से निवेदन है और मेरा तो यह मत था कि यह प्रस्ताव लिस्ट ऑफ बिजनेस में भी स्वीकृत नहीं होना चाहिये था। अगर लिस्ट ऑफ बिजनेस में आ गया है इस नीयत से कि सदन के सदस्य इस पर अपनी राय दे सकें तो मेरा सदन के माननीय सदस्यों से यह निवेदन है कि वे इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करें और इस मूल प्रस्ताव को ही स्वीकृति नहीं देनी चाहिये।

श्री हरिकृष्ण व्यास :—अध्यक्ष महोदय, जो ऐतराजात अभी उठाये गये हैं उस पर मुझे भी दो बातें कहनी हैं।

(घंटी)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) :—माननीय अध्यक्ष, मैं समझता हूं कि यह प्रश्न कई बार सदन में आया है और इस प्रकार से आया है जिसके अन्दर न तो पार्लियामेन्टरी प्रेक्टिस और

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

न कनवेन्शन की बात ही थी ; ये बातें तो कहीं रह गई, इस पर काफी चर्चा हो चुकी पहले भी ।

(इस विषयक पूर्व की बातों के लिये कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

अगर माननीय उपाध्यक्ष जी ने जो बातें कहीं वे क्या कोई प्रस्ताव के रूप में हैं या किस प्रकार से हैं, यह मैं समझ नहीं पाया । जहां तक उनके कहने का मतलब यह हो कि इस प्रस्ताव के बारे में सदन की अनुमति ली जाय तो वैसा भी किया जा सकता है । लेकिन जो कुछ भी बातें माननीय उपाध्यक्ष जी ने रखीं उन बातों पर निर्णय लेना सदन के लिये संभव भी है या नहीं, वह अधिकार क्षेत्र की बात है या नहीं ; इसके बारे में माननीय अध्यक्ष, कोई आदेश दें उसके बाद ही मैं अपनी राय जाहिर कर सकता हूं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास :—विषय तो बहस में आ गया, मुझे भी कुछ कहने दीजिये ।

श्री अध्यक्ष :—There are so many things which are not in the form of a definite motion.

मोशन अभी आया नहीं है । प्राइमाफेसी मोशन के बारे में जो डिबेट्स हुई उस स्टेज पर हाउस वोट करके इसको गिरा सकता है या रिजेक्ट कर सकता है ; यह एक स्टेज है ।

दूसरी स्टेज यह है कि जो चर्चा हुई एक माननीय सदस्य के खिलाफ उनको हाउस में जवाब देने का मौका दिया जाय या न दिया जाय, what is the definite motion, I want to know? Unless it is in writing I am at a loss to arrive at any conclusion.

श्री लालसिंह शक्तावत :—मेरा निवेदन तो यह है कि इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की स्वीकृति ही न दी जाय क्योंकि यह पार्लियामेन्टरी प्रेक्टिस के विरुद्ध है ।

श्री अध्यक्ष :—But a substantive motion cannot be withheld under Rule 83 or so. After seven days a substantive motion cannot be withheld.

श्री हरिकृष्ण व्यास :—माननीय अध्यक्ष, प्रस्ताव प्रस्तुत होने से पहले मुझे प्रिलिमिनरी ओब्जेक्शन करना है । पिछले बजट अधिवेशन में जब इस प्रश्न पर विचार हुआ था और उस समय पूरा वाद-विवाद होने के बाद सदन के नेता महोदय ने यह कहा था कि वे इस प्रश्न को अपनी ओर से जांच करवाने के लिये पूरी तरह से तैयार हैं और जांच पूरी हो जाने के बाद उनकी क्या राय बनती है अथवा माननीय अध्यक्ष की क्या राय बनती है, उसके बाद वह सदन के समक्ष प्रस्तुत की जायगी । आज जब कि यह प्रस्ताव प्रस्तुत हो उससे पहले सदन के नेता महोदय को यह जवाब तो सदन में देना चाहिये कि उन्होंने जांच करवाने के बारे में जो आश्वासन दिया था वह पूरा किया अथवा नहीं क्योंकि मेरे पास वे सब कागजात मौजूद हैं, अध्यक्ष महोदय, जो पत्र-व्यवहार इस बारे में मेरा उनके साथ हुआ है । आप आज्ञा दें तो तारीख वार सदन में वह मैं प्रस्तुत कर दूं, जिससे सारी स्थिति सदन के सामने आ जायगी । जहां हम परम्परा की बात करते हैं, पार्लियामेन्टरी कन्वेन्शन की बात करते हैं वहां हमें यह देखने में आता है कि इस सदन में जो आश्वासन दिया गया कि मैं जांच कराने के लिये तैयार हूं वहां इस सिलसिले में जो मेरा उनसे पत्र-व्यवहार हुआ है उसके अन्तर्गत जो मैंने इस बारे में सुझाव दिया उस पत्र का साढ़े तीन महीने से कोई उत्तर मुझे नहीं दिया गया । अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं वह पढ दूं । इसलिये मेरा यह निवेदन है कि उनसे पूछा जाय कि इस बारे में उन्होंने क्या कदम उठाया है ?

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

इसके बाद ही यह प्रस्ताव प्रस्तुत करने की स्थिति पैदा होगी।

मैं यह कोरेस्पोन्डेन्स पढ़ दूं ?

श्री अध्यक्ष :—अभी नहीं। आप मोशन मूव करने दीजिये।

श्री हरिकृष्ण व्यास :—आप पूछियेगा तो सही कि जांच का क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष :—आप मोशन आने दीजिये।

श्री वेदपाल त्यागी :—अभी जांच का पता लग जावेगा मोशन मूव करने पर।

श्री हरिकृष्ण व्यास :—आप लोग तो पता करिये कुछ न कुछ ?

(घंटी)

श्री अध्यक्ष :—आप पहले मोशन मूव होने दीजिये। फिर कोई ऐतराज है किसी चीज पर तो करिये।

श्री हरिकृष्ण व्यास :—मूव करने के पहले ऐतराज है। मूव करने के बाद तो ऐतराज का क्या सवाल है ?

श्री अध्यक्ष :—No, when the Chief Minister will reply he will cover everything and all points raised.

श्री वेदपाल त्यागी :—मोशन मूव करने से पहले मैं यह पूछना उचित समझूंगा कि मेरे मोशन मूव करते ही माननीय सदन के नेता रिप्लाई करेंगे और उस पर मेरे जो कुछ भी विचार हैं और उनका रिप्लाई है उसको कन्सीडर करके कोई निर्णय लेंगे या क्या ?

श्री अध्यक्ष :—आप मूव करिये।

श्री वेदपाल त्यागी :—माननीय अध्यक्ष, मेरा मोशन इस प्रकार है :

"1. That a Committee of five members of the House be appointed by the Hon'ble Speaker,

(a) to investigate the activity of Shri Mathura Das Mathur, an hon'ble member of the Rajasthan Legislative Assembly, regarding his letter dated 10-1-53 addressed to the Director of Education, Government of Rajasthan, which inter alia establishes prima facie the following facts with regard to his conduct as a member of this House :—

(i) Shri Mathur obtained the secrets of the Government in an unauthorised manner for business contact,

[श्री वेदपाल त्यागी]

(*ii*) He wrote recommendatory letter to an official of the Government to secure business from the Government for Shri Ganpat Mathur in whom he was directly interested.

(*iii*) He influanced or attempted to influence the Government official in the discharge of his function for the furtherance of his personal ends.

(*iv*) As is evident from his own words, Shri Mathur is in the habit of doing such things;

(*b*) to consider and report by the last day of the first week of the next session whether the conduct of the Hon'ble Member was derogatory to the dignity of the House and inconsistent with the standards which this House is entitled to expect from its members.

2. That the quorum of the Committee shall be three.

3. (*a*) That the Committee shall have power to hear and/or to receive evidence, oral or documentary connected with the matters referred to the committee or relevant to the subject-matter of the enquiry and that it shall be in the discretion of the committee to treat any evidence tendered before it as secret or confidential:

(*b*) that the committee shall have the power to bear and/or to receive evidence, oral or documentary in Jaipur and/or any other place as the Speaker may decide.

4. That Shri Mathura Das Mathur has leave to be heard before the Committee by himself or by counsel, if he thinks fit, and the Committee may hear counsel to such extent as they think fit on behalf of any other person.

5. That the Hon'ble Speaker may, from time to time, issue such directions to the Chairman of the Committee as he thinks necessary for regulating the procedure and organisation for the work of the Committee."

अध्यक्ष महोदय यह सचमुच न मेरे लिये वल्कि सदन के लिये एक दुर्भाग्य का दिन है कि हमको हमारे सदन के एक माननीय सदस्य के विरुद्ध इस प्रकार का मोशन मूव करने के लिये बाध्य होना पड़ रहा है । मैं सदन का ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जो प्रोसीडिंग्स अक्टूबर के महिने में, पिछले अक्टूबर में इसी मामले के सम्बन्ध में इस सदन में हुई उस समय बहुत से माननीय सदस्यों ने यह एतराज किया कि ऐसे मोशन को लाने से पूर्व यह आवश्यक है कि इस सम्बन्ध में जो एलीगेशन्स किये जा रहे हैं, पहले यह मालूम किया जावे कि आया उन माननीय सदस्य के विरुद्ध, जिनके विरुद्ध आरोप आ रहा है कोई प्राइमा फेसी केस बनता है या नहीं ? क्योंकि जैसे आज दुहाई दी जा रही है और परम्पराओं के आधार पर मांग की जा रही थी कि इस मोशन को इस सदन में मूव न करने दिया जावे और इसको यहीं दफना दिया जावे, उन परम्पराओं के आधार पर ही सदन के समक्ष हमारे माननीय सदन के नेता

[श्री वेदपाल त्यागी]

ने हमको यह आश्वासन दिया था कि वे इस सम्बन्ध में जांच करेंगे, जानकारी करेंगे और माननीय अध्यक्ष को जो कि सदस्यों के राइट्स के कस्टोडियन हैं, उनको कॉन्फीडेन्स में लेकर यहां सदन को रिपोर्ट करेंगे कि प्राइमा फेसी केस बनता है या नहीं ? उसको आज सात महीने से ऊपर का अर्सा हो गया । इस बीच में आपकी जानकारी के लिये मैं यह बताना उचित समझूंगा कि मेरे पास एक खत माननीय नेता का आया। उसमें उन्होंने लिखा था कि अगर आपके पास ऐसी कोई शहादत है जिससे यह बात साबित होती हो कि इस पत्र के लिखने से माननीय माथुर को कोई लाभ पहुंचा हो तो आप उस शहादत को पेश करें। उस पत्र का उत्तर मैंने चार पृष्ठों में दिया था जो कि मैं सदन के समक्ष रखना उचित समझूंगा क्योंकि उसमें कई मुद्दे ऐसे थे और वे मुद्दे बेसिक मुद्दे थे, फन्डामेन्टल पोइन्ट्स थे जिनको मैंने उनके सामने रेज़ किया था । मैं यह समझता हूं कि जहां इस प्रकार का कोई पत्र लिखा जावे और उस पत्र का लिखना माननीय सदस्य स्वीकार करें तो हमको पहले पहल यह देखना उचित होगा कि आया पत्र लिखने से उन्होंने अपना कोई ऐसा कन्डक्ट जाहिर किया है कि जिसके अनुसार आज सदन के एक माननीय सदस्य होने के नाते जिस कन्डक्ट की उनसे आशा की जाती है, उसके विपरीत काम किया है या नहीं ? मैं निवेदन करूं कि इसके प्राइमा फेसी नेचर को देखने के लिये सबसे पहले इस बात की आवश्यकता थी, लेकिन जो कमेटी का काम था उसको करने का शायद माननीय नेता ने अपना कदम उठाया और इस चीज को वे बिल्कुल भूल गये । मैं उस पत्र की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा जो मैंने माननीय नेता को लिखा ।

यह दिसम्बर ५५ में उनके २२-११-५५ के पत्र के उत्तर में पत्र लिखा था ।

"My dear Sukhadia Sahib.

I am in receipt of your letter No. 181/PA/C.M./55 of 22-11-55 which requires me to disolose facts that can go to substantiate the allegation that Shri Mathur had derived personal advantage by writting recommendatory letter to the Director of Education. In this connection. if permitted, I would take the liberty to place my view point with some details about the scope of enquiry that you as a leader, have to conduct to ascertain whether prima facie case of misconduct has been made out against the Hon'ble Member of the House that needs enquiry by the House and its verdict thereon.

Unfortunately, we have no written code to guide the conduct to the Hon'ble Members of the House, therefore, we have to look to the practice followed in countries where democracy is practised and where certain conventions have developed which lay down certain standards of conduct which may help you to judge the conduct of Shri Mathur. while submitting the report on the conduct of Shri Mudgal to the Parliament Shrimati Durgabai mentioned in her note twelve illustrations based on the practice of U.K. & U.S.A. which bear on the conduct of the members and standard which Legislature expects from them. I will quote the following three illustrations from the Mudgal Enquiry Report and shall submit that in the light of these observations if the conduct in question of Shri Mathur

[श्री वेदपाल त्यागी]

is scrutinised then it speaks for itself and leaves no scope for further enquiry to establish the prima facie nature of the case. The relevant illustrations given by Shrimati Durgabai are as follows :—

(i) A member should not try to secure business from Government for a firm, company or organisation with which he is directly or indirectly concerned.

(ii) A member should not unduly influence the Government officials of the Minister in a case in which he is interested financially either directly or indirectly.

(iii) A member should not write recommendatory letters or speak to Government officials for employment or business contract for any of his relations or other persons in whom he is directly or indirectly interested.

If we persue the letter of Shri Mathur in the context of his admission made on the floor of the House on 19-3-55, then applying these above referred standards, no further facts are required to conclude that a prima facie case stands against Shri Mathur that calls for an immediate enquiry. He had admitted the authorship of the letter, which contains the Government secret obtained in an unauthorised manner (the secret code number of the department), written with a view to influence the Director of Education to prescribe a book of Shri Ganpat Mathur in whom, according to him, he was directly interested. Shri Mathur's plea that he was interested in Shri Ganpat Mathur because he was a social worker cannot justify his action as no social worker could claim any help by means of stealing and using secrets of the Government and influencing the officials to do things, which, under the ordinary course, they would have perhaps refrained to do if they were left to themselves. The contents of the book as well as the relevant Government records, when peruse dispassionately, speak about the effect that the letter could carry with it, and if I am permitted to have an access to the file, I am confident I will be able to convince you that it was the effect of this letter that the book could be prescribed for the whole of Rajasthan, whereas in ordinary course, it could be done only for one zone. The letter had its desired effect not only at one stage but at various stages, which can be explained to you when I am permitted to do so with the help of the record which is in the possession of the Government. I will not be out of place to mention that the huge yearly profit that accrues to the publisher is the result of the influence of Shri Mathur which play-edits part whenever difficulty arose in the way of Shri Ganpat Mathur to get the book prescribed.

Shri Mathur and yourself while replying to the allegations made in this connection in the House laid much stress on the report made by the Reviewers

[श्री वेदपाल त्यागी]

and Head Reviewer to show that the book was already recommended by them before the letter was written by Shri Mathur, but this reply is of no avail to Shri Mathur to exonerate him from the charge as he addressed the letter to the Director who was a member of the Text book Committee who had to play his part after the reviewers have finished their part of duty.

The plea of Shri Mathur that the letter never reached Dr. Mathura Lal Sharma cannot be accepted in the light of the observations made by Shri Tikaram Paliwal in his letter addressed to you. The position of Dr. Sharma in this case is that of an accomplice and, therefore, his testimony is of no value especially when he himself showed the letter to Shri Paliwal in the circumstances that created an occasion for him to show the letter with a grouse that was natural to express. In my opinion it is beyond the scope of the enquiry which is being conducted by you to announce any verdict on the acceptibility or otherwise of the statement made by the accomplice especially when they have been contradicted by no less a member than Shri Tikaram Paliwal who has explained the circumstances under which Dr. Sharma was constrained to disclose this secret.

In my opinion, it would not be necessary at this stage to examine the witnesses to see if or not some personal pecuniary benefit is derived by Shri Mathur through this recommendation. It would suffice to see if Shri Mathur has transgressed these accepted notions about standards of conduct of a member of this August House which we expect from our members. It is needless to re-iterate that by writing this letter Shri Mathur did violet the established notion of standards of conduct by trying to secure a business by influencing a Government official for a person in whom he was directly interested. In my opinion it is beyond the scope of the preliminary enquiry to find out whether or not some personal benefit is derived by Shri Mathur out of this deal. This is a circumstance which can influence the recommendation of the Committee of the House to prescribe further course of action, against Shri Mathur if the House so chooses to set up the enquiry committee in this connection.

In the end, I would again take the liberty to express that the facts that have already come to your notice are sufficient to constitute a prima facie case. If you still feel that further discussions with me can in any way help you to arrive at right conclusions then you can call me at any time whenever it is convenient for you.

Actuated by a sense of duty to maintain the dignity of the House came out with a motion to set up an enquiry committee by the House to investigate the allegations made against Shri Mathur but when I got an assurance from you

[श्री वेदपाल त्यागी]

that partiamentary tradition will be observed in making preliminary enquiry before the matter is finally placed for decision before the House I withdraw the same. I may assure you that my decision to withdraw the motion would in no way effect that sense of duty which guided me to move that motion and you will not find me wanting in extending my co-operation to enable you to arrive at right conclusion in setting up the standards of conduct for the members of the House at this initial stage of democracy which would serve as an example for posterity in laying down the code of conduct for person occupying responsible office in the democratic set up."

माननीय अध्यक्ष, इस पत्र के लिखने के बाद मुझे माननीय नेता की तरफ से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। मैं समझता था कि प्रिलिमिनरी एन्क्वायरी में या तो मुझको जिसने कि मोशन इस हाउस में मूव किया था या श्री एच. के. व्यास को इसमें बुलाते और उनसे बातचीत करते और बाद में आपके समक्ष कुछ रिपोर्ट पेश करें। यह सत्य है कि हमारे यहां डेमोक्रेसी का श्रीगणेश हुआ है। हम अभी बाल्यावस्था में से गुजर रहे हैं इसलिये इसके कोई निश्चित तौर पर हमारे पास केसेज हो सकते हैं कि जिनको इस सम्बन्ध में रेफर किया जाय और जो कि ग्रॉल फोर्स इस प ए लाई जा सकें। इसलिये हमारे सदन के सदस्यों का इस प्रकार का कन्डक्ट हुआ है उसके लिये उन देशों की तरफ देखना पड़ेगा जहां डेमोक्रेसी वर्षों से चल रही है, सदियों से चल रही है, और श्रीमती दुर्गाबाई ने अपनी रिपोर्ट में युनाइटेड स्टेट्स और ब्रिटेन की कुछ बातों को लेकर वे १२ बातें लिखी हैं कि जिनके संबंध में मैंने तीन बातें जो कि हमारे केस पर लागू होती हैं मैंने उस लेटर में उद्धृत की हैं। मैं यह निवेदन करूं कि कोई लिखित कन्डक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी डेमोक्रेसी के नोशन और ब्रिटेन से संबंध के कारण हमारे अन्दर उनका इतना अनुकरण हो चुका है कि हम जानते हैं कि कौन से कार्य ऐसे हैं कि जिनको करने से सदन की शोभा घटेगी और कौनसे कार्य ऐसे हैं जिनके करने से सदन की शोभा बढ़ सकती है। इसलिये आज हमें देखना यह है कि श्री मथुरादास माथुर ने जो पत्र लिखा है वह क्या इस श्रेणी में आता है कि जिसको देखकर यह कह सकें कि उन्होंने एक ऐसा कार्य किया है कि वह हाउस के·······

श्री टीकाराम पालीवाल :—माननीय अध्यक्ष, मैं कोई ऐतराज नहीं करना चाहता लेकिन सिर्फ इस स्थिति को साफ करने के लिये मैं यह जानना चाहता था कि आखिर हाउस को इस बात का आश्वासन दिया गया था कि लीडर महोदय कुछ जांच करके हाउस के सामने, परम्पराओं के अनुसार, अपनी स्थिति रखेंगे, उसका क्या हुआ ? यह प्रश्न बाद में आता है। मैं समझता हूं कि ६ महिने से अधिक पिछले सत्र को खत्म हुए हो गये और यह सत्र भी दो महीने से अधिक से चल रहा है। यदि हाउस के नेता, जो उन्होंने जांच की है, उसके विषय में हाउस को जानकारी दे दें तो यह संभव हो सकता है कि इस मोशन पर विचार दूसरी तरह से किया जाय। इसको परस्यु (persue) करने की जरूरत नहीं रहती है और यदि कोई इसको परस्यु करना चाहें तो और बहुत से सदस्यों को अपना रुख निर्धारित करने में मदद मिलेगी। यह जरूरी बात नहीं है कि श्री वेदपाल त्यागी जो कर रहे हैं, जैसा कि वे सोचते हैं, वैसे ही सब लोग सोचते हों। लेकिन कई सदस्य तब तक अपने रुख, अपने एटीट्यूड,

[श्री टीकाराम पालीवाल]
अपने विचार, उस विषय में ठीक तौर से बना नहीं सकते । इसलिये हाउस के नेता ने जानकारी करके जो कुछ विचार बनाये हैं वे हाउस को बता दें, जिसके लिये कि उन्होंने वायदा किया था ।

श्री अध्यक्ष :—मैंने मोशन मूव करने की इजाजत दे दी है । जब नेता उसका जवाब देंगे तो जवाब आ जावेगा ।

श्री पालीवाल :—नेता यदि वह जानकारी दे दें, जो कि उन्होंने जानकारी की है, वह सामने आये तो विचार करने की धारा बदल सकती है ।

श्री वेदपाल त्यागी :—यह स्पष्ट है कि कोई जानकारी नहीं की गई । यह स्पष्ट है कि जो जांच की उसके नहीं बताने के कारण ही मेरा यह मोशन सदन के समक्ष आ रहा है । उससे साफ मालूम है कि जानकारी बताना नहीं चाहते या बता नहीं सकते शायद, क्योंकि वह यह समझते हों कि जानकारी बताने से नुकसान होता है । इसलिये बार बार इस बारे में कहना पड़ता है ।

श्री टीकाराम पालीवाल :—क्या अध्यक्ष महोदय सदन के नेता को नहीं कह सकते हैं कि वे अपने विचार बता दें ?

श्री अध्यक्ष :—On the proper time. यह प्रोपर टाइम नहीं है मेरे खयाल से ।

श्री हरिकृष्ण व्यास :—यही प्रोपर टाइम है, अध्यक्ष महोदय । जांच की या नहीं उसके बारे में फेक्ट्स बता दें ?

श्री अध्यक्ष :—Order please ? Yes, Mr. Tyagi. I have given him the possession of the floor.

श्री वेदपाल त्यागी :—वह तो ठीक है । मुझे सब का कन्सीडर करना पड़ता है । अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि लिखित कोड ऑफ कन्डक्ट नहीं है लेकिन उसके संबंध में जो नोशन्स हमारे बने हुए हैं डेमोक्रेसी के संबंध में वे बिल्कुल स्पष्ट हैं और उसी आधार पर हमारी पार्लियामेंट ने एक सर्क्यूलर इश्यू किया था, जिसका "House of the People—Hand Book of Members" नाम है और वहां के सेक्रेटरी मि० कौल ने उसे प्रकाशित किया है.....

कन्डक्ट ऑफ दी मेम्बर्स क्या है ? एक चेप्टर है जो पेज ३३ पर है कोड ऑफ मेम्बर्स । इसमें १२ मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है लेकिन मैं उन रिलेवेन्ट पोर्शन्स को ही पढ़ूंगा :

"2. A Member should not try to secure business from the Government or a firm, company or association with which he is directly or indirectly concerned.

A Member should not unduly influence the Government officers or the Ministers either directly or indirectly.

[श्री वेदपाल त्यागी]

"10. A Member should not elicit information from the Government in an unauthorised manner by inducing a subordinate to give information which in the course of his normal functions he should not do, nor encourage any such person to speak to him against his senior officials on matters of public importance and policy.

"12. A Member should not write recommendatory letters or speak to Government officials for employment or business contacts for any of his relations or other persons in whom he is directly or indirectly interested."

मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि ये सेट नोशन्स कन्डक्ट ग्रोफ मेम्बर के लिये ब्लेक एन्ड ह्वाइट हमारे सामने ग्रा चुके हैं ग्रौर ग्राज नहीं बहुत पहले ही ग्रा चुके हैं। जो लोग कि सदन के सदस्य बनने के ख्वाहिशगार हों उन्हें इन बातों का ज्ञान ग्रवश्य होता है ग्रौर मैं मान सकता हूं कि मथुरादास जी माथुर जैसे सदस्य, जो बहुत ऊंचे स्थान पर रहे हैं, काफी पढ़े-लिखे हैं, वकील हैं, ग्रच्छे वकील रहे हैं, ग्राज भी वकालत करते हैं, चाहे किसी तरह से करते हों, वे जानते हैं कि उन सेट नोशन्स के बारे में, मेम्बर के कन्डक्ट के बारे में वायोलेशन होता है, कोई ब्रीच होता है तो उसको ग्राज हम सदन में नहीं ला सकते हैं क्योंकि हाउस के बाहर ब्रीच हुग्रा है, इसलिये हाउस में उन मुद्दों को नहीं उठाया जा सकता। हाउस वह कोर्ट नहीं है, हाउस वह ग्रदालत नहीं है, हाउस वह जज नहीं है कि वह उन एक्शन्स पर विचार करे जो हाउस के बाहर किये गये हैं लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, ग्रध्यक्ष महोदय, इस सदन का कोई मेम्बर, कोई माननीय सदस्य, कोई बाहर काम कर ग्राये, जिनके द्वारा सेट नोशन्स पर कुठाराघात होता हो तो यह नहीं कहा जा सकता है कि चूंकि बाहर काम किया है लिहाजा इसको रोक नहीं सकते हैं। यदि ये नोशन्स हमारे ग्रब बन गये हैं तो मैं यह कहूंगा कि इस तरह से हर एक ग्रादमी को छूट देंगे कि वह सदन का सदस्य बनने के बाद उसका बेजा फायदा उठाये, उसके ऊपर एक ही चीज़ रहे कि वह सदन में जब तक रहें तब तक सदन में कुछ न करे, लेकिन सदन के बाहर हर तरह से उसको छूट होगी। ग्रब जो प्रिलिमिनरी ग्रोब्जेक्शन्स माननीय उपाध्यक्ष उठा रहे थे, मैं उस वक्त नहीं बोला था, लेकिन मैं ग्रब बता देना चाहता हूं कि इस प्रकार के जो नोशन्स हैं वे न किसी डेमोक्रेटिक कन्ट्री ने ग्रपनाये हैं ग्रौर न ही वे ग्रपना सकता है कि सदन के सदस्य को इस तरह से मिसबिहेव करने का सदन में ग्रधिकार नहीं है ग्रौर बाहर है। ग्रगर वे सदन के सदस्य हैं, उनकी सदन की सदस्यता का इनफ्लुएन्स बाहर भी जाता है ग्रौर उस सदस्यता का बेजा उपयोग करते हैं तो हाउस को ग्रधिकार है कि उसका कोग्नीजेन्स ले, ग्रगर इस प्रकार का उपयोग हाउस की डिग्निटी के लिए होता है तो हाउस को ग्रधिकार है कि उसका कोग्निजेन्स लेकर उसको वह पनिश भी कर सकता है।

ग्रब मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कई बातें हो चुकी हैं। यह पत्र सदन की मेज पर रखा गया, ग्रगले दिन उस पर प्रकाश डाला गया। वह पत्र किन हालतों में लिखा गया उस पर भी प्रकाश डाला गया। माननीय सदस्य जो इससे सम्बन्धित हैं उन्होंने भी एक्सप्लेनेशन दिया। यह खास तौर पर कहा गया जैसा कि उपाध्यक्ष महोदय ने कहा कि उनके ध्यान में भी यह मामूली बात है। मैं यह नहीं मान सकता कि बहुत से लोग चोरियाँ करते हैं लेकिन एक ग्रादमी चोरी करता है ग्रौर पकड़ा जाता है तो वही चोर है ग्रौर दूसरे नहीं हैं। ग्रौर लोग भी रिकमन्डेशन्स करते हैं, वे भी गुनहगार हैं"

[श्री वेदपाल त्यागी]

अलबत्ता यह बात है कि वे प्रकाश में नहीं आते । उन्होंने भी बहुत सी रिकमन्डेशन्स की हैं । लेकिन केवल एक पत्र पकड़ा गया है । चूंकि बहुत सारे पत्र नहीं पकड़े गये हैं तथा और एक्शन्स निगाह में नहीं आये हैं ; सुबूत नहीं हैं केवल एक जो पकड़ा गया है उस पर न लिया जाय, यह कोई दलील नहीं है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो सेट नोशन्स हैं हमारे सदस्यों के कन्डक्ट के सम्बन्ध में उनकी खिलाफवर्जी मथुरादास जी माथुर ने की है, वे दोषी हैं और वे इस दोष से बच नहीं सकते हैं ।

अब उस स्टेज के बारे में बहस करने के लिये खड़ा हुआ हूं और वह स्टेज वही है कि मथुरादासजी माथुर ने स्वयं अपने हाथ से पत्र लिख कर अपने मित्र श्री गनपत माथुर को कितना फायदा पहुंचाया है जिससे प्रभावित होकर सदन के नेता इन्क्वायरी न करा सके । वह पत्र यहां आया । मुझसे पूछा गया कि मथुरादासजी माथुर को पिकुनियरी गेन क्या हुआ ? मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पिकुनियरी गेन हुआ या नहीं हुआ, उनको हुआ या उनके किसी मित्र को हुआ, यह प्रश्न इस वक्त देखने का नहीं है, बल्कि यह तो उस वक्त देखने का है जब सदन इस नतीजे पर पहुंचे कि माननीय सदस्य ने पत्र लिखकर उन सेट नोशन्स को वायोलेट किया है, उस हद तक कितना वायोलेशन हुआ है, उसके लिये क्या सजा देना चाहिये, सजा देना चाहिये या नहीं, यह उस वक्त रिलेवेन्ट रहता है । अभी तो सिर्फ यह है कि माननीय सदस्य ने पत्र लिखा, वे कन्टेन्ट्स से डिनाई नहीं करते हैं, वे मानते हैं कि उन्होंने लिखा लेकिन आगे चल कर गली निकालना चाहते हैं जिससे उनकी बचत हो जाय । मैं यह निवेदन कर दूं कि ये गलियां इस स्टेज पर बचत नहीं करेंगी, मुगालता शायद दे दें । उस सम्बन्ध में मैं निवेदन कर दूं कि पत्र की लेंगवेज स्पष्ट है । एक किताब को प्रेस्क्राइब कराने के लिये श्री मथुरादासजी माथुर ने डाइरेक्टर एज्युकेशन को पत्र लिखा और उसमें वे सीक्रेट कोड नम्बर का जिक्र करते हैं । गवर्नमेन्ट ने कोड नम्बर्स इसीलिये बनाये कि कोई पब्लिशर रिव्यूअर्स, हैड रिव्यूअर्स और टेक्स्ट बुक्स कमेटी के मेम्बर्स को इनफ्ल्युएन्स नहीं कर सके । यह इसलिये किया कि किसी को इस बात का पता नहीं चले कि फलां पब्लिशर की किताब रिव्यूअर, हैड रिव्यूअर, टेक्स्ट बुक्स कमेटी के मेम्बर के पास गई है और यह पता नहीं लगे इसलिए गवर्नमेन्ट ने सीक्रेट कोड नम्बर्स इन्ट्रोड्यूस किया । मैं सदन के सदस्यों को याद दिलाना चाहता हूं कि इससे पूर्व भी जब इलेक्शन नहीं हुए थे, जब कि सदन का जन्म भी नहीं हुआ था तो उस वक्त शिक्षा मंत्री श्री मथुरादास जी माथुर थे । उस वक्त भी किताबें प्रेस्क्राइब की गई थीं और किताबों के सम्बन्ध में स्केन्डल हुआ, और अखबारों में जो इस बात की शोहरत हुई थी उसको महसूस करके सरकार ने, उन चीजों का कहीं रिपीटिशन न हो जाय, उन चीजों से बचने के लिये रिव्यूअर्स, हैड रिव्यूअर्स और टेक्स्ट बुक्स कमेटी को कोई इनफ्ल्युंस न कर सकें, उनको पता न लगे कि किसके पास किस की किताब गई है, सीक्रेट कोड नम्बर इन्ट्रोड्यूस किये । लेकिन उन सीक्रेट कोड नम्बर्स को उड़ाया गया । उस लेटर में उसको रेफर किया गया । डाइरेक्टर आफ एज्युकेशन को लिखा गया कि उस किताब का खयाल रखें जो कि फ्रन्टियर पब्लिकेशन में लिखी है । वह चीज जो सरकार द्वारा सीक्रेट रखी जानी चाहिए थी उसका उसमें इस्तेमाल किया गया। फिर यह कहा जाता है कि वह पत्र डाइरेक्टर महोदय के पास नहीं पहुंचा, उनको कोई पिक्यूनियरी गेन नहीं हुआ, इसलिये वे दोषी नहीं हैं । रिकमन्डेशन करना मामूली बात है । मामूली बात होगी उनके लिए लेकिन जहां रिकमन्डेशन की वजह से गवर्नमेन्ट इतनी सतर्क थी कि किसी को कानों-कान

[श्री महावीर त्यागी]

पता न लग, वह चीज उसी के पास भेजी जा रही है । इस तरह से सिक्रेट नम्बर उठाये जांय, उसको इस तरह से मामूली बात बताना, मामूली बात उनके लिये हो सकती है लेकिन मैं इसको बडी भारी बात मानता हूं, यह एक घोर अपराध किया गया है । एक तरफ गवर्नमेन्ट चाहती है कि किसी तरह से इनफ्ल्युएन्स न रिव्यूअर्स, हेड रिव्यूअर्स और टेक्स्ट बुक्स कमेटी को न किया जाय और उसी सीक्रेट कोड नम्बर को बता कर डाइरेक्टर ऑफ एज्यूकेशन को इनफ्ल्युएन्स करना चाहते हैं, ऐसी किताब को रखाना चाहते हैं जो सम्भवतः नहीं आती । अगर वह किताब बिना रिकमन्डेशन के आती होती, बड़े अधिकारी को लिखी हुई नहीं होती, और रिनाउन्ड आदमी के द्वारा नहीं लिखी हुई होती तो मैं समझता कि लेटर लिखने की आवश्यकता ही नहीं होती ।

लटर लिखना ही इस बात का द्योतक है कि पब्लिशर और रिकमन्ड करने वाले साथी को इस बात का खतरा था कि चाहे रिव्यूअर्स और हैड रिव्यूअर्स इसको फर्स्ट या सेकन्ड नबर दे दें लेकिन संभव है इसमें रही हुई खराबियों की वजह से टेक्स्ट बुक कमेटी वाले इसको निकाल दें । यदि रिव्यूअर्स और हैड रिव्यूअर्स की रिकमन्डेशन फाइनल समझी जाती तो फिर कमेटी बनाने की आवश्यकता नहीं थी । लेकिन कमेटी के पास रिव्यू करने के पॉवर्स थे इसलिये उक्त लेटर लिखने की जरूरत आई और उसमें सीक्रेट कोड नंबर का इस्तेमाल किया गया । गवर्नमेन्ट ऑफिसर्स जिनको यह काम सौंपा गया था उनकी ड्यूटी थी कि उसको एग्जामिन करके यदि ठीक समझते तो पहले नंबर पर भी रख देते या इसकी रिकमन्डेशन नहीं भी होती तो भी प्रेस्काइब कर देते या उसको रिजेक्ट कर देते । आज यह सवाल नहीं है कि रिकमन्डेशन नहीं होती तो वे क्या करते और क्या नहीं करते, लेकिन सवाल यह है कि आपने एक पत्र लिखकर उस ऑथारिटी को जिसको गवर्नमेन्ट ने काम सौंपा था और जिसके लिये यह प्रिकॉशन लिया गया था कि कोई भी उनके पास तक पहुंच नहीं हो सके, आपने उनको इनफ्ल्युएन्स करने के लिये एक पत्र लिखा और इनफ्ल्युएन्स करने की कोशिश की । रिव्यूअर्स और हैड रिव्यूअर्स पहले रिकमन्ड कर चुके थे, यह कहना कारगर नहीं होता । मैं यदि यह कह दूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जिस तरह की चिट्ठी डॉक्टर मथुरालाल शर्मा को लिखी उसी तरह की चिट्ठी टेक्स्ट बुक कमेटी वालों को भी जरूर लिखी होगी क्योंकि उसकी प्रोसीडिंग्स हमको नहीं दिखाई जाती । हमारे इतना कहने पर भी हमको कोन्फिडेन्स में नहीं लिया जाता । मुख्य मंत्रीजी को यह लिखा जाने पर भी कि हमको प्रोसिडिंग्स दिखाइये, प्रोसिडिंग्स नहीं दिखाई गई । इससे साफ जाहिर होता है कि बहुत ज्यादा गोल माल हुआ है । वहां भी रिकमन्ड करवाने के लिये इस प्रकार के पत्र का इस्तेमाल किया गया होगा । इसलिये इस बारे में आप यह कह कर शरण लेना चाहें कि रिव्यूअर्स और हैड रिव्यूअर्स ने रिकमन्ड किया था इसलिये यह किताब प्रेस्क्राइब हो गई तो आपको शरण मिल नहीं पायेगी ।

इसके उपरान्त रिव्यूअर्स ने अपनी रिपोर्ट २१ तारीख को दी, २१-१२ को यह रिपोर्ट पेश हुई और जैसा कि मुख्य मंत्रीजी द्वारा बताया गया है रिव्यूअर्स का किताबों को सिलेक्ट करते समय काम यह था कि वे अपने एग्जामिनेशन में इस बात को देखें कि जिस किताब को वे एग्जामिन कर रहे हैं वह सिलेबस के मुताबिक लिखी गई है या नहीं, सरकार ने जो सिलेबस मुकर्रर किया है उसके अनुसार लिखी गई है या नहीं । उनका काम यह नहीं था कि वे नंबर १, २ या ३ दें । थोड़ी देर के लिये मान लिया जाय कि हैड रिव्यूअर्स ने उसे नं २ पर रखा लेकिन फैयाजअली हैड रिव्यूअर का मारजिन पर नोट है

[श्री वेदपाल त्यागी]

जो इस बात को बतालाता है कि बाद में इनफ्ल्युएन्स लाकर लगाया गया है वर्ना कोई चीज नहीं थी कि २२ तारीख को जब उन्होंने रिपोर्ट दी उसमें ही वे लिख नहीं देते । मिस्टर फैयाज अली को ८ तारीख को लिखने की क्या जरूरत थी ? इससे मालूम होता है कि वहां भी कुछ गड़बडी थी और वहां इनफ्ल्युएन्स ने काम किया है । ८ तारीख को हैड रिव्यूअर की रिपोर्ट होती है और १० तारीख को यह पत्र लिखा जाता है । उसके ५-६ दिन बाद ही हिन्दी टेक्स्ट बुक कमेटी जो बनी थी उसमें श्री मथुरालाल शर्मा और मिसेज भारतीया भी सदस्य थे । उस कमेटी की दो दिन तक मीटिंग होती है । संभवतः इस मीटिंग के मिनिट्स यदि माननीय नेता देखें और उसको सदन के समक्ष रखें तो पता लगेगा कि उस कमेटी के एक सदस्य ने उस किताब को प्रेस्क्राइब करने का विरोध किया था और अगले दिन क्योंकि डाइरेक्टर साहब के पास पत्र पहुंच चुका था और उन्होंने इस बात को डेफिनेटली तय कर लिया था कि किसी भी प्रकार इस किताब को पास करना है इसलिये जिस दिन दूसरी सदस्या नहीं आई जिसने कि इसका विरोध किया था उस दिन एक प्रस्ताव पास कर दिया गया और यह किताब प्रेस्क्राइब कर दी गई । इस किताब को प्रेस्क्राइब करने में जो तरीका इस्तेमाल किया गया है वह इस बात का द्योतक है कि हर एक स्टेज पर इसका इनफ्ल्युएन्स पड़ा । आज यह कहा जाय कि डाक्टर शर्मा को यह लेटर नहीं मिला, मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूं । हालांकि मुख्य मंत्रीजी यह कहेंगे, कि वह नहीं मिला क्योंकि पत्र का नहीं मिलना कह कर ही वे अपने मित्र को बचा सकते हैं लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि डाक्टर मथुरालाल शर्मा, श्री गनपत माथुर और श्री मथुरादास माथुर तीनों की ही एक सी पोजीशन है । श्री मथुरादास माथुर सदन के सदस्य हैं और डाक्टर शर्मा और श्री गणपत माथुर सदन के सदस्य नहीं हैं इसलिये उनके कंडक्ट की जांच करने का अधिकार सदन को नहीं । उनकी इन्क्वायरी गवर्नमेन्ट करे या और कोई करे लेकिन आज दोनों की स्थिति में अंतर नहीं है । उधर श्री गनपत माथुर के फ्रन्टियर पब्लिकेशन से इस किताब का पब्लिकेशन हुआ है और सारे राजस्थान में यह लागू हुई है जिसकी वजह से उनको ५०,००० रु० सालाना की इन्कम है । उधर डाक्टर मथुरालाल शर्मा डाइरेक्टर आफ एज्युकेशन थे और उन पर उस पार्टी के जिसकी कि गवर्नमेन्ट है, एक इनफ्ल्युएन्शियल सदस्य का इन्फ्ल्युएन्स संभव था इसलिये आप इस बात को लाइटली ले नहीं सकते । यदि उन्होंने कोई गलत काम किया है तो उसके लिये वे इतने ही जिम्मेदार हैं जितने श्री मथुरादास माथुर । लिहाजा उनका स्टेटमेन्ट इस तरह का होता है तो वह कोई मायने नहीं रखता ।

इस सदन के सामने माननीय श्री टीकारामजी पालीवाल ने जो राजस्थान के मुख्य मंत्री भी रह चुके हैं, यह कहा है कि यह पत्र डाक्टर मथुरालालजी शर्मा ने उनको खुद को दिखलाया था । पालीवालजी भी उसी पार्टी के सदस्य हैं जिस पार्टी के सदस्य श्री मथुरादासजी माथुर हैं और वे उस पार्टी के एक प्रमुख सदस्य हैं । डाक्टर मथुरालालजी शर्मा ने जो पोजीशन पाई है उससे अधिक पोजीशन पर वे रह चुके हैं । उनका इस मामले से कोई कन्सर्न नहीं है । इसलिये पालीवालजी के स्टेटमेन्ट और डाक्टर मथुरालालजी के स्टेटमेन्ट को एक साथ तराजू पर तोला जाय तो पालीवालजी का स्टेटमेन्ट भारी ठहरता है और डाक्टर मथुरालालजी का स्टेटमेन्ट कोई मायने नहीं रखता ।

इसके अलावा में एक बात और बताना चाहता हूं जो अभी तक प्रकट में नहीं आई थी । डाक्टर मथुरालालजी शर्मा ने हमारे इधर के बैठनेवाले दल के भूत पूर्व नेता, जो अब पार्लियामेन्ट में चले गये हैं

[श्री खेमपाल त्यागी]
उनसे भी इस पत्र का जिक्र किया था और उस समय किया था जब कि वे रिटायर होने वाले थे और उन्होंने यह कहा कि मुझ से इस प्रकार का काम कराया जाता है और अपना काम निकलवाने के पश्चात् मेरे साथ ऐसा रुख अख्त्यार किया जाता है । माननीय श्री जसवन्तसिंहजी सदन के एक प्रतिष्ठित सदस्य थे । जब वे यहां से जाने लगे तब उन्होंने मुझ से कहा कि मेरे सामने यह रिजोल्यूशन नहीं आया अन्यथा मैं सदन मे इस बात को डिस्क्लोज करता । आज ऐसी स्थिति में एक तरफ तो पत्र लिखना मंजूर किया जाय और पत्र लिखने में उन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है जिनकी जानकारी नहीं करनी चाहिये थी और यदि किसी तरह से उनको सीक्रेट नंबर की जानकारी हो गई तो उनको संबंधित मंत्रीजी को कहना चाहिये था कि फ्रन्टियर पब्लिकेशन वाले ने सीक्रेट नंबर चुरा लिये हैं इसलिये आपको उसके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिये । सदन के सामने श्री मथुरादासजी ने या सदन के नेता ने यह बताया कि जिस किताब को पहले नंबर १ पर रखा था उसको नंबर २ पर रखा गया। लेकिन जो किताब पहले नंबर पर रखी गई थी वह खारिज हो गई, इसलिये खारिज हो गई कि उसने किसी तरह से सीक्रेट नंबर हासिल कर लिया था । उधर तो सीक्रेट नंबर हासिल करनेवाले को सजा दी जाती है, किताब अच्छी होते हुए, सब की रिकमन्डेशन होते हुए भी उसको खारिज कर दिया जाता है क्योंकि उसने सीक्रेट नंबर मालूम करने का प्रयत्न किया और दूसरी तरफ जो व्यक्ति सीक्रेट नंबर का इस्तेमाल करता है, सीक्रेट नंबर को रिकमन्डेटरी लेटर में कोट करवाता है उसकी किताब एक जोन के बजाय तीनों जोन्स में लागू हो जाती है । राजस्थान को तीन जोन्स में विभाजित किया था और वह किताब एक जोन के लिये प्रेस्क्राइब हुई थी वही तीनों जोन्स के लिये लागू हो जाती है ताकि उसको तिगुना फायदा हो जाय । यह वाकयात है और कहा जाता है कि प्राइमाफेसी केस नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय, चूंकि पिछले सत्र में जो कुछ बहस यहां हुई और जो आश्वासन सदन को सदन के नेता ने दिया कि वे इस बात की जानकारी करके कि आया प्राइमाफेसी केस बनता है कि नहीं, वे सदन के सामने पूरी रिपोर्ट रखेंगे । अगर प्राइमाफेसी केस बनता है तो वे मोशन मूव करेंगे कि इस कन्डक्ट में इन्क्वायरी होनी चाहिये । इन्क्वायरी का नतीजा कुछ भी होवे क्योंकि आप बहुमत में हैं चाहे जैसा कर सकते हैं और इन्क्वायरी करने के बाद यह भी कह सकते हैं कि माफ कर दिया जाय । पर आप इस तरह परम्परा ऐसी डालते हैं जो स्वस्थ नहीं है और स्वस्थ परम्परा की दुहाई दी जा रही है कि स्वस्थ परम्परा कायम करने के लिये इस मोशन को सदन में नहीं आने दिया जाय । क्योंकि इससे उन लोगों की पोलें खुलती हैं जो बड़े बड़े लोग हैं और राज्य चला रहे हैं ।

नेता महोदय हिम्मत के साथ कह दें कि मैंने जांच की है और उसका नतीजा यह है पर माननीय अध्यक्ष, मैं यह निवेदन कर दूं कि मुझे यह अधिकार नहीं है कि आप दोनों के बीच में क्या हुआ है इसे मैं सरमाइज भी नहीं कर सकता । पर जो फैक्ट्स सदन के सामने आ रहे हैं इससे मैं यह नतीजा निकाल सकता हूं कि यह प्राइमाफेसी केस बन सकता है तभी सदन के सामने पेश हुआ है । अगर प्राइमाफेसी केस नहीं हुआ होता तो अगर आप दोनों इस नतीजे पर पहुंचते कि प्राइमाफेसी केस नहीं बनता और मथुरादासजी माथुर का कोई कसूर नहीं है तो यह प्रस्ताव सदन के सामने नहीं आता ।

जहां किसी सदस्य का कन्डक्ट ओब्जेक्शनेबल हो तो वह मोशन लीडर ऑफ दी हाउस की तरफ मे पेश हो । वह मोशन लीडर की ओर से नहीं आता और वह प्राइवेट मैम्बर की तरफ से आता

[श्री वेदपाल त्यागी]
है तो हमारे सदन को मानना चाहिये कि हमारे लीडर तो नहीं मानते कि प्राइमाफेसी केस बना है, अगर मानते हैं तो उन्हें मोशन पेश करना चाहिये था, मुझे यह मोशन पेश करने की तवालत क्यों उठानी पड़ती । यदि यह मोशन आता है तो मैं यह सरमाइज करता हूं, यह नतीजा निकालता हूं · · · · ·

श्री अध्यक्ष :—आप अपने मोशन पर कहिये ।

श्री वेदपाल त्यागी :—मैं अपनी बात ही कहता हूं ।

श्री अध्यक्ष :—Let the House decide whether it is of the opinion that this is a prima facie case to set up a committee; this is the motion.

श्री त्यागी :—अध्यक्ष महोदय, मेरा मोशन तो यह है कि एक कमेटी सेट अप की जाय · · · · ·

श्री अध्यक्ष:—Then convince the House for the setting up of the committee.

श्री वेदपाल त्यागी :—तो मैं यह निवेदन कर दूं, यदि मुझे इजाजत नहीं दी जाती, सरमाइज करने की, नतीजा निकालने की · · · · · · · · · · · ·

श्री अध्यक्ष :—There is no use. The Leader will reply to everything. There is no use making any surmise.

श्री वेदपाल त्यागी :—मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उन स्थितियों में जो स्थिति मैंने सदन के सामने रखी है, एक लेटर लिखा जाता है, उसके बारे में कई स्टेटमेन्ट कई सदस्यों के आते हैं । उस लेटर में कोई चीज इन्वोल्वड है, जो लेटर खुद बोलता है कि ये चीजें इस तरह की हैं कि माननीय सदस्य ने जिन्होंने कि यह पत्र लिखा है उन्होंने सेट नोशन्स जो हमारी डेमोक्रेसी में डिस्क्राइब्ड किये गये हैं, उनको वायोलेट किया है । इस सम्बन्ध में सदन के दो मत नहीं हो सकते ।

सदन के समने दो प्रश्न हैं; आया लेटर लिखा गया या नहीं ? लेटर लिखा गया है जो सदन के सामने है । आया उस लेटर में सिफारिश है कि नहीं ? वह इस लेटर की लेंग्वेज साफ बोलती है कि उसमें सिफारिश है । आया इस लेटर में ऐसे सीक्रेट्स डिस्क्लोज किये गये हैं कि नहीं कि जिन सीक्रेट्स को गवर्नमेन्ट सीक्रेट रखना चाहती थी, यह बात भी इसमें है । आया इससे पिक्युनियरी गेन किसी आदमी को हो सकता है कि नहीं, वह है क्योंकि इस किताब की सवा पांच आना कीमत रखी जाती है और काफी कम पैसों में काफी तादाद में पुस्तकें छपी हैं, इसलिये इससे बहुत फायदा है । सवाल यह है कि मथुरादासजी माथुर का इसमें डाइरेक्टली या इनडाइरेक्टली हाथ है कि नहीं इसके लिये वे खुद कहते हैं कि गनपत माथुर सोशियल वर्कर रहा है और वे अपना कर्तव्य समझते हैं कि गलत तरीके से भी सोशियल वर्कर को फायदा पहुंचाना चाहिये, सही तरीके से नहीं गलत तरीके पर भी वे उसको फायदा पहुंचाने पर उतारू थे ।

अब सदन के सामने प्रश्न यह है कि सोशियल वर्कर गलत तरीके से, जिस तरीके से कि मथुरादासजी माथुर ने गलत तरीके से उसकी मदद की उस तरह मदद पाने का हकदार है कि नहीं ? इस

[श्री वेदपाल त्यागी]
तरह गलत तरीके से मदद पहुंचाने के पक्ष में मैं समझता हूं कोई भी नहीं हो सकता । किसी एक व्यक्ति को खुश करने के लिये किसी दूसरे को गाली निकालने वाला, अखबार निकालने वाला सोशियल वर्कर नहीं कहा जा सकता । गनपत माथुर कभी किसी ओर्गेनाइजेशन के न एक्टिव मेम्बर रहे हैं और आज भी किसी ओर्गेनाइजेशन के एक्टिव वर्कर नहीं हैं । ४ आना मेम्बर होने से कोई एक्टिव वर्कर नहीं हो सकता । एक्टिव वर्कर वही हो सकता है जिसने किसी सोसायटी को ऊंचा उठाने के लिये त्याग किया हो, सिर्फ एक व्यक्ति विशेष को खुश करने के लिये दूसरे को गाली देने वाला, अखबार निकालने वाला कभी सोशियल वर्कर नहीं हो सकता । किसी ओर्गेनाइजेशन ने उनकी सिफारिश नहीं की होगी । अगर फोर दी सेक ओफ आर्ग्यूमेन्ट मान भी लिया जाय कि गनपत माथुर सोशियल वर्कर हैं तो न तो मथुरादासजी माथुर को अधिकार है कि वे गलत तरीके से उसे फायदा पहुंचायें और न गनपत माथुर को ही अधिकार है कि इस तरह गलत तरीके से फायदा उठायें । और वह भी वह तरीका जिससे हमारे सदन की प्रतिष्ठा पर कुठाराघात हो वह हमारे सदन को बर्दाश्त नहीं करना चाहिये ।

इसलिये ऐसी हालत में मैं निवेदन करूंगा कि लेटर के लिये जिस तरह और जिन सर्कम्स्टेन्सेज में वह लिखा गया है और इस साइड से और उस साइड से माननीय सदस्यों द्वारा इसको एक्स्प्लेन करने की कोशिश की गई है उन एक्स्प्लेनेशन्स से एक मात्र नतीजा यह निकलता है कि लेटर लिखने का इस तरह मथुरादासजी माथुर को अधिकार नहीं था और इस तरह का लेटर लिख कर उन्होंने कोड ओफ कन्डक्ट को वायोलेट किया है जो डेमोक्रेसी में इस सदन के सदस्य को नहीं करना चाहिये । जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया है ऐसा कहा गया कि उन्होंने इस सदन में ऐसा कार्य नहीं किया है जिससे यह कहा जा सके कि उन्होंने किसी कोड ओफ कन्डक्ट को वायोलेट किया हो, इसके लिये मैं यह निवेदन कर दूं कि उनकी रिकमंडेशन का नतीजा इसलिये निकाला जा सकता है कि वे इस सदन के सदस्य हैं । नहीं तो एक करोड साठ लाख आदमी राजस्थान में हैं उनकी सिफारिश कोई नहीं मानता । आज तक भी वह किताब प्रेस्क्राइब्ड है । वह लेटर उसी हद तक मददगार नहीं रहा बल्कि वह लेटर आज भी मदद कर रहा है । आज भी जो रिलेशन्स गनपत माथुर और मथुरादासजी माथुर के हैं उनसे गनपत माथुर क्या फायदा उठा रहे हैं, यह मैं रखूंगा । तब आप इससे सरमाइज करेंगे कि यहां इसके रोकने की नितान्त आवश्यकता है । इसे नहीं रोकेंगे तो इस घोर अपराध के भागी होंगे । डेमोक्रेसी के इस स्टेज पर हम जो यह कर रहे हैं, नेता महोदय फिर कहेंगे कि डेमोक्रेसी के बारे में मैं फिर बोलने लगा हूं पर यह वह स्टेज है जब कि हमें इस स्टेज से ऊपर उठ कर काम करना चाहिये कि कौन हमारा मित्र है और कौन हमारा दुश्मन है । उस लेटर का असर उस पुस्तक के सिलेक्शन के समय में उस लेटर का असर हुआ, और आज भी उस लेटर का असर हो रहा है, वह लेटर आज भी मदद पहुंचा रहा है । तो ऐसी सूरत में हमें इस भेदभाव की स्टेज से ऊपर उठ कर डेमोक्रेसी की नींव में परम्परा, इस प्रकार की स्वस्थ परम्परा डालें ताकि हमारे देश की आने वाली संतानें यह न कह सकें कि हम डेमोक्रेटिक नहीं हैं । वरना हम डेमोक्रेसी से दूर जा रहे हैं और सिर्फ हमारा देखने का दृष्टिकोण इस हद तक ही है कि हमारे मित्रों को कितना फायदा होता है चाहे उससे दूसरों को कितना ही नुकसान होता हो । इस चीज को दबा कर या सामने न ला कर डेमोक्रेसी की कितनी सेवा कर रहे हैं मैं यह निवेदन करूंगा कि इस स्टेज पर देखने की बात यह है कि इस लेटर ने गनपत माथुर को कितना फायदा पहुंचाया ? उसका क्या संबन्ध है ? इसमें जाने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है । क्योंकि मैंने पहले कहा था,

[श्री वेदपाल त्यागी]

और यह चीज इन्क्वायरी की चीज है कि क्या गनपत माथुर का नाम एक बेनामी ट्रांजेक्शन के तौर पर है या वास्तव में इससे गनपत माथुर को लाभ पहुंचा है या किसी दूसरे लोगों को जो इसके पीछे काम करते हैं लाभ पहुंचा है। बाद के जो इसमें डेवलप्मेंट हुए हैं वे इस बात को दर्शाते हैं कि इसमें और लोग भी शामिल हैं और गनपत माथुर तो एक बेनामी नाम है जो सामने आता है लेकिन वास्तव में दूसरे लोग ही इसके पीछे हैं। गनपत माथुर राजस्थान का रहने वाला है और यह पब्लिकेशन फ्रन्टियर पब्लिकेशन है। यह ऐसा जाहिर करता है कि इस नाम में और गनपत माथुर में कोई संबन्ध नहीं है। इसलिये वास्तव में कौन से व्यक्ति इसके पीछे हैं और काम कर रहे हैं यह सब बाद में बताया जावेगा। इन्क्वायरी होगी तो सब बात सदन के सामने आ जायगी। इस समय देखने की बात यह है कि वे एक सोशियल वर्कर हैं इसलिये उनको यह पत्र लिखा गया। मैं यह कहूंगा कि इस पत्र का इतिहास यहीं पर समाप्त नहीं हो जाता है, यह आगे भी चलता है। मैं सदन के सामने यह रखना चाहूंगा कि जब किताब प्रेस्क्राइब्ड कर दी गई तब वह रूल्स के अनुसार छपनी जरूरी थी। उसके बाद एक कमेटी उस पर और बैठी कि आया यह किताब उस रूल्स के मुताबिक छपी है या नहीं और यह प्रेस्क्राइब्ड की जावे या नहीं। उस समय कमेटी के बहुत सदस्यों ने यह पाया कि जिस साइज और वेट का कागज प्रेस्क्राइब्ड था वह नहीं है। जिस प्रकार के कागज का पुट्ठा होना चाहिये था वह कागज काम में नहीं लिया गया और जिस तरह से प्रस्तावना लिखी जानी चाहिये थी नहीं लिखी गई। प्रस्तावना ६ पृष्ठ में लिखी है। एक पृष्ठ के ज्यादा लिखने से कीमत बढ़ जाती है। इसलिये इन सब बातों पर कमेटी का एतराज हुआ कि इन्होंने इन रूल्स की अवहेलना की है जो छापने के लिये और प्रकाशित करने के लिये बनाये गये। और इस पर मुझे भी मालूम हुआ है; If I say that, he (Chief Minister) will bear me out. कमेटी के सदस्यों की शायद यह राय थी कि यह प्रकाशित नहीं होने दी जावे। मगर इस वक्त भी इस लेटर ने अपना इन्फ्ल्युएन्स शो किया और उस पर १० हजार रुपये जुर्माना करने की सिफारिश करके कमेटी ने सरकार के पास रिकमन्डेशन भेजी। मगर गवर्नमेंट ने तीन हजार रुपया जुर्माना किया और ७ हजार रुपया माफ कर दिया। मगर ७ हजार रुपया यों हीं माफ नहीं किया गया कि वह फ्रन्टीयर पब्लिकेशन की किताब है। उसके पीछे भी वही लेटर का इतिहास काम कर रहा था जो मैं आपके समक्ष रख चुका हूं। उस लेटर ने उसी रूप में अपना काम किया और उसी वजह से वह जुर्माना रिलेक्स किया गया और १० हजार के बजाय ३ हजार रखा गया। इसके अलावा इसका इन्फ्ल्यूएन्स कितना हुआ, यह मैं बता देना चाहता हूं कि इसके पहले नम्बर की किताब को इसलिये हटा दिया गया कि उसको कोड नम्बर मालूम हो गया मगर इसको नहीं हटाया गया, यह Prescribed Reader तीन Zone के लिए की जाती है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि यह लेटर बराबर काम करता रहा है। इस पब्लिकेशन को हर वक्त इस लेटर ने मदद की। अगर यह बात होती कि किसने इनको एक जागीर दिलाई कि ५० हजार रुपये सालाना की उसको इन्कम हो जावे और अगर वह बात वह समाप्त हो जाती तो कोई बात नहीं मगर यह केवल यहीं खतम नहीं हो जाती। जहां किताबों के विरुद्ध शिकायतें हुई उन पर जुर्माने हुए और सरकार ने यह निश्चय किया कि अब तो समय निकल चुका है इसके बाद इनको नेशनेलाइज करेंगे। इसके लिए एक कमेटी नियुक्त की गई। लेकिन बदकिस्मती से वहां पर भी इसका पहला ही नम्बर आया कि इसको खतम कर दिया जाए तो उस समय फिर लेटर

[श्री वेदपाल त्यागी]
लिखने वाले ने फिर इसे बचाया। उसको बचाने में जो जो बातें हुई इस वक्त में सुनाना नहीं चाहूंगा। कभी मौका आयेगा तो बताऊंगा कि किस प्रकार से इस किताब को नेशनेलाइज कराने से रोका गया। दूसरे लोगों की किताबों को नेशनेलाइज़ किया गया। दूसरे लोगों को जब मालूम हुआ तो वे चिल्लाये मगर कुछ नहीं हुआ। यह सत्य और नग्न सत्य है कि जब जब इस किताब पर किसी प्रकार की मुसीबत आई उस समय जिस इन्फ्ल्युएन्स ने ७ हजार रुपये माफ कराये और ३ हजार रुपये जुर्माना रखाया, उसी ने मदद की।

मैं यह कहना चाहता हूं कि केवल इस हद तक यह बात नहीं रही। लास्ट ईयर मार्च में यह लेटर सदन के समक्ष आया। इस लेटर को उस समय एक्सेप्ट किया गया। इस वक्त चीफ मिनिस्टर ने बताया कि यह फन्टियर पब्लिकेशन का आदमी है और माथुर ने सिक्रेट नम्बर हासिल करके किताब से कोई आर्थिक फायदा नहीं उठाया। लेटर से दो नतीजे निकाले नहीं जाते। लेटर मथुरादास माथुर से लिखा गया है और गनपत माथुर ने लिखाया। मगर मैं यह कहूंगा कि आर्थिक फायदा हुआ या नहीं और उसका क्या नतीजा हुआ, यह तो बाद की बात होगी। पहले कमेटी बिठाई जावे। उसका फायदा मिला या नहीं, यह बात नहीं है। बात यह है कि ऐसे व्यक्ति के साथ जिसके लिये यह मालूम हो जाए कि वह इस प्रकार का काम करता है जो दफ्तरों से सिक्रेट उड़ाता है, ऐसे व्यक्ति को इन्फ्ल्युएन्स में लेकर ऐसा काम किया उसको कोई दंड नहीं दिया गया और दंड नहीं देते। मैं समझता हूं कि आप इस नतीजे पर नहीं पहुंच पाये हैं कि वह दोषी है या नहीं।

मैं यह कहूंगा कि जब एक शिकायत आपके सामने सदन के समक्ष आ गई और उस पर इतना वाद विवाद हुआ, अखबारों में जिसकी चर्चा हुई और मोशन आया और आपने कहा कि मैं इसकी जांच करूंगा; उसके बाद भी उस आदमी को कितना फायदा पहुंच रहा है यह छुपा नहीं है। गनपत माथुर के पीछे कौनसी हस्तियें काम कर रही हैं और किस तरह से काम हो रहा है इसके सबन्ध में अध्यक्ष महोदय, मैं एक पत्र जो अखबारों में निकला है पढ़ कर सुनाता हूं।

श्री अध्यक्ष:—Time is getting up. One hour the hon'ble member has taken.

श्री त्यागी:—मेरा तो निवेदन करने का काम है। मैं समाप्त·······

श्री अध्यक्ष:—There has been repetitions which could have been avoided.

श्री वेदपाल त्यागी:—मैं रिपीटेशन को एवाइड कर रहा हूं और इर्रिलेवेन्ट चीज को नहीं ले रहा हूं और यह जो रिलेवेन्ट चीज है उसको ही ले रहा हूं। यह पत्र ६ मार्च, १९५६ को प्रकाशित हुआ है। यह फोटो स्टेट कोपी है, इसको देखने से पता चलेगा कि यह गनपत माथुर का पत्र है। यह लेटर तमाम बुक्सेलरों को लिखा है······

"Dear Sir,

It might interest you to note that we have been appointed as the sole suppliers of books both Indian and foreign publications to the Rajasthan Government's central, district and divisional libraries and various school libraries on annual rate contract basis. We have to supply books worth about Rs. two lacs during the current financial year i.e. by the end of March, 1956.

[श्री वेदपाल त्यागी]

We shall, therefore, be thankful to have an elaborate catelogue or list of your own publications as well as those of your principals and allied or associated publishers with authors' names and the prices.

Please mention the maximum commission you can allow us after deducting packing and forwarding charges, etc. and the railway freight upto any railway station in Rajasthan.

We hope you will appreciate the time factor involved in making these supplies. As such please let us know the maximum commission you can allow us without any further correspondence in this regard. Please realise that there is no time left to visit you and to settle the terms personally.

To be very frank...."

यह एक इम्पोर्टेन्ट सेन्टेन्स है वह मैं पढ़ना चाहता हूं "To be very frank in making the supply of books worth Rs. two lacs we shall select mostly those books on which we get maximum commission. Since time for supply is very short almost all the books offered by us will be included in the final list and accepted as such. That is the usual practice in such supplies.

We shall pay you in full against presentation of the documents through the Banks or if you so desire we may arrange for payment in full in advance by establishing letter of credit in your favour with your Bankers.

Hope to hear from you by return of post. Thanking you,

Yours faithfully,
Sd. Ganpat Mathur,
For Frontier Publications."

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति के खिलाफ इतनी शिकायत इस सदन में आयी है उस वक्त भी इस व्यक्ति को दो लाख रुपये की किताब सप्लाई करने का सोल एजेन्ट मुकर्रर किया और वह भी इस प्रकार का एजेन्ट जिसमें किताबों को सिलेक्ट वही करे और जिनका मेग्जीमम कमीशन होवे किताब पढ़ने काबिल है या नहीं, यह कोई देखने वाला नहीं। एक तरफ तो सदन के सदस्य यह राय जाहिर करें कि जिन लोगों ने लेटर लिखा है उसको सजा मिलनी चाहिये और दूसरी तरफ इस प्रकार के फायदे दिये जा रहे हैं, यह इस बात का द्योतक है कि सदन की राय या सदन में जो वक्तव्य होते हैं उनकी सरकार को क़तई चिन्ता नहीं। सरकार ने तो अपना कार्य निर्धारित कर लिया, चाहे वह सही हो या गलत; उसी को करती चली जा रही है। जिस किसी को फायदा पहुंचाना हो उसे फायदा पहुंचाते चले जा रहे हैं। इसीलिये उन्होंने गनपत माथुर को जिनका कि लेटर प्रकाशित हुआ है जिसकी फोटो स्टेट काफी प्रकाशित हुई है वह इस बात को बता रहा है कि जिनको फायदा हम नहीं पहुंचाना चाहते और आगे भी फायदा पहुंचाते जा रहे हैं चाहे उसमें स्टेट का फायदा हो या नहीं उनको तो अपना कमीशन मिल जाना चाहिये। ६ मार्च को लेटर लिखना पड़ रहा है और तीस मार्च तक बुक्स सप्लाई करने

Page No.60

[श्री वेदपाल त्यागी]

का सक्यूलर लेट प्रकाशित हुआ है। वही इस अखबार में प्रकाशित हुआ है। इन सब तथ्यों के साथ में यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में दो राय नहीं बन सकती कि इस विषय में प्राइमाफेसी केस कोई नहीं। अगर यह प्राइमाफेसी केस है जिसके लिये मैंने कई वाकेआत बताये और भी बोलने वाले व्यक्ति और वाकेआत बतलायेंगे कि किस प्रकार से इन चीजों में डेवलपमेन्ट हुआ और यह चीजें किस प्रकार से सामने आईं। उन सब बातों को सोचने के बाद आप इस नतीजे पर पहुंचे बिना नहीं रह सकते कि मथुरादासजी माथुर पर इन्क्वायरी सेट अप होनी चाहिये; आप यह भले ही समझते हों कि श्री मथुरादासजी माथुर आपके लिये इनडिसपेन्सीबल फिगर हैं, आप उनको इस योग्य नहीं समझते तो माफ कर दीजिये लेकिन अगर आपको कनवेंशन कायम करने हैं तो आप यह मत कहियेगा कि हम इसकी इन्क्वायरी नहीं करना चाहते; चार्ज जो लगाये गये हैं वे सही हैं या गलत। आज जब कि चारों तरफ से इस बात की आवाज आ रही है कि करप्शन दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। कई मर्तबा हम देखते हैं कि इस सदन में करप्शन के बारे में मोशन आये और उन पर यही कहा जाता है कि इस करप्शन को रोका जाय। गवर्नमेन्ट के करप्शन को रोकने के लिये एन्टी करप्शन बोर्ड भी बनाया है। जहां हम एक तरफ करप्शन को रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ जब कि गवर्नमेन्ट के मुख्य सचेतक पर कोई इल्जाम लगाये जाते हैं उन्होंने अपनी सत्ता का बेजा फायदा उठा कर करप्शन को प्रोत्साहन दिया है और जो अपने सबोर्डिनेट्स थे जो हमारे आफिशियल्स थे उनको करप्ट करने की कोशिश की, जो सही रास्ते पर थे उनको गलत रास्ते पर लेजाने की कोशिश की; अगर आप यह कहते हैं कि हम उनकी इन्क्वायरी नहीं करवाना चाहते तो इससे साफ यह मतलब निकलेगा कि आज की सरकार करप्शन को प्रोत्साहन देना चाहती है। आज यदि आपने यह मोशन पास नहीं किया तो इसका आयन्दा क्या नतीजा होने वाला है? उसका नतीजा यह होने वाला है कि आज जितने भी सबोर्डिनेट करप्ट ऑफिशियल्स हैं उनको और ज्यादा करप्शन करने का प्रोत्साहन मिलेगा। वे सोचेंगे कि हमारे ऊपर बैठने वाले लोग भी करप्ट हैं तो हमें करप्शन करने में क्यों हिचकिचाहट होनी चाहिये ऐसी हालत में मैं यह निवेदन करूंगा कि यदि इन्क्वायरी कमेटी बैठती है तो उनको कोई नुकसान पहुंचने वाला नहीं है। नुकसान तो उस वक्त हो सकता था जब कि दंड देने की बात होती। आज तो सिर्फ इस बात की मांग है जांच कर लीजियेगा और जिन वाकेआतों का मैंने जिक्र किया है उसकी रोशनी में और समय समय पर माननीय सदस्यों ने जो वाकेआत बताये हैं उनकी रोशनी में आप जांच कर लीजियेगा यह भी आप पर जोर नहीं कि आप मेरी इस मांग को ही स्वीकार कीजियेगा। आप एक कमेटी ही सदन की बना दें जो इस बात की जांच करे कि आया इस खत के लिखने से सीक्रेसी ओफ कोड नम्बर्स का वायोलेशन हुआ या नहीं, इससे करप्शन बढ़ता है या नहीं। मैं यह भी निवेदन कर दूं कांग्रेस ने अपने समय में अच्छा नाम कमाया और आजतक वह नाम कमाये हुये है। उसी नाम पर आपके लिये यह जरूरी हो जाता है कि आप कमेटी को सेट अप कीजिये और उस कमेटी की रिपोर्ट हमारे समक्ष आये ताकि हम यह जानें कि मथुरादासजी माथुर ऐसे व्यक्ति हैं, निर्दोष हैं या दोषी हैं इनको सजा देनी चाहिये या नहीं। हो सकता है इस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद मैं भी इस नतीजे पर पहुंच सकता हूं कि उनको कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ और साथ ही यह भी हो सकता है कि मैं आपका साथ देने के लिये राजी हो जाऊं; लेकिन यह सब कमेटी की रिपोर्ट पर निर्भर है। जैसा कि उन्होंने स्वयं ने कहा २४।१०

[श्री वेदपाल त्यागी]

को मैं चाहूंगा कि इस बारे में जांच के लिये कमेटी बैठे और वह इस बारे में जांच करे। मुझे यह विश्वास नहीं होता, वे कैसे यह कह गये लेकिन जोश में आकर वे उस समय तो यह कह गये। अगर वास्तव में वे अपनी बात पर सही हैं तो उनको चाहिये कि कमेटी का निर्माण होने दीजिये, ताकि वह कमेटी सदन के सामने वे तमाम फेक्ट्स रख सके ताकि सदन को यह पता लग सके कि श्री मथुरादास माथुर वास्तव में दोषी हैं या निर्दोष ? अगर माननीय मुख्य मंत्री आज सदन में जो शक है उसको भगाने के लिये तैयार हैं तो उनको सहर्ष इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिये। ऐसी हालत में मैं आपसे और हाउस से यह निवेदन करूंगा कि यह बहुत ही गंभीर सवाल है इसको इतना आसानी से टाला नहीं जा सकता। यह केवल किसी एक मेम्बर की प्रतिष्ठा का सवाल नहीं, यह तो सारे सदन की प्रतिष्ठा का सवाल है। इस पर गंभीरता पूर्वक सोच समझ कर इस पर अपना मत प्रकाशन करें।

(श्री तनसिंह के बोलने हेतु खड़े होने पर)

लीडर ऑफ दी हाउस बोल दें तो पहले ठीक रहेगा।

श्री टीकाराम पालीवाल :—माननीय अध्यक्ष, जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया लीडर ऑफ दी हाउस पहले कह दें तो फिर दूसरे लोगों को कहने में आसानी होगी। हो सकता है, बहुत सी बातें उनके वक्तव्य के बाद कहने की नौबत ही न आयें।

श्री तनसिंह:—माननीय अध्यक्ष, मैं भी यह चाहता था कि पहले सदन के माननीय नेता इस विषय पर प्रकाश डालें। पिछली बार भी इसी ढंग से यह प्रस्ताव हमारे सामने आया था। उस समय जब उस प्रस्ताव को वापिस लेने का सवाल आया तो उस समय सदन के नेता ने यह वायदा किया था कि इसमें प्रिलिमीनरी इन्क्वायरी की आवश्यकता है, वह पहले कर ली जाय। जब तक यह बात नहीं हो जाती तब तक कयास पर ही चलना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष:—आप मोशन पर ही बोलिये।

श्री तनसिंह:—(जारी रखते हुए) मैं मोशन पर ही बोल रहा हूं। जब तक प्रिलिमीनरी इन्क्वायरी होकर कोई चीज हमारे सामने नहीं आती तब तक हमारा कयास पर ही चलना है। हो सकता है कि माननीय मुख्य मन्त्री ने इस बारे में इन्क्वायरी की हो और उसका नतीजा निकला हो, जो ऐसा हो कि उसको हमारे सामने लाये जाने की उनकी इच्छा न हो। लेकिन जब उन्होंने आश्वासन दिया है तो वह नतीजा सदन के सामने आना चाहिये।

दूसरी बात यह हो सकती है कि इस प्रकार की इन्क्वायरी में जो इन्क्वायरी करने वाले हैं और इन्क्वायरी कराने वाले हैं उनमें गंभीर मतभेद हो। यह खयाल किया जा सकता है कि श्री मथुरादासजी माथुर जिनके विरुद्ध यह प्रस्ताव लाया गया है वे एक ऐसी हैसियत रखते हैं कि जिनके खिलाफ़ सदन के नेता इस प्रकार का प्रस्ताव लाने में अपने आपको बलहीन समझते हैं। कुछ भी हो यह एक ऐसी परम्परा डाली जा रही है जिस परम्परा को डालने में सदन के नेता सबसे बड़े ज़िम्मेवार हैं। सदन के नेता का यह उत्तरदायित्व है। हम यह नहीं समझ पाये कि हम इस प्रस्ताव का समर्थन करें या विरोध।

[श्री तनसिंह]

लेकिन हमें यह बात सोचनी पड़ेगी कि यदि परम्पराओं का उल्लंघन करने के बाद भी सदन की प्रतिष्ठा के विरुद्ध, जो कि परम्पराओं से भी सदन की प्रतिष्ठा कहीं अधिक ऊपर है, आचरण है तो मैं समझूंगा कि यदि कोई बहुत ही उत्तरदायी व्यक्ति परम्परा को तोड़ता है तो उसके बाद भी हमें सदन की उस प्रतिष्ठा की, सम्मान की रक्षा करनी चाहिये क्योंकि परम्पाराएं ऐसी हैं कि जो तोड़ने के बाद भी अधिक नुक़सान नहीं होता और जो इसलिये होती हैं कि सदन की प्रतिष्ठा को रक्खा जावे। सदन की प्रतिष्ठा को बनाये रखने के लिये परम्पराएं होती हैं। कोई व्यक्ति, जिसका किसी प्रकार का आचरण यदि हमारे सदन के सम्मान के प्रतिकूल है तो हमें उस पर विचार इसलिये करना ही चाहिये। अब जो हमारे सामने प्रस्ताव रक्खा गया है वह प्रस्ताव यह है कि एक ऐसी इन्क्वायरी कमेटी बिठाई जावे जो यह निर्णय करे कि जो कुछ तथ्य श्री मथुरादस माथुर के खिलाफ़ प्रस्तुत किये हैं वे सही हैं या ग़लत हैं। अब जो प्रस्तावक महोदय ने विस्तृत रूप से तथ्यों पर प्रकाश डाला उससे यह प्रकट होता है और उन तथ्यों के स्पष्टीकरण से हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हो सकता है कि श्री मथुरादास माथुर ने कोई डाइरेक्ट गेन न किया हो, पर यह स्पष्ट बात है कि श्री मथुरादास माथुर ने कुछ ऐसी बातें जो बिल्कुल गोपनीय थीं ज्ञात कीं और ज्ञात होने के बाद रिकमन्डेशन के तौर पर एक पत्र लिखकर और उसमें जो हवाला दिया है उससे निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उन्होंने अपनी स्थिति का, अपनी जानकारी का और अपने पद का कहीं न कहीं दुरुपयोग किया है। अब यदि हम इस विषय पर आज सदन के सामने के यह प्रश्न रखते हैं कि यह प्रीलिमिनेरी इन्क्वायरी सदन के नेता को करानी चाहिये थी वह उन्होंने नहीं कराई और अब हम करा रहे.हों तो हमारे सामने बहुत सी बातों का, आना आवश्यक है। केवल प्रस्तावक महोदय का भाषण, उनके द्वारा रक्खे गये तथ्य और उन पर उनका स्पष्टीकरण ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उनके साथ बहुत से ऐसे व्यक्ति और सम्बन्धित काग़ज़ातों का भी हमारे सामने आना आवश्यक है, उनको हमारे सामने रखना आवश्यक है और उन पर विचार करना आवश्यक है। इसके अभाव में आज अगर हम ओफ़ हैण्ड निर्णय देते हैं तो मेरे खयाल से हम यह उचित नहीं करेंगे। फिर भी यदि सदन के नेता कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हैं तो मैं तो चाहूंगा कि इस कमेटी के सुपुर्द यह काम अवश्य होना चाहिये। इसलिये नहीं कि श्री माथुर किसी एक दल विशेष से सम्बन्ध रखने वाले हैं, इसलिये नहीं कि उन्होंने जो कुछ किया है उससे उनका लाभ हुआ या नहीं; बल्कि इसलिये कि यह प्रश्न इतना विवादास्पद इतने अर्से से बना आ रहा है जिसका स्पष्टीकरण होना आवश्यक है। मैं तो सदन के नेता से कहूंगा कि वे अपने साथी के कलंक को इमानदारी से और बहादुरी से मिटाने की कोशिश करें। मैं तो यही कहूंगा कि बजाय इसके कि वे इस चीज़ को फेस करने से हिचकें, मैं तो यह स्पष्ट कहता हूं कि उनको इस प्रस्ताव का समर्थन करना चाहिये। यदि वे ऐसा करते हैं तभी हमारे दिमाग़ में यह बात साफ़ हो सकती है कि वास्तव में इस चीज़ को स्पष्ट करने की उनकी इच्छा है या नहीं। यदि वे इसे गोलमाल में ही रखना चाहते हैं तो हमें इस विषय में बड़ी शंका होती है कि क्यों इस बात को छिपाने की कोशिश की जा रही है। मैं इतना ही निवेदन करूंगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास :—अध्यक्ष महोदय, जब मैंने प्रिलिमिनेरी ओब्जेक्शन उठाया था तब आपने फ़रमाया था कि प्रस्ताव मूव होने के बाद लीडर आफ़ दी हाउस इसका स्पष्टीकरण करेंगे तो मामला सारा साफ़ हो जावेगा। अब मेरी समझ में यह नहीं आता कि लीडर आफ़ दी हाउस चुप क्यों हैं और आप उनको पहले स्पष्टीकरण करने के लिये क्यों नहीं कहते हैं?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) :—माननीय अध्यक्ष, मैं स्पष्टीकरण भी करूंगा और पत्रों का भी हवाला देने वाला हूं और बहुत सा प्रकाश डालने वाला हूं। पर इससे पहले इसके जो सैकिन्ड में वे बोल लें तो इसके बाद में बातें कहूं।

श्री हरिकृष्ण व्यास :—अध्यक्ष महोदय, एन्क्वायरी के मसले पर जो कुछ कहना है वह पहले हम सुनना चाहते हैं। यह मेरे और उनके बीच का कोई निजी सवाल नहीं है। सदन के और उनके बीच में यह प्रश्न है। सदन में खड़े होकर और छाती ठोक कर उन्होंने कहा था कि मैं इसकी एन्क्वारी करने को तैयार हूं। अब वे बतावें कि वह एन्क्वायरी उन्होंने की या नहीं की? की तो किस नतीजे पर वे पहुंचे और क्या जानकारी प्राप्त की? उस जानकारी की बिना पर अपनी बात कहने और निर्णय लेने में इस सदन को मदद मिलेगी। इसलिये जहां तक एन्क्वायरी का प्रश्न है वे जवाबदार हैं और इस जिम्मेदारी से बचकर वे निकल नहीं सकते। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि आप कहें कि एन्क्वायरी के बारे में क्या किया?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया :—और कोई सदस्य ऐसा कहें तो वह तो कह सकता है, पर जिन्होंने इस मोशन को प्रोपोज और सैकिन्ड किया है उन्हें इसमें ऐतराज की बात कहां आती है, उन्हें तो अपनी बात पहले कह देनी चाहिये।

श्री हरीकृष्ण व्यास :—वैसे तो किसी ने सैकिन्ड नहीं किया है। सपोर्ट करने वाला, अलबत्ता आप कहें तो कह सकते हैं। पर यह सैकिन्ड करने की ग़लतफ़हमी आप अपने ध्यान से हटा लें।

श्री टीकाराम पालीवाल :—मैंने इस मामले के सम्बन्ध में खास तौर से पहले सत्र में कहा था कि इसको सदन में डिस्कस नहीं किया जाना चाहिये और संसदीय परम्पराओं के तौर पर इस पर लीडर आफ़ दी हाउस को अपने विचार प्रकट करने चाहिये और सदन के अध्यक्ष और सदन के नेता ने, दोनों ने यह आश्वासन दिया था कि इस प्रकार की एन्क्वायरी होगी और उस पर से उनकी जो राय बनेगी वह वे सदन के सामने विचारार्थ रक्खेंगे। अब एक सदस्य ने प्रस्ताव भी रख दिया और दूसरे ने समर्थन भी कर दिया यह हो सकता है पर उस वक्त भी अधिकतर सदस्य और आज भी अधिकतर सदस्य इस मत के हैं कि आप इस मामले की प्रिलिमिनेरी एन्क्वायरी करके किस नतीजे पर पहुंचे, इसको सदन जानना चाहता है। मुमकिन है कि उनके विचार प्रकट करने के बाद कुछ लोगों को जो भी बहुत सी बातें कहनी हों वे न कहें, इसकी जरूरत ही न पड़े, आपकी यह जिम्मेदारी थी, वायदा था जो सदन के सामने किया गया था। उसको पूरा किया जाना चाहिये।

श्री हिम्मत सिंह अटक :—अध्यक्ष महोदय, वादा पूरा होगा या नहीं।

श्री अध्यक्ष :—मैं समझता हूं कि इसी अन्डरस्टेन्डिंग पर वह मोशन वापिस लिया गया था। मैं समझता हूं कि इस स्टेज पर जो बार बार प्रश्न उठाया जा रहा है तो मैं सदन की जानकारी के लिये कुछ बातें निवेदन कर दूं।

कुछ माननीय सदस्यों को यह ग़लत फ़हमी है कि मैंने कोई एन्क्वायरी कराने का सदन के सदस्यों को आश्वासन दिया था। मैंने जो बात कही थी वह स्पष्ट थी और वह आज भी मैं समझता हूं और

[श्रीअध्यक्ष]

मानता हूं कि इस सदन के बाहर मुझे एन्क्वायरी करने का अधिकार नहीं है। यदि सदन के नेता कोई एन्क्वायरी करें और उसमें मुझे वे एसोसियेट करना चाहें तो मैं चाहूंगा, तो उसमें शामिल होऊंगा; ऐसा मैंने कहा था। लेकिन यह भी मेरी इच्छा की बात है। जैसा कि प्राइमाफ़ेसी नेचर के बारे में कहा जाता है वह पत्र, जिसके ऊपर कि वह मोशन लाया जा रहा है, १७ मार्च, ५५ को प्रस्तुत हुआ, १८ मार्च, ५५ को श्री मथुरादास माथुर का उत्तर हुआ, १९ मार्च, ५५ को श्री वेदपालजी त्यागी ने उसके ऊपर अपने भाषण में बहुत सी बातें कहीं और कुवर जसवन्तसिंहजी ने भी बहुत सी बातें सदन में कहीं इस पर। फिर ४ अक्तूबर, ५५ को द्वितीय सत्र में श्री वेदपाल त्यागी ने इस प्रश्न पर फिर कुछ बातें कहीं और १३ अक्तूबर, ५५ को जो प्रस्ताव उन्होंने रक्खा था वह सदन के सामने आया और बहुत सी बातें उसको एडमिसिबिलिटी के सिलसिले में कही गई जो कि उसके मैरिट्स के बारे में ही कही जानी चाहिये थीं। १४ अक्तूबर को फिर वाद विवाद हुआ और इतना ही नहीं १४ अक्तूबर, ५५ के प्रस्ताव को वापिस ले लिया गया इस आश्वासन के साथ, पर १४ मार्च, ५६ को श्री एच. के. व्यास के पत्र के ऊपर फिर कुछ बातें हुई। मुझ से यह कहा गया कि मैं इसके प्राइमाफ़ेसी नेचर पर कुछ निर्णय दूं यह संभव था मेरे लिये कि मैं इस पर निर्णय देता जब कि सारी बातें जो माननीय सदस्यों के सामने नहीं आनी चाहिये थीं, वे मेरे और लीडर के सन्मुख ही रहतीं। पर बहुत से आक्षेप और प्रत्याक्षेप सदन में सदस्यों पर लगाये गये और उस समय सम्बन्धित सदस्य तैयार थे इसको हाउस में पेश करने के लिये। तो ऐसी स्थिति में बहुत सी बातें सदन में कही गई, बाहर भी कही गई, प्रेसों में निकलीं तथा और और जगह निकलीं तो इस पर मैंने यह उचित समझा कि कोई भी एन्क्वायरी इस सम्बध में की जावे, मैं उसमें अपने आपको एसोसियेट न करूं और सारे के सारे प्रस्ताव को सदन के सामने वैसा का वैसा रख दिया जावे।

मैं समझता हूं कि जो मैंने बातें कही हैं उनसे सारी स्थिति साफ़ हो जाती है, और अब इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर मैंने जो प्रस्ताव श्री वेदपाल त्यागी का था उसको प्रस्तुत करने की आज्ञा दी है। अब इस विषय में कोई एन्क्वायरी का स्थान नहीं होता कि जो माननीय नेता ने की है या नहीं, और की है तो क्या की है। उसके तथ्यों के बारे में जब उत्तर देंगे तो सारी बहस पर उस समय प्रकाश डालेंगे।

मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये निवेदन कर दूं कि सदन के नेता कुछ फ़ाइलें लाये थे जिन्हें देखने से मैंने इन्कार कर दिया; अन्त में उनके बहुत आग्रह से फ़ाइलें मैंने देखीं, पर यह कह कर कि प्राइमाफ़ेसी के बारे में कोई निर्णय नहीं दूंगा। मैं नहीं चाहूंगा कि सदन के माननीय सदस्य मुझसे इस बात के लिये कोई प्रश्न करें कि मैंने अपनी क्या राय कायम की है। अगर वे चाहेंगे तो मैं समझता हूं कि थोड़ा अधिकार उनको मुझे भी देना चाहिये और ऐसी स्थिति में जब कि सारी बातें सदन में कह दी गई हैं, अखबारों में प्रकाशित की गई हैं, मोशन लाये गये हैं। तो ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि वे मुझे ऐसी परिस्थिति में नहीं डालेंगे। मैं समझता हूं कि सारी बातें स्पष्ट हो गई हैं और फिर भी कोई समझना चाहे तो मैं स्पष्ट करने को तैयार हूं। बाकी की बातें सदन के नेता उत्तर देंगे तब कहूंगे।

श्री टीकाराम पालीवाल :—माननीय अध्यक्ष, मैं यह प्रश्न आपसे नहीं बल्कि सदन के नेता से जो कि संसदीय परम्पराओं के उत्तरदायी भी हैं, पूछता हूं कि उन्होंने उस संबंध में क्या जांच की है?

[श्री टीकाराम पालीवाल]
उससे उनका मत क्या बना है वह जानना चाहता हूं जिससे दूसरे लोगों को बोलने में कुछ सुविधा मिले आया कि कुछ कहना है या नहीं, कुछ कहने की आवश्यकता है या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) :—माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं यह स्पष्ट कर दूं कि मैं जो कुछ कहूंगा उसके बाद अगर कोई और नई बातें उठें तो उन बातों का स्पष्टीकरण करने का मुझे अधिकार प्राप्त होगा।

श्री अध्यक्ष:—यह प्रीलिमिनरी बात है। वह भी आप उत्तर देना चाहते हैं तो दें।

श्री सुखाड़िया :—जब कि कोई बात, नई बात उत्तर देने के लायक हो तब इस बात का सवाल आता है।

इस किताब के बारे में श्री माथुर को लेकर इस सदन में पहले भी काफ़ी वाद-विवाद हुआ और बीच २ में इसकी चर्चायें होती रही हैं, और आज इस प्रश्न पर मैं समझता हूं कि अन्तिम रूप से विचार करने के लिये हम लोग यहां पर एकत्रित हुए हैं। जिस प्रकार से यह पत्र एकाएक सदन के अन्दर आया, जिस प्रकार से इस पर सारी बहस पहले हो चुकी, उसके बाद मैं समझता हूं कि परम्पराओं की और सारी बातें करना कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। परम्पराओं की दृष्टि से यह उपयुक्त होता कि सदन से चर्चा करते उससे पहले आपको, अध्यक्ष महोदय, या मेरी जानकारी के अन्दर यह बात लाई गई होती, बल्कि अब तो मैरिट्स के ऊपर बहुत हद तक डिसकस हो चुका है। अभी मैं माननीय वेदपालजी का भाषण सुन रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जो कुछ चर्चायें की गई हैं करीब करीब बहुतसी बातें वे ही सुनीं। उसमें कुछ बातें और जोड़ी गई हैं।

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष पीठासीन)

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न पर पहले भी जब चर्चायें हुई हैं उस समय मैंने देखा था और आज जब सदन के अन्दर इस बारे में चर्चा करने एकत्रित हुए हैं तो इस प्रश्न के लिये जितनी संभव जांच हो सकती थी वह जांच मैंने सरकारी रेकार्ड से करने का पूरा यत्न किया और मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर मुझे यह यक़ीन हो जाता कि इस मामले में श्री मथुरादास माथुर ने कोई आर्थिक लाभ उठाया है तो निश्चित् मानिये कि मैं सदन के सामने प्रस्ताव रखने के लिये क़तई नहीं झिझकता, लेकिन इस संबंध में हमें कुछ बातों पर विचार सिलसिलेवार करना उपयुक्त होगा जो कि बहुत जरूरी है और जिसकी चर्चा आज सदन में नहीं आई है। देखने की बात यह है कि जिस चीज में माननीय सदस्य का कन्डक्ट इन्वोल्व्ड है और उसके बारे में विचार करना चाहते हैं तो हमारे पास काफ़ी आधार होने चाहियें, न कि कुछ प्रिज़म्प्शन के ऊपर, ख़यालात की बातों को लेकर इस सदन के अन्दर चर्चा शुरू कर दें। जहां तक इस बारे में दलील जो दी जाती है और जिन बातों पर मैंने जानकारी करने का प्रयत्न किया, उपाध्यक्ष महोदय, तो अभी तक मेरी जानकारी में कोई बात नहीं आई है कि जिससे श्री माथुर को कोई कुछ प्राप्त हुआ हो।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

मैं निवेदन यह भी कर दूं तो उचित होगा कि पहले मुद्गल केस के बारे में चर्चा हुई। अभी हाउस आफ़ कोमन्स की जो प्रैक्टिस है इंगलेन्ड में उसके बारे में चर्चा हुई और बहुत सी चीज़ें सामने आई लेकिन उन सारी चीजों को देखें और गहराई से विचार करें तो सब के अन्दर एक बात है कि जिस व्यक्ति के बारे में एन्क्वारी करना चाहते हैं उसको आर्थिक लाभ पहुंचा है या नहीं, यह बात साफ़ तौर से साबित होनी चाहिये। मुद्गल केस के अन्दर यह बात स्पष्ट थी कि वह लाभ पार्लियामेंन्ट के मेम्बर के नाते, पार्लियामेन्ट के उस पद का उपयोग करके, प्रश्नोत्तर पूछकर और तरह तरह की सारी की सारी कार्यवाही करके उठाया। इसके अलावा उनको एक चीज और मिली कि राइटिंग में एग्रीमेंन्ट उनके सामने था जिसके आधार पर कार्यवाही की गई। किसी माननीय सदस्य का कन्डक्ट में समझता हूं कि राजनैतिक कारणों से विवादास्पद बन जाय, हम उस पर विवाद करें, यह उचित बात नहीं होती है। अगर उन बातों को लेना शुरू करें तो मुझे पता नहीं कि यह चीज कहां जाकर ठहरेगी, क्या क्या परिणाम निकलेगा और किस किस तरह की बातों को हम लेकर चलेंगे।

जो मिसेज़ देशमुख ने मुद्गल केस के संबंध में कहीं तो उन्होंने वहां यह कहा कि एक कमेटी सैटअप होनी चाहिये; जो कमेटी, इस प्रकार के कोड आफ़ कन्डक्ट जिसे कहना चाहिये, वह बनाने के लिये नियम बनाये। उस बात को कहने का मतलब यह था कि हम यहां इस प्रकार से कोड बनाना चाहते हैं तो वह कमेटी विचार करके फ़ैसला दे। फिर कई जगह की जानकारियां मैंने करने का प्रयास किया कि कहीं पर इस प्रकार के केस के बारे में कोई एक्शन लिया हो असेम्बली में, पार्लियामेन्ट के अन्दर या और किसी स्थान के अन्दर लिया गया हो, जो कि सदन के अन्दर लेने के बारे में केस आता है; उसकी तो वह मेरी जानकारी में नहीं है।

मैं स्पष्टत: यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिस चीज़ की चर्चा करते हैं दरअसल में वह चीज है, सदन के फ़ैसले की चीज़ है कि जिसके ऊपर हम यहां पर बैठकर चर्चा करके किसी परिणाम पर पहुंचते हैं या फ़ैसला करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से, मैं समझता हूं कि जो बातें यहां पर आई हैं वे इस प्रकार की आई हैं कि जिसके ऊपर मैंने अपनी राय पहले भी ज़ाहिर की थी और आज भी ज़ाहिर करना चाहता हूं।

दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, यह भी यहां की चर्चा में आया कि डाक्टर मथुरालाल शर्मा को जो चिट्ठी लिखी है वह पहुंची या नहीं पहुंची। मैंने पिछली बार भी यह चीज कही थी कि वह अपनी राय के ऊपर क्या मानते हैं और क्या नहीं, निश्चित् होकर डाक्टर मथुरा लाल शर्मा की स्वीकृति को लेकर भेजा था, वह सदन के समक्ष रखा था। अब उस चीज़ के अन्दर कि डाक्टर मथुरालाल शर्मा ग़लत है या जो बात उन्होंने दूसरों से कही वह किसी और इरादे से कही, इस बात के ऊपर में नहीं जाना चाहता। मैं यह मानकर चलता हूं कि चिट्ठी उनके पास मान लीजिये पहुंची और उन्होंने मुझे जो चिट्ठी लिखी है वह ग़लत है और जो उन्होंने पालीवालजी से कहा है और दूसरों से कहा है वह सही है उस बात को मानकर चलते हैं तो मैं समझता हूं निश्चित् तौर से प्रश्न हमारे सामने यह खड़ा होता है कि चिट्ठी लिखने का असर क्या हुआ ?

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

मैंने पिछली बार भी निवेदन किया था और इस बार भी बारीकी से उस प्रश्न को और ज्यादा देखा, पर मैं सदन की जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्रोसीजर टैक्स्ट बुक्स के सिलेक्शन करने के संबंध में अपनाया गया था वह प्रोसीजर यह था कि एक कमेटी रिव्यूअर्स की बनाई गई, उसके ऊपर हैड रिव्यूअर्स की बनाई गई। हैड रिव्यूअर्स के बाद एक टैक्स्ट बुक सिलेक्शन कमेटी भी थी और उसके बाद गवर्नमेन्ट के पास फ़ैसले के लिये आती थी। टैक्स्ट बुक कमेटी और दूसरे प्रकार की कमेटी के प्रोसीजर में फ़र्क यह था कि वह कमेटी के मेम्बर्स अलग अलग सब्जेक्टवाइज अपने आपको डिवाइड करते थे उन किताबों को कन्सीडर करने के लिये।

तो मैं आपसे निवेदन करूं और उसके साथ साथ नाम भी निवेदन करना उचित होगा। जो सदस्य उसके अन्दर रखे गये हैं उनमें श्री देवराज उपाध्याय, जो जोधपुर कॉलेज में प्रोफ़ेसर हैं, दूसरे हैं श्री नन्दलाल जोशी। ये दो आदमी रिव्यूअर्स की कमेटी में थे। मैं समझता हूं कि श्री देवराज उपाध्याय से जो भी माननीय सदस्य परिचित हैं वे उनकी निष्पक्षता से परिचित हैं और वे किसी के प्रभाव में आने वाले नहीं हैं, वैसी आम तौर से लोगों की मान्यता है। उनकी सिफ़ारिश थी १।३१ किताब, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, नम्बर १ पर रखी और १।५६ को नम्बर २ पर रखा और उस कमेटी के बाद, जो रिव्यूअर्स की कमेटी है उसने अपनी रिपोर्ट २१-१२-५२ को दी। उसके बाद हैड रिव्यूअर्स की कमेटी के सामने यह रिपोर्ट आयी और हैड रिव्यूअर्स कमेटी के रिव्यू करने के बाद इस किताब को नम्बर २ पर रखा और १।५६ को नम्बर १ पर रखा। श्री वेदपालजी त्यागी ने कहा कि मार्जिन पर पहले कुछ लिखा और दूसरी बार और कुछ लिखा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ज्यादातर किताबों के संबंध में मार्जिन पर लिखा है कि इसमें अमुक अमुक डिफ़ैक्ट्स हैं और उनको माना जाय। यह केवल इसी किताब पर ही नहीं है। अन्य किताबों के बारे में भी इसी प्रोसीजर को एडोप्ट किया गया है। उन्होंने ८-१-५३ को रिपोर्ट दी। १०-१-५३ को यह पत्र लिखा गया। जो मार्जिन में राय दी है वह ८-१-५३ की है और चिट्ठी जो है वह १०-१-५३ को लिखी गई है। हैड रिव्यूवर्स की जो कमेटी है, सेन्ट्रल कमेटी कहिये, उसके सामने वह आयी। उस कमेटी में काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उस में वंशीधरजी बालनिकेतन के प्रिन्सिपल थे वे हैं, दूसरे फ़ैयाज़ अली जो किशनगढ़ इन्टर कालेज के प्रिन्सिपल हैं। इन दोनों ने मिल कर अपनी राय ज़ाहिर की है, सेन्ट्रल कमेटी का ज़िक्र किया उसके सामने यह मसला पेश हुआ। उस कमेटी के नाम बता देना मैं आवश्यक समझता हूं जिससे पता चलेगा कि वह कमेटी किस प्रकार की है। किसी एक व्यक्ति के इन्फ्लुएन्स से उस पर असर कैसे पड़ सकता है। उस कमेटी के नाम ये हैं :—

१. डा० मथुरालाल शर्मा .. .. डाइरेक्टर, एज्यूकेशन, चेयरमेन।

२. श्री सहानी .. .. .. एक्स प्रिन्सिपल ऑफ जोधपुर कॉलेज (मेम्बर)

३. मि० किनी .. .. .. जो डाइरेक्टर ऑफ एज्यूकेशन रह चुके हैं। मैसूर में डिप्टी डाइरेक्टर की पोस्ट पर थे। (मेम्बर)

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

ये दोनों ही रिटायर्ड थे जब उनको इस कमेटी में अपोइन्ट किया गया।

४.	श्री तुलानी..	जो यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार हैं और जिनका गवर्नमेन्ट से सम्बन्ध नहीं है। (मेम्बर)
५.	श्री शंकरसहाय सक्सेना	उदयपुर कॉलेज के प्रिन्सिपल। (मेम्बर)
६.	मिसेज भारतीया	जो गर्ल्स कालेज की प्रिन्सिपल हैं। (मेम्बर)
७	श्री कुम्भारे	जो डिप्टी डाइरेक्टर और सेक्रेटरी इस कमेटी के थे।

ये सात व्यक्ति हैं उपाध्यक्ष महोदय। यह कहा जा सकता है कि किसी कारण से डा० शर्मा का असर कोई किसी पर हो सकता है तो डा० शर्मा स्वयं और दूसरे कुम्भारे हो सकते हैं। बाकी ५ व्यक्ति, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सम्बन्ध केवल डा० शर्मा से नहीं आता है, वे इन्डिपेन्डेन्ट हैं बिल्कुल और उन्होंने इस कमेटी में काम किया था। इस कमेटी में से सब कमेटी को काम सौंपा गया था। उसके सम्बन्ध में भी निवेदन कर दूं कि किस तरह से सबजेक्टवाइज कार्य विभाजित किया गया था। उन्होंने जो डिफेन्ड किया है अपने आपको, इसमें उन्होंने लिखा है; ५-१-५३ की बात है····।

"The work of considering the books be devided between the Members of the Committee subjectwise:— .

1. Dr. Kini Mathematics, General Science and Geography.
2. Prof. Sahani English.
3. Bhartiya Drawing, Music and Domestic Science.
4. Shri M.N. Tolani History, Social Studies.
5. Dr.Mathuralal Sharma Sanskrit.
6. Shri S.S. Saxena Hindi, Urdu, Commerce."

यह पहला इसके सम्बन्ध में फैसला हुआ। उसके बाद में कुछ इसमें चेन्जेज हुई हैं और चेन्जेज होने के बाद जो अल्टीमेट पिक्चर कन्सीडरेशन के लिये इवोल्व हुई वह यह है कि श्री सक्सेना को उर्दू के बजाय सोश्यल स्टडीज, डा० शर्मा को हिस्ट्री और उर्दू और जोड़ दिया गया और श्रीमती भारतीया को हिन्दी की किताबें देखने के बारे में जवाबदारी दी गई। यह जो बात मैं कह रहा हूं और इसकी पुष्टि में और आगे कहूंगा ताकि कोई भ्रम न रहे। जो रिपोर्ट दी है श्रीमती भारतीया ने, सब कमेटी के रूप में जो रिपोर्ट दी गई है इस किताब के सम्बन्ध में उनके खुद के हैंड राइटिंग में मौजूद है। उसको पढ़ देना ही उचित होगा। वह यह है :—

"We reviewed all the selected and rejected books and we consider the following two books suitable for Class I from all points of view:

(1) 1/31 H.
(2) 1/21 H."

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

ये रिकमन्डेशन्स मिसेज भारतीया ने इस किताब के सम्बन्ध में की हैं। यह जो ख्याल किया जा रहा है कि डा० शर्मा ने इन्फ्लुएन्स किया मैं समझता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि सेन्ट्रल कमेटी के अन्दर जिस सब कमेटी ने इस पर विचार किया है डा० शर्मा उसके मेम्बर के तौर पर नहीं थे। यह बात दस्तखतों से भी साफ है। जो बात कही गई है उसको प्रोसिडिंग्स से भी छानबीन करके देखा है, और यह बात मेल नहीं खाती है। जो सब कमेटी ने रिपोर्ट दी है उसको कैसे सही नहीं माना जाय, उसका प्रोसिजर तय किया हुआ था, रिपोर्ट में लिखा है, सब कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद भी सारी कमेटी विचार करती थी विस्तार के साथ, पेजेज पढ़े जाते हैं पूरे कमेटी में और पढ़ने के बाद फैसला किया जाता था और जो रिपोर्ट उन्होंने गवर्नमेन्ट को भेजी है उस रिपोर्ट का रिलेवेन्ट एस्ट्रैक्ट में पढ़ कर सुनाना उचित समझूंगा। उन्होंने लिखा है :—

"Accordingly all the books selected by reviewers and also those rejected by them were seen and considered. Our final opinion on the two books for each class was found out of the whole lot. The findings on books selected were discussed thoroughly from all points of view and jointly or unanimously adopted.

On Friday 9th instant the members of the Committee dispersed to meet again on Friday the 16th instant to give time to some members of the Committee to deal with books on Hindi and Mathematics. To bring about a reasonable and correct................decision about them require more time. Findings were discussed and books on Hindi, Mathematics and Sanskrit finally approved on the 16th instant."

जो मैं जिक्र कर रहा था, मैं यह बता रहा था कि ये जो डिसिजन्स लिये गये थे, जो रिपोर्ट भेजी है गवर्नमेन्ट को उसमें यह लिखा है कि "The decisions are taken jointly or unanimously" कहीं कोई मतभेद नहीं है। सब कमेटी में मतभेद की बात कही गई है। मैंने निवेदन किया कि मिसेज भारतीया ने उस कमेटी में उनके दस्तखत से भेजी रिपोर्ट का जिक्र किया। इससे यह जाहिर होता है कि हम जो यह अंदाजा लगा कर चलते हैं कि इस चिट्ठी के वहां जाने की वजह से इस किताब के बारे में सेन्ट्रल कमेटी पर इन्फल्युएन्स पड़ा होगा, मैं समझता हूं इसको मानने के कारण जो तथ्य मैंने रखा कि जिनको यह काम सौंपा गया था जितने महत्वपूर्ण वे व्यक्ति थे इससे स्पष्ट हो जाता है कि क्या स्थिति थी; आया वे लोग इससे प्रभावित हो सकते थे या नहीं, यह कहने की आवश्यकता नहीं है। यह महत्वपूर्ण बात है कि रिव्यूअर्स, हैड रिव्यूअर और सेन्ट्रल कमेटी ने अपनी २ राय इन्डिपेन्डेन्टली रखी। आपने देखा होगा कि रिव्यूअर्स ने १।३१ नम्बर की किताब को १ नम्बर पर रखा था उसको हेड रिव्यूअर ने नम्बर २ पर रख दिया और उसके बाद सेन्ट्रल कमेटी ने वापस उसको नम्बर १ पर रख दिया। हैड रिव्यूअर ने जो चीज पास की उसको सेन्ट्रल कमेटी ने रिजेक्ट किया और उसकी जगह १।२३ को सबस्टीट्यूट किया और कहा कि यह ज्यादा उपयुक्त होगा। इसलिये जाहिर होता है कि एक आदमी का इन्फल्युएन्स कमेटी पर पड़ा हो यह बात नहीं है बल्कि एक एक ने अलग २ राय जाहिर की। इसका अंत यहीं नहीं हो गया। इसके बाद जब गवर्नमेन्ट स्टेज पर यह बात आई तब सेक्रेटरी श्री विष्णुदत्त शर्मा ने इसकी फिर जांच पड़ताल कराई और जो उन्होंने रिकमन्डेन्शनस की वह भी इस किताब के लिये की। क्योंकि ज्यादा राय इसके फेवर में थी और रिव्यूअर्स और हैड रिव्यूअर और सेन्ट्रल कमेटी ने भी इसको सपोर्ट किया कि यह

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

नं० १ पर रहे और जो नं० २ पर था जो उसको रिजेक्ट किया गया, सेन्ट्रल कमेटी की राय को डिटो नहीं किया गया। उसके बाद हैड रिव्यूअर ने जो ओपीनियन दी थी वह रिव्यूअर्स की ओपिनियन से भिन्न थी। जिसको उन्होंने नं० १ पर रखा था उसको हैड रिव्यूअर ने नं० २ पर रखा इसलिए इन्डिपेन्डेन्टली हर सूरत में फैसला किया गया। यदि इन्फ्लुएन्स होने की बात होती तो यह उस समय संभव हो सकता था जब कि सेन्ट्रल कमेटी के सदस्य डाक्टर मथुरालालजी के मातहत होते या उनके व्यूज़ खास तौर से प्रिडोमिनेट करनेवाले होते या डिफरेंस आफ ओपिनियन उनमें होता। लेकिन जब युनेनिमस बात आती है तो कोई गुंजाइश नहीं रहती।

अब सवाल यह आता है कि इस बारे में सीक्रेट नंबर्स का लीकेज हुआ, वह क्या बात है? माननीय सदस्यों को यह मालूम होगा कि जिस समय इस किताब के सिलेक्शन की बात चल रही थी उस स्टेज पर जयपुर में दूसरा जगह कोड नंबर लीक हो गये हैं। ये चर्चा भी कोमन थी और उसका परिणाम यह हुआ कि एन्टीकरप्शन ब्रान्च को यह काम सौंपा गया और उस बीचमें गंगासहाय नामक क्लर्क पर इस बात की जिम्मेदारी आई कि उसने लीकेज की है। उसके घर पर छापा मारा गया और वहां से कुछ पेपर्स बरामद किये गये और उस पर सारी की सारी रेस्पोन्सिबिलिटी आई।

(श्री अध्यक्ष पुनः पदासीन)

एन्टीकरप्शन की जब रिपोर्ट आई तब उसके बाद में फिर डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी की गई और जहां तक गंगासहाय का प्रश्न है उसको सस्पेन्ड किया गया और फिर फरदर इन्वेस्टिगेशन और इन्क्वायरी का काम हाथ में लिया गया और जिसने लीकेज करने का प्रयत्न किया उनको अध्यक्ष महोदय, ब्लेक लिस्ट किया गया। एन्टीकरप्शन ब्रांच और डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी के बाद जिन पर इसको लीक करने की जिम्मेदारी आई उन ५ पब्लिशर्स को ब्लेक लिस्ट किया गया। इन ५ पब्लिशर्स के नाम ये हैं; यंगमेन एंड कम्पनी, दिल्ली, मेसर्स जुन्नीलाल, भरतपुर स्टुडेन्ट्स बुक कंपनी ओफ जयपुर एन्ड कन्हैयालाल ओफ जयपुर। इस प्रकार ५ पब्लिशर्स थे जिनको ब्लेक लिस्ट किया गया और एक गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट के खिलाफ एक्शन लिया गया। अभी माननीय सदस्य ने कहा कि न केवल एक चिट्ठी लिख कर इन्फ्लुएन्स किया गया बल्कि आगे भी कदम कदम पर इन्फ्लुएन्स करने की कोशिश की गई। मैं बताना चाहता हूं कि २ किताबें प्रपोज़ की गई और राजस्थान को ३ जोन्स में डिवाइड किया गया। हर जोन में दो २ किताबें भेजी गई और २ किताबों को भेजने के बाद जब एन्टीकरप्शन वालों की और डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी हुई उनकी रिकमन्डेशन आने के बाद साल भर तक इन किताबों को लागू नहीं किया गया और बीच की इन्क्वायरी की गई और जो ५ पब्लिशर्स गुनहगार समझे गये उनकी किताबें रिजेक्ट की गईं और किताब नं० १।३१ को सभी जोन्स में लागू करने को बात आई। मगर गवर्नमेन्ट ने गवर्नमेन्ट लेवल पर डिसोजन लिया। यदि किसी पर्टीकुलर किताब को एक जोन में ब्लेक लिस्ट किया जाता है तो दूसरी किताब जो उस जोन में चलती है उसको भी लागू किया जाता है। इसलिये १ जोन में ५ फर्म्स के ब्लेक लिस्ट होने से एक किताब रद्द हो गई और दूसरी किताब को दूसरे जोन्स में भी चलने का मौका मिला। अध्यक्ष महोदय, मैं यहां यह कहूं तो भी गैर वाजिब नहीं होगा कि जो पोजीशन इस पुस्तक की हैड रिव्यूअर ने रखी थी उसके अनुसार इसको सेकन्ड रखा होता तो भी यह तीनों जोन्स में लागू हो जाती। फर्स्ट के ब्लेक लिस्ट होने से वह सब जगह लागू हो जाती। तो जो एडवान्टेज की बात कही जाती है वह एडवान्टेज की बात कैसे लागू होती है। जब एन्टीकरप्शन द्वारा और

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]
डिपार्टमेन्ट द्वारा इन्क्वायरी सन् ५२ में और ५३ में की गई जिसके फैसले पर जिस पब्लिशर के खिलाफ एक्शन लिया गया वह एक्शन भी फ्रन्टियर पब्लिकेशन के फेवर में जो लैटर लिखा गया उसकी वजह से हो गया, या और बातें हुई वे सब उस लैटर की वजह से हो गई, यह कहना कहां तक वाजिब है ? मैं समझता हूं इस चीज में तथ्य पर और जिस आधार पर विचार करना चाहते हैं उसके लिये क्षमा करें यदि मैं यह कहूं कि ज्यादातर डोर को खींच ले जाने की तरफ प्रतीत होता है । यह इस वजह से हुआ कि लैटर लिख दिया, नीचे से रिकमन्डेशन इस वजह से हुई होगी कि लैटर लिख दिया होगा । जिम्पशन्स के ऊपर, किसी माननीय सदस्य के कंडक्ट के ऊपर फैसला करेंगे तो यह बहुत बुरी चीज होगी । हमारे पास तथ्य नहीं कि जिसके बल पर फैसला कर सकें । हाइपोथेटिकल कंसीडेशन से निर्णय पर पहुंचना चाहते हैं । जब किसी माननीय सदस्य के प्रतिष्ठा का प्रश्न उठाते हैं तो माननीय सदस्यों को बहुत सोच समझ कर चलना पड़ेगा ।

माननीय सदस्य ने कहा कि गणपत माथुर को यही फायदा नहीं हुआ बल्कि आगे जाकर उसके फ्रन्टियर पब्लिकेशन का २ लाख रुपयों का एक ऑर्डर और दे दिया । मैं यह कहना चाहता हूं कि अच्छा हुआ इस तथ्य को सामने रखा । इसके बारे मे कहने से और भी ज्यादा मदद मिलेगी । एक सब कमेटी गवर्नमेन्ट ने फोर्म की थी किताबों की परचेजेज के बारे में । सब कमेटी ने इस पर विचार किया और वह इस निर्णय पर पहुंची कि अच्छा यह होगा कि एक बल्क ऑर्डर प्लेस कर दिया जाए; जिससे पता लगे कि कौन व्यक्ति कितना कमीशन देकर सप्लाई कर सकता है और इसी तरह से टेन्डर इन्वाइट किये गये। उसमें मिनिमम कोटेशन फ्रंटियर पब्लिकेशन का था । इसका लोएस्ट टेन्डर होते हुए भी क्या हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूं । इसके कागजात कमेटी से रिकमन्ड होकर फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट में एप्रूवल के लिये आये, जिसके बाद मेरे पास आते । जब ये कागजात फाईनेन्स में एप्रूवल के स्टेज पर थे तो फाइनेन्स मिनिस्टर श्री वृजसुन्दरजी ने कहा कि यह तो गलत प्रोसीजर है, यह तो ठीक नहीं है और फंटियर पब्लीकेशन के बारे में पहले भी बहुत चर्चाएं हैं, इसको इजाजत नहीं मिलनी चाहिये । मैंने भी कहा, मैंने भी इसके बारे में बहुत चर्चाएं सुनी है और मैं भी उचित समझता हूं कि इसको रिजेक्ट कर दिया जाए । अतः वह रिजेक्ट हो गया । मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य यह जो कह रहे हैं वह २० मार्च की बात है । मगर मैं यह कहूंगा कि कमेटी का जो इस सम्बन्ध में प्रपोजल था उसको हमने टर्न डाउन कर दिया । हमने उसको टर्न डाउन ही नहीं किया बल्कि उसके बारे में फरदर इन्क्वायरी की कि कमेटी ने यह रिकमन्डेशन कैसे की और इसका पता उनको कैसे लगा ? माननीय अध्यक्ष, मैं यह बता देना चाहता हूं कि मैंने इतना ही नहीं किया बल्कि फ्रंटियर पब्लिकेशन को ब्लेक लिस्ट में ले लिया है जिससे उसको आगे राजस्थान में तरजीह नहीं दी जाए । इसलिये यह कहना कि हमने उनको दो लाख के आर्डर दिये हैं यह उचित नहीं । हमने तो दो लाख के आर्डर को लोएस्ट टेन्डर होते हुए भी रिजेक्ट किया और न केवल रिजेक्ट ही किया बल्कि उसके पब्लिकेशन को ही ब्लेक लिस्ट मे कर दिया है । इसके लिये मैंने रीजन्स दिये हैं । इसके बारे में पहले भी चर्चाएं चली हैं । इसके अलावा बिला आर्डर प्लेस किये ही फ्रन्टियर पब्लिकेशन ने जिस लैटर का हवाला दिया, उस प्रकार के लैटर की उनको कैसे इत्तिला मिली मैं स्वयं सीरियस मानता हूं कि उसको इस बात का कैसे पता चला कि उनका कागज फाइनेन्स में रिकमन्ड होकर चला गया है तो ऐसी हालत में यह समझ कर चलना कि इस लैटर का प्रभाव अभी तक चल रहा है, कहना उचित नहीं होगा । यह जो कुछ हुआ है वह इसका कुप्रभाव हुआ है । हमने कोई लीनियेन्ट व्यू इस कम्पनी के बारे में नहीं ली ।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

एक बात अभी और कही गयी थी कि इस किताब के छपने के बाद इस पर १० हजार रुपये फाइन की बात कही गई और यह कहा गया कि १० हजार फाइन के बजाय सिर्फ ३ हजार रु० फाइन किये गये और ७ हजार रुपये माफ कर दिये गये । यह मेरी जानकारी में नई बात आई । यह बात मेरी जानकारी में नहीं है । लेकिन जो तथ्य मैंने आपके सामने कहे हैं उसके मुकाबले में यह क्या है ? यह फाइन ५३ में हुआ या किसी बाद के स्टेज पर हुआ, इसकी जानकारी मुझे नहीं है । इसलिये इस संबंध में मेरे लिये कुछ कहना मुश्किल होगा ।

मैं समझता हूं कि इससे अधिक मैं इस स्टेज पर नहीं जाऊं और न इससे ज्यादा इस स्टेज पर कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये क्योंकि जो खास खास २ बातें थीं उनकी तरफ मैंने माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया है और इस संबंध में इन्क्वायरी करने के बाद अलग२स्टेज पर राय जाननेके लिये कमेटी बनाई थी । उसकी रिपोर्ट आई उसके बाद में एन्टीकरप्शन की रिपोर्ट को देखी और उसके बाद में डिपार्टमेन्ट इन्क्वायरी की रिपोर्ट को देखा । उसके बाद उसको इससे (माथुरको) क्या आर्थिक लाभ हो सकता है उसकी जानकारी की और इन सबकी जानकारी के बाद इस निर्णय पर पहुंचा कि इस सारी चीज के अन्दर यह बात है कि लिखी हुई चिट्ठी मथुरालालजी माथुर के पास पहुंची, मगर इससे कोई उसको आर्थिक लाभ की बात साबित नहीं होती है । मैंने इस संबंध में मुद्गल केस को भी देखा मगर मुझे कोई भी ऐसी बात इसमें नहीं मिलती जिससे कि मैं किसी प्रकार का एक्शन लूं क्योंकि एक माननीय सदस्य मेरा समर्थन करते हैं इसलिये यह कहना कि डेमोक्रेसी की रक्षा के लिये उनके खिलाफ कदम उठाया जाए और यह कहूं कि डेमोक्रेसी की रक्षा कीजिये, कुछ न कुछ कदम जरूर उठाना चाहिये । मैं समझता हूं कि जहां तक मुझसे संभव हो सका तमाम बातों को डिटेल में ले गया । मैंने सब अधिकारियों से कहा कि इस संबंध में पूरी जानकारी करके मुझे पूरी बात बताई जावे । मैंने इन बातों को काफी बारीकी से देखा । मैंने पहले जैसा निवेदन किया कि इसमें सबसे मुख्य बात यह कही जाती है कि किसी न किसी रूप में चिट्ठी लिखनेवाले को फायदा पहुंचता है । यह सोचने का मुख्य आधार है । मगर इस प्रश्न के बारे में वह बात जाहिर नहीं होती । दूसरी बात यह कि पार्लियामेंट या एसेम्बली के सदस्य की हैसियत से यह पत्र लिखा गया है या नहीं । वह भी बात इससे साबित नहीं होती । ऐसी सूरत में महज प्रजम्पशन पर ही इसको कमेटी के सुपुर्द कर दिया जावे, अध्यक्ष महोदय, आप मुझे क्षमा करेंगे, उचित नहीं होगा । मैं यह कहूंगा कि जितनी चर्चा हम यहां पर कर चुके हैं, माननीय सदस्य के कन्डक्ट के बारे में, उस संबंध में भी हमने इसकी सीमाओं का उल्लंघन किया है क्योंकि तथ्य हमारे पास नहीं है । कोई इससे उनको आर्थिक लाभ पहुंचा हो, यह कहने की स्थिति म नहीं हैं । इसके अलावा यह भी साबित नहीं किया गया कि वे किस प्रकार से माथुर के रिलेटिव हैं । ऐसी हालत में निश्चित रूप से उनको दुःख पहुंचाना है । जब मैं स्वयं इसके बारे में सन्तुष्ट नहीं हूं, मैंने पहले भी अपने आपको इसके लिये असमर्थ पाया और आज भी अपने आपको इसके लिये असमर्थ पाता हूं । अगर और कोई बात होगी तो मैं फिर निवेदन करूंगा ।

श्री हरिकृष्ण व्यास:—अध्यक्ष महोदय, श्री वेदपाल त्यागी ने जो प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं ।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

मेरी यह बहुत इच्छा थी कि सदन के नेता महोदय की जुबान से यह पहले सुनलूं कि इस अर्से में क्या २ जांच की और जांच के बाद किस नतीजे पर पहुंचे ? यह सब सुनने के बाद जो कुछ भी मेरी राय हो उसमें यदि संभवतः कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ तो वह परिवर्तन करके अपने विचार सदन के सामने व्यक्त करूं । मुझे खेद है, अध्यक्ष महोदय, कि जितना मेरा मत इस संबंध में सदन में आने के पहले एक कमेटी बनाई, जाने के पक्ष में था उससे कई गुना अधिक कट्टर राय माननीय मुख्य मंत्री जी को सुनने के बाद हो चुकी है । उन्होंने आज पहली बार सदन में यह कहा कि टैक्स्ट बुकों का कमेटी में इस प्रश्न पर विचार लगभग १५ या १६ जनवरी १९५३ को हुआ । उन्होंने आज पहली बार कुबूल किया कि १६ जनवरी १९५३ का आर्डर है जिसके मुताबिक इस किताब की सिफारिश की गई । लेकिन जहां तक मेरी याददाश्ती है इस सदन में १९५५ के मार्च के महीने में पत्र जब सदन के सामने आया उस समय इतनी ही कट्टरता से और इतनी ही संजीदगी और इतनी ही छाती ठोक कर कहा कि यह पत्र लिखने के पहले ही सिलेक्शन हो गया था । यदि उनकी याददास्ती उनका साथ नहीं दे रही है तो अब भी वे प्रोसीडिंग्ज मौजूद हैं मंगा कर देख लें कि उस समय क्या कहा गया । आवेश में आकर कह गये । उसको पढ़ने के बाद आप सफाई देंगे । प्रोसीडिंग मौजूद है मंगाकर देख लें ।

अभी अभी परम्पराओं का एक प्रश्न उठा, अध्यक्ष महोदय । यह भी कहा गया, चूंकि यह पत्र सदन के समक्ष प्रस्तुत हो गया और इस पर इतना वाद-विवाद हो गया इसलिये परम्पराओं की बात करना किसी हद तक ठीक नहीं मालूम होता । मेरा ऐसा ख्याल है कि इस सदन में फुटबाल की गेन्द की तरह परम्पराओं को कभी इधर से उधर और कभी उधर से इधर फेंका जाता है, ऐसी हालत में कभी कभी थोडा सा शक किसी न किसी को होना ही चाहिये । चूंकि पत्र यहां पहले प्रस्तुत हो गया इसलिये परम्परा का जिक्र करना फिजूल है यह मनःस्थिति सदन के नेता के वक्तव्य से प्रतीत हुई । इसी तरह की बात दूसरी ले लीजिये । जब कुम्भारामजी के ट्रेक्टर का मामला हुआ उस संबन्धी कागजात और फाइल जो मेरे पास थी वह मैंने अलग से लेजाकर मुख्य मंत्रीजी को दी लेकिन उसकी भी जांच आ जतक नहीं हुई । उस समय तो रेकर्ड को मेनिपुलेट करने तक की स्थिति पैदा हो गई । इससे तो यह साफ पता चलता है कि आपको चाहे पत्र लेजाकर दें या सदन में प्रस्तुत करें जांच तो दोनों हालतों में नहीं होती । अगर किसी नजदीकी मित्र के बारे में जांच होने की बात हो तो जांच नहीं होती, यही निर्णय मुझे इस पर होता हुआ नजर आता है । लेकिन इस संबन्ध में उनके वक्तव्य के बाद मेरी यह कट्टर राय बन गई जैसा कि उन्होंने आज सदन के सामने यह कहा कि जहां तक संभव था मैंने जांच करने की कोशिश की, जहां तक संभव था पूरी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की । मैं अध्यक्ष महोदय, यह अर्ज करना चाहता हूं माननीय सदस्यों को कि जो प्रभाव माननीय मुख्य मंत्री डालने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने पूरी पूरी कोशिश जानकारी प्राप्त करने की की लेकिन हकीकत क्या है यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। अगर आपके सामने किसी बात के बारे में मसला आये और उसकी ईमानदारी से जांच करवाने वाला जांच कराना चाहे जिसमें अपने सहयोगी को बचाने की नीयत न हो वस्तुस्थिति में जाने की नीयत हो तो उसका पहला काम क्या होगा कि जिसने शिकायत की है जिसने दस्तावेज पेश किये हैं सदन के समक्ष पत्र रखा है उसको पूछेगा, भाई तुम्हारा क्या कहना है, तुम्हारे पास इस बारे में क्या जानकारी है तुम बताओ और हमें इस जांच में सहयोग दो, तुम मुझे समर्थन दो, मदद करो इस बात के लिये ताकि जांच ठीक प्रकार से हो सके । सदन के नेता महोदय यह जरूर कह गये कि मैंने यथा संभव जांच की लेकिन

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

मेरा तो अर्ज करना यह है कि यथासंभव तो दूर की बात है उन्होंने रत्ती भर भी जांच नहीं की। लीपापोती या वकालत करने के लिये कागजों को जरूर देखा होगा, लेकिन जांच नहीं की। अध्यक्ष महोदय, इस संबन्ध में जो मेरे और मुख्य मंत्री के बीच पत्र व्यवहार हुआ उसको सदन के समक्ष रखना मैं जरूरी समझता हूं ताकि सदन के माननीय सदस्यों को सब स्थिति स्पष्ट हो जायगी। नवंबर २२, १९५५ को मुख्य मंत्री ने मुझे पत्र लिखा उसमें उन्होंने लिखा :--

"My dear Shri Vyas,

You will please recollect that on one occasion during the course of the last Assembly session you had mentioned on the floor of the House that you were in possession of certain documents and papers which you claimed could throw more light and substantiate allegations against Shri Mathuradas Mathur.

I shall be obliged if you would please let me know the details of these documents.

Yours sincerely,
Sd./ MOHAN LAL SUKHADIA"

२२ नवंबर को जो मुझे पत्र दिया गया उसका, अध्यक्ष महोदय, मैंने जबाब २९ नवम्बर को दिया। जवाब में मैंने लिखा :--

"I am in receipt of your letter No. 180/PA/CM/55, dated the 22nd November, 1955 regarding the complaint against Shri Mathura Dass Mathur. I do recollect that I had mentioned on the floor of the House that in addition to the letter which I had produced I could give some more details and information to substantiate the allegations, and I am willing to do the same. But I do not think that the procedure you have suggested in your letter would be a proper one. I do have information of certain documents but they are official ones and it would be the best if you could get the concerned file from the office and on the basis of those files themselves I could point out to you how those records substantiate the allegations. Having done that I would also suggest to you what further persons you need examine and for what purpose. If you are willing to associate me in the enquiry in this manner, please let me know and I would be at your disposal to assist you in every way in this enquiry.

I hope you will appreciate that it would be neither fair nor proper in a case like this for anybody to keep back anything which may throw more light on the subject and I am sure you would agree that in a matter like this the official records available with you and in the department should not be treated as any exception."

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

२६ नवंबर के मेरे इस पत्र का जवाब ३० नवंबर, १६५५ को आया। उसके जो खास खास पोर्शन्स हैं वही में सदन के समक्ष रखता हूं। इतने दिन तक तो पत्रों के तड़ाक से जवाब आ रहे थे; उसके बाद क्या स्थिति हुई वह भी मैं सदन के समक्ष प्रस्तुत करूंगा।

"As regards your suggestion to get the files wherein you could point out things to substantiate the allegations against Shri Mathura Das Mathtur. I feel that such a roving enquiry may not be of much use. There is a plethora of official documents and records both in the Department as well as with the Police. I myself tried to go through all these documents but could not discover any further specific information. I have no objection in......"

This is what the Chief Minister has mentioned in his letter dated 30th November, 1955 and is very imporatant:

"I have no objection in getting any particular file if you could specify it. However it will be more useful if you could let me know the nature of the facts and information that you want to produce from the files.

I am quite willing to associate you with the enquiry and it was only in that spirit that I had addressed my previous letter. I have no intention in the least to withhold any papers but I feel convinced that if we adopt the procedure as suggested by me it might prove more effective rather"

३० नवंबर को अध्यक्ष महोदय, लीडर ऑफ दी हाउस की यह राय थी कि "I am quite willing to associate you with the enquiry." उनकी यह राय थी ३० नवंबर को कि पूरी की पूरी फाइल्स तो मंगाना संभव नहीं।

"I have no objection in getting the relevant files if you could specify the name" लेकिन उसके बाद स्थिति में एक दम परिवर्तन आता है। ३० नवंबर का पत्र जिसका उत्तर मैंने उनको २३ दिसम्बर को दिया जिसको मैं पूरा पढ़ना आवश्यक नहीं समझता लेकिन मैंने उनको जो लिखा उसके खास खास पोर्शन्स मैं पढ़ कर सुनाता हूं :—

"I do not propose to continue this discussion on procedure, though I do not agree to what you say about it. However, to bring the matter to some conclusion I suggest that you call for the following files, reports and documents so that we could finalise the whole thing:

(1) Report of the reviewers on the book in question.
(2) Report of the Head Reviewers about the same.
(3) Minutes of the meeting of the Sub-Committee of the Text Book Committee when they considered the selection of Hindi books for Class I."

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

अध्यक्ष महोदय, जब मैंने खत लिखा था उस समय यह बात प्रचलित की थी कि टेक्स्ट बुक कमेटी ने यह निर्णय लिया लेकिन आज मुख्य मंत्री ने यह स्वीकार किया कि सब कमेटी ने ऐसा निर्णय लिया, यह तो मुझे उस समय जानकारी थी इसलिये मैंने पत्र में लिखा। जिस कमेटी में मिसेज भारतीया, डा. मथुरालाल शर्मा, मौजूद थे; १५ की मीटिंग में और १६ की मीटिंग का जिक्र नहीं लेकिन शाम को जो जनरल मीटिंग हुई उसकी रिपोर्ट का जिक्र किया गया।

"Report of the Officer appointed by the Government to enquire into the leakage of code numbers and unfair and malpractices indulged by some publishers.

(5) Government decision blacklisting some publishers on the basis of this report.

I hope this simple and precise procedure will be the best."

२३ दिसम्बर को यह पत्र आया। ३० नवम्बर तक जो माननीय मुख्य मंत्री यह ऐलान करते थे कि "I have no objection in calling for any particular file or paper if you can specify it." २३ दिसम्बर को मैंने स्पेसिफाई कर दिया। इसके बाद लाजवाब हैं वे। कोई उत्तर नहीं है उनका। ताला लग गया उनकी जुबान पर। कलम चलती नहीं है। ३० नवम्बर तक जो कहते थे कि, "I am quite willing to associate you with the enquiry." अब क्या हो गया? अब कौनसा इन्फेक्शन / मामला मेरे शरीर में आ गया या मेरे दिमाग में आ गया जिससे उनको इतना भय लगता है मेरे से। इन्क्वायरी में मुझे एसोसियेट करना तो दूर, मेरे २३ दिसम्बर के पत्र का उत्तर देने की हिम्मत नहीं हुई, उस पत्र का उत्तर तक देना आवश्यक प्रतीत नहीं हुआ।

मैं इन मामलों में कभी कभी थोडी बहुत गलती भी कर देता हूं अधिकांश में, पर कभी कभी कालजी भी रखता हूं और जिस पत्र का हवाला दिया है उसकी पहुंच २३।१२ को पी. ए. टू दी चीफ मिनिस्टर के दस्तखतों से मेरे पास मौजूद है इसलिये यह तो नहीं कहा जा सकता कि वह पत्र पहुंचा ही नहीं। पर मैंने सोचा शायद भूल गये हों जवाब देना तो ७-२-५६ को रिमाइन्डर भी भेजा गया। पर उसका भी कोई असर नहीं। तब सदन की कार्यवाही की नौबत आई। इतने दिन याद नहीं रहा, हो सकता है काम काज बहुत हो, आना जाना पड़ता है इधर उधर, दिल्ली जाना आना पड़ता है। तो मैंने पत्र लिखा :

"I wrote to you long time back requesting you to collect certain documents and papers in connection with the enquiry that you proposed to conduct in connection with the allegations against Shri Mathuradas Mathur

I was expecting a reply from you all these days, but regret to state that I have not received any reply so far.

Could you kindly let me know what you propose to do about it"

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

यह प्रश्न जो मैंने ७-२-५६ को पूछा आज भी पूछ रहा हूं अध्यक्ष महोदय, और बगैर उत्तर के पूछ रहा हूं अब । सदन के नेता महोदय यहां आकर यह अगर कहें कि जहां तक सम्भव था मैंने जांच की । तो मेरी यह समझ में नहीं आया कि सबसे पहले जो सम्भव चीज है वह करना तो उनके लिये सम्भव ही नहीं हुआ फिर ऐसी कौनसी जांच करना उनके लिये सम्भव हो गया ? मैं हूं शिकायत करने वाला । मुझ से पूछते कि क्या मुझे कहना है ? उन्होंने कहा हां, क्या कहना है ? मैंने कहा कागजात मंगाओ आप कहते हैं सब नहीं मंगा सकता । तो मैंने कहा परटीकूलर कागज मांग लो । मैंने पूरा सहयोग दिया । पत्र दिया परटीकूलर कागजात ही मंगालो और फिर उनकी जबान बन्द । तो यह तो पहले भी एन्क्वायरी का नाटक किया गया था और एन्क्वायरी की गई । लेकिन बाद में मैंने कहा कि शिकायत करने वाले से तो आपने कम से कम पूछा होता तो इस सदन में अक्तूबर में कहा गया कि मैं फिर से जांच करा दूंगा आवश्यक हो तो । ३० नवम्बर तक यह महानुभाव यही कहते हैं कि "I am quite willing to associate you with the enquiry." लेकिन अभी तो वह फाइलें वहीं पड़ी हैं अध्यक्ष महोदय । उनको इतना डर लग गया है शायद कि दस फीट के नजदीक से भी फटकने की मेरी नौबत नहीं आई । सोचते हैं कहीं कोई कागज इधर से उधर न हो जाय और यह डर है महज इस वजह से कि सच्चाई से वे डरते हैं । मैं ऐलान करता हूं अध्यक्ष महोदय, जब सामने वाले को सच्चाई से डर लगता है तो फिर मौके बेमौके मुझको भी कागज उठाने की नौबत आ जाती है, इसमें क्या बात है । ये परम्पराओं की बातें करते हैं, लम्बी-चौडी बातें करते हैं, लम्बी-चौड़ी दलीलें देते हैं, बहस करते हैं पर हकीकत तो यह है कि कागज मंगाने की हिम्मत नहीं होती । एसोसियेट करना आपसे नहीं होता और फिर कहते हैं जहां तक सम्भव हुआ मैंने जांच की । कम्प्लेनेन्ट्स से बगैर सहयोग किये कैसी जांच है यह ? वह तो फार्स है । इस सदन में मेरे बहुत से वकील साथी बैठे हैं । यह होम डिपार्टमेन्ट के इंचार्ज मेरे माननीय मित्र बैठे हैं । मैं कहता हूं वे यह कहें, अपने दिल पर हाथ रख कर कहें कि अगर आप यह कोई अदालत यह कहे कि मैं बिना कम्प्लेनेन्ट के जांच कर रहा हूं और जांच कर ली मैंने, पर कम्प्लेनेन्ट से पूछा तक नहीं; उस जांच का आप क्या नतीजा निकालेंगे, और कबूल करेंगे ?

माननीय मुख्य मंत्रीजी जब बोल रहे थे तो मैं गौर से सुन रहा था और अनुमान लगा रहा था कि वे क्या कहेंगे । मैं यह सोचता था कि वे यह कहेंगे कि ३० नवम्बर के बाद राजस्थान की राजनिति में तब्दीली आ गई होगी, यहां के घटनाचक्र में परिवर्तन हो गया होगा, दिमागों में परिवर्तन हो गया होगा । तो मैं वह भी सुनने को तैयार था, पर उन्होंने इस बारे में एक शब्द नहीं कहा । इसलिये मैं अर्ज करता हूं कि आज अगर ये यह बयान करते हैं कि जहां तक सम्भव था वहां तक जांच की तो यह तो गलतफहमी पैदा करने का प्रयत्न है । उन्होंने रत्ती भर भी जांच नहीं की । ऐसी स्थिति में सदन को चाहिये कि बार बार जब वे इन्कार करते हैं जांच करने के लिये तो ऐसे मुख्य मंत्री के कामों पर भी थोड़ा बहुत वह अंकुश रक्खे और उनको यह न्याय करके बता दे कि दूध का दूध कौनसा है और पानी का पानी कौनसा है ? तब उनको यह पता चलेगा । तो यह तो हुई जांच की बात ।

अब मैं अर्ज करूं थोडा सा फैक्ट्स के बारे में क्योंकि वे चाहे जितनी गलती करें अपनी ओर से । सारे आंकडे पेश करने का सदन के नेता को अधिकार है । कौन रिव्यूअर था, कौन हैड रिव्यूअर था

[श्री हरिकृष्ण व्यास]
उनके नामों की जानकारी देने का प्रिरोगेटिव भी सदन के नेता को है । अगर कोई परटीक्यूलर पोइन्ट उनके फेवर में आता हो वह भी कह देने का उनको अधिकार है । दूसरी तरफ अगर दिक्कत हुई तो मैरिट्स पर चले गये । पर मैरिट्स पर जाना न जाना यह तो उनकी जिम्मेदारी की बात थी । आज उन्होंने एक बड़े लहजे से बात कही, सिलसिलेवार और तफसील से बातें कहीं । इससे मुझे ऐसा जरूर महसूस हुआ कि अगर इस कार्य के बजाय अदालत में पैरवी करने का जिम्मा कभी उन पर आ जावे तो फिर शायद मुमकिन है किसी की इलेक्शन पिटीशन तो खारिज नहीं हो । बहुत माकूल किस्म की आर्ग्यूमेन्ट्स करने वाले वे लोग हैं । और कच्चे से कच्चा केस भी हो तब कैसे उसको बहुत अच्छी तरह से डेकारेट करके दिखाना, कहीं धूल लग गई हो तो उसको कैसे साफ करके उस पर रंग कर देना और अगर कोई फटी चीज है तो उसको ढंकने के लिये अच्छा सा कपड़ा लगा देना, दूर से देखने वाले देखें कि क्या अच्छी चीज बनी है । पर असली जहां पोल पट्टी है वहां वह छुपा जावेंगे । जिक्र ही नहीं करना उसका । तो मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा, उन्हीं चीजों का जिक्र और सदन के सामने करना चाहूंगा ।

यह टैक्स्ट बुक्स का जो किस्सा है यह शायद ऐसा मानकर न चलें माननीय मन्त्री महोदय कि इसकी जानकारी सेक्रेटरियेट की फाइलों में ही है । सब जानते हैं । अब तो यह राजस्थान व्यापी है और एक दो फैक्ट आपने दिये हैं उसका करेक्शन मुझसे करवा लें तो भी बुरी बात नहीं होगी क्योंकि यह यूनीवर्सल चीज है । यह टैक्स्ट बुक्स का मामला बहुत साल पहले से चला आ रहा है और इसका पहला अध्याय तो सन् ५१ में आम चुनावों से पहले से शुरू होता है, जब कि पब्लिशर्स को बुलाकर कहा गया कि तुमको अपनी किताबें पास करवानी हैं ? उन्होंने कहा, "हां" । तो कहा गया पांच पांच हजार का चन्दा दो, तुम्हारी किताबें पास होती हैं । यह बात ऑफिशियल रेकॉर्ड पर है, मौजूद है और पांच पांच हजार के चैक लेकर उनकी किताबें पास की गईं और वह कैश अब तक भी सरकार के पास जमा है । वे रुपये जमा किये गये और टैक्स्ट बुक्स पास कर दी गईं । तब खलबली हुई और इसके बाद नई स्कीम बनी जिसकी आधारशिला क्या थी ? इसकी आधारशिला थी सीक्रेसी ऑफ कोड नम्बर ।

उस सीक्रेसी ऑफ कोड नम्बर पर सारी स्कीम बनाई गई और श्री मथुरादासजी माथुर कि जिनके पत्र का उल्लेख हो रहा है उनको उसको अमल में लाने का मौका न मिला हो क्योंकि आम चुनाव के बाद वे मन्त्री नहीं रह पाये बेचारे । लेकिन स्कीम बनाने का मौका उनको जरूर मिला था जो स्कीम बाद में लागू की गई । उसके बनाने में उनका हाथ रहा ।

श्री टीकाराम पालीवाल :—स्कीम में हाथ नहीं था ।

श्री हरिकृष्ण व्यास :—मेरी जानकारी में अर्ज कर रहा हूं । पालीवालजी की जानकारी मुझसे ज्यादा ठीक हो सकती है ।

श्री हंसराज आर्य :—बाधा पड़ गई ।

श्री हरिकृष्ण व्यास :—आप थोड़ा सब्र करें । वह स्कीम बनाने में हाथ रहा या नहीं, पर जहां तक सीक्रेसी ऑफ कोड नम्बर का सवाल है वह सीक्रेसी ऑफ दी कोड नम्बर उस जमाने से सेक्रेटरियेट की फाइलों में चलने लग गई । पालीवालजी की यह राय है कि वह भी नहीं हुई । मेरी

यह मान्यता है कि इसकी जानकारी उनको हो गई । पहले भी होगा और बाद में भी होगा, और यह सिक्रेसी ऑफ दी कोड नम्बर के ऊपर सारी की सारी जो स्कीम है अब आज अगर माननीय मुख्य मंत्री महोदय यहां आकर यह कहें कि देखिये इन टेक्स्ट बुक्स रिव्यूअर्स के नाम देखिये कि वह नन्दलाल जोशी और प्रोफेसर उपाध्याय जोधपुर के ऐसे आला आला तो रिव्यूअर्स हैं और वह फैयाजअली किशनगढ के और वन्सीधर जोधपुर के हैड रिव्युअर्स हैं, उन माकूल लोगों की तरफ देखिये। टेक्स्ट बुक्स सिलेक्शन कमेटी में आला आला अफसर हैं फिर कैसे कोई गड़बड़ होगी ? क्या मंत्रीमहोदय, उनके पास यह फाइल है या नहीं, इस बात की जानकारी देने को तैयार हैं कि फरवरी १९५३ को एक पब्लिशर ने एप्रूवर बनकर, नाम पूछना चाहते हें तो बता दूंगा, उस जमाने के मुख्य मंत्री श्री जयनारायण व्यास को लेजाकर कागजात पेश किये कि आप इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाना चाहते हैं उसकी नींव के अन्दर बालू की मिट्टी है । यह देखिये यह पब्लिशर्स के बीच में और इसमें से कुछ लोग रिव्यूअर्स हैं और हैड रिव्यूअर्स हैं उनके बीच में एग्रीमेन्ट हुए हैं, रजिस्ट्रेशन हुए हैं, चेक इश्यू हुए हैं, और इस तरह से यह कार्यवाही हो रही है या नहीं यह फैक्ट बताईये जरा ? जिनकी सेन्क्टिटी का आप सदन में बैठे २ सदन के माननीय सदस्यों पर प्रभाव डालना चाहते हैं, उनकी सेन्क्टिटी तो यह है । इनमें से कुछ लोगों ने एग्रीमेन्ट्स किये हैं, और उन एग्रीमेन्ट्स से आपका दिमाग फैल हुआ है और फैल करने वाले और एप्रूवर बनने वाले सज्जन हैं श्री रंगाभाई । पता लगाइये कि वह रेकार्ड, कागजात, और फाइलें मौजूद हैं या नहीं ?

श्री नाथूराम :—नहीं हैं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास :—हैं, कैसे नहीं हैं ? चाहे कोई कह दे कि नहीं हैं, पर आज की तारीख तक तो वे हैं ।

फिर अर्ज करूं अध्यक्ष महोदय, कि इतना ही नहीं बहुत से ऐसे कागजात और हैं कि जिनके अन्दर उन्होंने लिखा है । कितने २ कागजात इधर उधर होंगे । एन्टीकरप्शन डिपार्टमेन्ट को जो जांच करने का काम दिया गया था और वह एक पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट जो कि भरतपुर के हैं उनको कहा गया था कि आप पता लगाओ । मैं पूछना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी तो क्या दी ? उन्होंने यह रिपोर्ट दी कि जब कोड नम्बर आउट हो गया । पब्लिशर्स दौड़ते फिरे, पैसा खिलाते फिरे, एग्रीमेन्ट करते फिरे, इस वजह से चाहे टेक्स्टबुक्स कमेटी ने कुछ किया हो या नहीं, लेकिन यह यकीन करने के काबिल बात नहीं है । कुछ न कुछ असर पडता है, इसलिये ब्लेक लिस्ट करो । जिस किताब के बारे में कोड नम्बर लीकेज करके जानकारी हासिल की, और जिस पब्लिशर ने कोड नं० पता लगा कर गड़बड़ी की है ऐसा अन्दाज निकाला है वह एन्टी करप्शन की रिपोर्ट में । उस पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट की रिपोर्ट के ऊपर जब ५ पब्लिशर्स को ब्लेक लिस्ट किया । अब यदि कोई वकालत करने बैठे और वकालत करते २ यहां पर आकर ५ पब्लिशर्स में से एक आपके पास आकर कहे कि आप मेरी वकालत करो तो यही कह सकते हैं कि एक तरफ तो यह बात है कि जिसका कोड नम्बर लीक हुआ है और जिसका कोड नम्बर लीक हुआ है इसका सबूत है श्री मथुरादास माथुर का पत्र और दूसरी तरफ यह पब्लिशर है, एक बेचारा पब्लिशर है जिसके द्वारा कोड नम्बर लीक हुआ है और उसका सुबूत एक पुलिस आफिसर की रिपोर्ट है । तो किसके खिलाफ ज्यादा सुबूत है, किसके खिलाफ कठोर सुबूत है, न्याय और कानून की दृष्टि

में कौन ज्यादा कच्चा पडेगा ? वह पब्लिशर अगर आकर कहे कि पुलिस आफिसर की रिपोर्ट पर हमें ब्लेकलिस्ट जब किया है, और उसके अन्दर किताबों का इधर उधर परिनयन या परिचयन जिसको बोलते हैं, रद्दोबदली हो गई और जिसका नम्बर पीछे था वह आगे आगई और जिसका आगे नम्बर था वह पीछे चलो गई । दूसरा तरफ कोड नम्बर लीक हुआ पड़ा है, चिट्ठियां दर्ज की हुई पडी हैं; तो यह उन्होंने बडा भारी अच्छा काम किया । क्या जवाब है आपके पास ? तो फिर इस प्रकार का काम आप करते हो तो यह बहुत मुद्दे का प्रश्न है ।

श्री मथुरादास माथुर ने खुद कहा है कि मैंने पत्र लिखा है, तो सबसे पहले उनसे पूछा जाय कि क्यों लिखा आपने यह पत्र ? सिक्रेसी आफ कोड नम्बर आप क्यों जानना चाहते थे और जब आप जानते थे तो सरकार के पास रिपोर्ट करनी चाहिए थी कि कोड नम्बर लीक हो गया है, उसके बारे में कार्यवाही करनी चाहिये । आप रिपोर्ट नहीं करते हैं और कोड नम्बर का उपयोग करते हैं, चाहे उस पत्र का नतीजा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन जिस जुर्म के ऊपर ५ पब्लिशर्स को ब्लेक लिस्ट किया है, जिस जुर्म के मातहत एक अहलकार पर मुकद्दमा चल चुका है, जिस जुर्म के अन्दर आप सरकारी अधिकारियों पर एक्शन लेना चाहते थे, वही जुर्म करने वाले इस सदन के माननीय सदस्य जो हैं उनके बारे में प्रश्न आता है तो कहते हैं कि क्या बड़ी भारी गलती करदी उन्होंने । तो उस अहलकार ने कौनसी बड़ी भारी गलती करी थी, यही न कि कोड नम्बर लीक किया? अगर अहलकार ने गलती की है तो लेने वालों ने भी गलती की है । जब लेने वाले और कोड नम्बर को छुपाने वाले ने गलती की है तो जानबूझकर कोड नम्बर का दुरुपयोग कर पत्र लिखने वाले ने महज पत्र लिखा इस बिना पर बहुत बड़ी गलती की, चाहे वह पत्र पहुंचा या नहीं, यह बाद में प्रश्न उठेगा ।

अध्यक्ष महोदय, यह बात जोर से यहां कही गई कि हेड रिव्यूअर्स ने ८ तारीख को ही अपना निर्णय दिया था । क्या अच्छा होता कि आंकडों के बारे में और फेक्ट्स के बारे में पूरी २ जानकारी इतनी देने को मैं तैयार था वह लेते । माननीय मुख्य मंत्री महोदय को यह बता दूं कि बन्सीधर और फयाजअली दोनों ने मिलकर हेड रिव्यूअर्स की रिपोर्ट दी है वह कौन सी तारीख को दी है ? वह २२-१२-५२ को दी है । २१-१२-५२ को रिव्यूअर्स ने रिपोर्ट की । फयाजअली और बन्सीधर दोनों ने रिपोर्ट दी है जिसके अन्दर उन्होंने इस किताब की खूब कठोर आलोचना की है, बहुत सी इसमें खामियां बताई हैं । वह दोनों की मिली हुई रिपोर्ट है २२-१२-५२ । जिस ८ तारीख की रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं वह है मारजिन के अन्दर केवल फयाजअली की है । जरा इस पर गोर फरमाइये । जब दोनों की रिपोर्ट पहले दी हुई है तो मोटे गोल मारजिन में केसे लिख दिया यह उनसे पूछा होता, श्री फयाजअली से पूछा होता, बन्सीधर से पूछा होता, और मुझ से पूछा होता कि ऐसा सेक है ? मैंने यह कागज मंगवाये हैं । मुझे मालूम था कि ऐसा उसके अन्दर है । तो यह ८ तारीख का जो त्यागीजी ने बोला है कि चिट्ठी का असर हुआ है, मेरे खयाल से, वे फिगरेटिवली बोल रहे थे । थोडा सा मैं कहूं कि वे मेरा संशोधन स्वीकार कर लेते तो मैं समझता हूं कि उनकी और बातें तो स्वीकृत थी हीं लेकिन मंत्री महोदय को यह कहने का मौका नहीं मिलता । कहीं चिट्ठी का असर हुआ होगा या टेलीफोन का असर हुआ होगा । चिट्ठी तो पकडी गई लेकिन टेलीफोन का क्या पकड सकते हैं । ८ तारीख के पहले टेलीफोन हुआ होगा, लेकिन कुछ बात जरूर होगी कि दोनों की राय एक है, फिर अकेले फयाजअली की राय एक है । फिर उसके बाद यह सही बात है कि १६ तारीख को टेक्स्ट बुक कमेटी ने रिकमन्डेशन की और उस रिकमन्डेशन के अन्दर वापिस

इस पुस्तक को फयाजग्रली की ८-१-५२ की जो फर्जी राय है, मैं कहता हूं सुपर इम्पोज राय कि नम्बर दो पर प्लेस कर दिया जाय, उसको रद्द करके नंबर एक पर लाकर रखा टेक्स्ट बुक कमेटी ने । लेकिन वह भी कैसे ? मिसेज भारतीया ग्रौर डा० मथुरालाल शर्मा दोनों केवल उसमें राय बनाने वाले थे । यह ठीक है कि ग्राप कहते हैं कि उस कमेटी में साहनी, कीनी, तुलानी ऐसे ग्राला ग्रौर ग्रालिशान लोग थे, कौन कहता है कि वे किसी के ग्रसर में ग्राने वाले ह, यह सही बात है, लेकिन कोई किसी किसी के ग्रसर में नहीं ग्राने वाले होते हुए भी ५ पब्लिशर्स को ब्लेकलिस्ट में सरकार ने निकाला है । वे किसी के ग्रसर में ग्राने वाले नहीं थे तो ब्लेक लिस्ट किये हुये की किताबें पहले नंबर पर कैसे पहुंच गईं ? लेकिन ग्राखिर ग्रसर कौन, कितना, किसके ऊपर कहां होता है यह हमको पता है । सब कमेटी जो थी उस सब कमेटी के मिनिट जरा मंगाइये, ग्रौर मिनिट्स मौजूद नहीं हों, जो कि नहीं है मेरी जानकारी के मुताबिक, तो मिसेज भारतीया से पूछते :--

एक माननीय सदस्य :--ग्राप ले ग्राइये ।

श्री हरिकृष्ण व्यास :--मिनिट्स मेरे पास कहां से ग्राने वाले हैं । जानकारी ग्रा सकती है ।

ग्राइये ग्रागे कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय को न मालूम कहां से भनक पड़ जाती है कि मौजू ग्रादमी से पूछते हैं । मथुरालालजी से पूछते कि ग्रापको चिट्ठी मिली या नहीं ? जब मिसेज भारतीया से पूछते, ग्राप सब कमेटी में थीं, ग्रापको क्या कहना है, या नहीं कहना है, वहां क्या कारस्तानी हुई ? ग्रब भी पूछने को तैयार हैं ? मैंने तो जानबूझ कर इन चीजों का उल्लेख ग्रपने पत्र में नहीं किया ग्रौर इसीलिये मैं बार बार कहता था कि पहले सरकारी रेकर्ड को इक्ट्ठा कर लो, उसके मुताबिक तसल्ली कर लो, 'Then I will indicate what further papers you have to collect and what persons to be examined" किसको मालूम है कि मिसेज भारतीया को एक्जामिन करने पर क्या क्या बातें खुलें ग्रौर ग्रागे ग्रौर भी क्या क्या कहें ? बशर्ते उन लोगों को एक्स्पोज़ करें उसके पहले तसल्ली कर लें, ग्रौर भी है उनको एक्स्पोज करें उसके पहले यह तसल्ली कराग्रो कि इसकी इन्क्वायरी कराग्रोगे ग्रौर यह हवा में उडती हुई नजर न ग्रावे, ग्राप न इन्क्वायरी ही कराग्रो ग्रौर न ही कागजात देखो । जब तक इसकी तसल्ली न हो जाय सरकारी मुलाजिमों को एक्स्पोज करना मुझे जचता नहीं है । सुझाव मैं ग्रापको दे दूं । लेकिन यह यकीनन मानिये कि ये सारी की सारी बातें रेकर्ड से सच हैं, चीजे चली हैं, ग्रौर भी कई चीजें हैं ग्रौर सबसे महत्वपूर्ण बात जो श्री वेदपालजी त्यागी ने कही है वह चिट्ठी श्री मथुरालालजी को पहुंची, उन्होंने श्री पालीवालजो ग्रौर श्री जसवन्तसिंहजी को दिखायी ग्रौर मथुरादासजी माथुर कहते हैं कि नहीं पहुंची । ग्रब सवाल यह है कि कौनसे एवीडेन्स पर रिलाई किया जाय ? यह काम लीडर ग्रोफ दी हाऊस का नहीं है । यह काम तो उस कमेटी का है जो कि सारे के सारे एवीडेन्स को इकट्ठा करेगी ग्रौर मैं दावा तो नहीं करता, मुझे उम्मीद है कि श्री मथुरालालजी को डाक में बुला करके उनको क्रोस एक्जामिन किया जाय कि उनको यह चिट्ठी मिली या नहीं, तो उनकी क्या हालत होती है डाक में उस चिट्ठी के बारे में यह भी एक्जामिन करने का मौका ग्रा सकता है । ग्रभी मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि एजूकेशन सेक्रेटरी थे, विष्णुदतजी की रिपोर्ट है, उनको चिट्ठी क्यों नहीं पेश कर दी, मैंने इमानदारी से काम किया है, लगातार ग्रपने मुलाजिमों की चिट्ठियां पेश करके इगनोर करना उसमें कोई तथ्य नहीं है । जहां तक फैक्ट्स का ताल्लुक है ग्रध्यक्ष महोदय, जब सिलेक्शन हुग्रा, जिस तारीख को सिलेक्शन हुग्रा वह उसी

तारीख की चिट्ठी है। पोइन्ट नम्बर १ यह प्राइमाफेसी है, जिस समय निर्णय हुआ था यह चिट्ठी मथुरालालजी के पास पहुंच गई थी; नम्बर २, नं० ३, इस सिलेक्शन से डाक्टर मथुरालालजी का सम्बन्ध है। यह निश्चित है कि यह चिट्ठी उन्हें उस कमेटी के सदस्य के रूप में, चाहे सब कमेटी के सदस्य के रूप में हो, मिली। ये सब चीजें हैं। ऐसा कौनसा मीटर लगा रखा है मुख्य मंत्रीजी ने कि जिससे वे निर्णय पर पहुंच सके कि यह सब होते हुए भी उस चिट्ठी का निर्णय पर कोई असर नहीं पडा। प्राइमाफेसी केस का मतलब यह होता है कि इस प्रकार की गुन्जाइश थी, वस्तुस्थिति थी, सरकमस्टान्सेज थीं। और वह भी कैसे ? जैसा मैंने अर्ज किया अध्यक्ष महोदय, आगे चल कर फरवरी के महीने में स्कीम फाइनेलाइज होती है। उसका इतिहास सुन लें। जब फाइनेलाइज होती हैं और जिस अोगस्ट सरकार ने विष्णुदत्तजी और दूसरे लोगों के जरिये खूब जांच पडताल की वह जांच-पडताल करके लिस्ट तैयार की वह लागू हो नहीं हुई। फरवरी के महीने में वह मामला स्टे कर दिया। १।। साल तक वह अटका पडा रहा, एन्टी करप्शन की ओर से जांच हुई और उसके बाद, वह फाइल मौजूद होगी, माननीय मुख्य मंत्रीजी देख लें उसका ओरिजिनल ओर्डर है जिन जिन लोगों को ब्लेक लिस्ट लिखा है लाल स्याही से कोरा गया है। मैं फिर कहता हूं कि आप उस फाइल को देख लें। ८-७ किताबों पर गोलाकार हो गया और वे कट गये। नये सिरे से सिलेक्शन नहीं हुआ। यह तो है सेकिटटी जिस पर सिलेक्शन हुआ। अभी अभी बडे जोर देकर कहा गया कि भाई, ऐसे गोलाकार को हटा कर के, ओटोमेटिकली नं० २ होती तो जिनको नं० २ जोन मिला था ओटोमेटिकली नं० ३ हो गया क्योंकि शुरू ऐसा किया था। वे फिर फाइल को ठीक तरह से देख लें। मैं उनको बताता हूं। मेक्मीलन की थी, उसकी रिजेक्ट हो गई, सरकार ने फिर जोन नहीं दी और नेश्नेलाइज कर दी। एक दूसरे पब्लिशर की एक जोन में सिलेक्टेड थी, बाकी दूसरे जोन के लिए दूसरी किताबें सिलेक्ट की गई थीं। उस दूसरे जोन में पहली वाली किताब को तीसरे जोन में लागू नहीं किया। डिपार्टमेन्ट के एक आदमी को कहा कि तुम लिखो और वह की गई। एक को एक एप्रूव हुई, दूसरे को एक जोन मिला, दूसरे ने कहा कि मुझे तीसरा जोन दे दो। फर्स्ट और सेकिण्ड जोन, जरा गौर से सुनें, सरकार का यह आदेश था, एक जोन नहीं देना है ऐसा निर्णय था। यही एक किताब थी जिसको तीन जोन मिले। जिसकी किताब रिजेक्ट होगई उसको तीनों जोन मिल गई। इस डिपार्टमेन्ट से लिखाई गई और कुछ कुछ पब्लिशर्स को पेनाल्टी देनेकी नौबत आयी। वह नेश्नेलाइजेशन बोर्ड, जिसमें मदनमोहनजी थे, उन्होंने स्तीफा दिया और एजुकेशन सेक्रेटरी का नोट फेवरेबिल नहीं है जैसा कि विष्णुदत्तजी के बारे में जोर देकर कहा था। क्या रिजेक्ट किया ? बीच के लोगों को रिजेक्ट नहीं किया जो चोरी करते हैं, आपने सुन कर कबूल किया, वे फैक्ट्स सामने हैं, सदन को कहते हैं। मेरा यह दावा है, यह चेलेन्ज है, रेकर्ड यहां पर मौजूद है अध्यक्ष महोदय। मुझे दिखाने से अगर कोई हिचकिचाहट हो तो मैं दूर बैठ जाता हूं आप किन्हीं दो सदस्यों को दिखा दें लाल गोले हैं कि नहीं उस पर। और जहां जहां लाल लाल गोले लगे हुए हैं वहां वहां अलग अलग जोन्स दी गई हैं। अगर कोई युनिफार्म पोलिसी मिले, माननीय सदस्यों के कागजात देखने से तो मैं न सिर्फ अपनी गलती ही मंजूर करूंगा बल्कि उनसे और मथुरादासजी माथुर से क्षमा मांग लूंगा। मुख्य मंत्रीजी कहें कि 'दैट वाज नाट करेक्ट' वह सही नही है। ऐसा वे न मान कर चलें कि जानकारी फाइल जिसके कब्जे मे हो उनको ही होती है ? और भी लोगों को होती है और उनके बारे में पूरी खबरदारी बरतना भी अच्छी बात होती है।

तो अध्यक्ष महोदय, मैंने कुछ चुटकले प्रस्तुत किये। मेटीरियल पोइन्ट रखे, देखें कि कितनी गड़बड़ी हुई, हैड रिव्यूवर्स की बात हो गई, टेक्स्ट् बुक्स कमेटी का होगई, कुल कमेटी की।

हो गई, जान देने की बात भी हो गई। लाल गोला की भी हो गई। कोड नम्बर की सीक्रेसी को आउट किया, कोड नम्बर की सीक्रेसी को आउट करने वालों को तोफ़ा दें, पार्टी का चीफ़ व्हीप बना कर बिठा दें। यह डबल स्टेन्डर्ट काम में आ रहा है। एक के लिये एक और दूसरे के लिए दूसरा। इन सारी चीज़ों से मुझे महसूस होता है अध्यक्ष महोदय कि इन कागज़ों में ऐसी कोई चीज़ होगी जो कि मुख्य मन्त्री महोदय सामने नहीं लाते हैं, जांच नहीं करा रहे हैं और दोस्त की वकालत कर रहे हैं, सदन के सदस्य का बचाव कर रहे हैं, बचाव कर रहे हैं मथुरादासजी माथुर का। उनके ऊपर थोपने का नाम नहीं, कमेटी को जांच का काम सौंपा जाय। ऐसे सदन के नेता जो बार बार अपनी घोषणा को बदलें, जांच कराने से बदल जाय, कागज़ों में लिखी बातों से हां करने से बदल जाय, उनके बारे में भी लांछन आयें तो उनके बारे में भी जांच की जानी चाहिये। सदन के नेता भी अपनी ज़िम्मेदारी से बच बच कर निकल रहे हैं यह अच्छी बात नहीं है।

ठीक है, मथुरादासजी का कुछ बिगड़ेगा या नहीं, यह विषय नहीं है। वैसे मेरे वे बहुत बड़े मित्र हैं। मैं कोई इस नियत से नहीं कह रहा हूं कि उनका कुछ बिगाड़ हो। लेकिन इस प्रकार काम करने वाले को निकालें और इस प्रकार के काम को निकालें। इस प्रकार का काम करनेवाला चाहे कोई भी हो, चाहे मथुरादासजी हों, चाहे एच. के. व्यास हो और चाहे वह सुखाडियाजी हों, पर इस प्रकार का काम करने वाले को निकालें। बड़ी मुश्किल से तो पकड़ में आते हैं। एक आध चीज़ जो पकड़ में आई उसका भी यह हाल होगा तो बाकी चीज़ों का तो पता लगाना मुश्किल होगा। आज क्या हालत हो रही है? अन्गुलियां उठाकर लोग जिक्र करते हैं। कोई कुछ करता है तो कोई कुछ कर रहा है। कोई नाबालिग लड़कों के नाम से ज़मीनें एलोट करवाता है तो कोई दूसरा तरीक़ा अपनाता है, लेकिन सब चुप हैं। उनके खिलाफ़ कोई इन्क्वायरी नहीं, कोई बात नहीं। आखिर यह सब बन्द कैसे होगा? हम चाहते हैं कि मथुरादासजी के केस को टेस्ट केस बनाया जाय और दुनिया के सामने जो नतीजा आयगा वह सही और सच्चा नतीजा होगा। अभी आग बुझी नहीं है उस पर राख आगई थी उसके नीचे चिन्गारी बची हुई है। उस पर से कुरेद कुरेद कर अन्दर की आग को निकालेंगे। मुख्य मन्त्रीजी को अगर यकीन है कि मथुरादासजी की कोई बात नहीं थी तो वे तपे हुए सोने की तरह से निकल जायेंगे, तुम्हारा दोस्त तपे हुए सोने की तरह से चमकने लगेगा। यदि आपको यह यक़ीन है तो आप आगे बढ़ें और जैसा कहते हैं वैसा करलें। ऐसे लोगों ने जिन्होंने शिकायत की है उनकी भी ज़िम्मेदारी है। हमने जो बात कही है वह यदि ग़लत निकली तो न केवल सदन से माफ़ी मांगनी पड़ेगी बल्कि उन सदस्य महोदय से भी माफ़ी मांगनी पड़ेगी और सदन हमें कोई सजा देना चाहेगा तो उसके लिये भी तैयार रहना पड़ेगा। जब हम अपनी इस ज़िम्मेदारी को महसूस करके यह बात कह रहे हैं और आपको यदि सेल्फ़ कान्फ़िडेन्स हो तो जांच करालें। यदि वे सच्चे हैं तो तप के निकलेंगे और यदि पोलपट्टी है तो सज़ा मिलनी चाहिये। मुझे और भी ज्यादा शक इसलिये होता है कि सदन के नेता ने जिस तेज़ी से पहले मुझे एसोसियेट करने का प्रयत्न किया और जिस जिस तेज़ी से "I am quite willing to associate you with the enquiry." एसोशियेट किया और कहा कि कोई कागज़ मंगाना होगा तो मैं मंगाने को तैयार हूं। लेकिन कागज़ों

की लिस्ट जब उनके पास पहुंची तब निश्चित तौर से वे काग़ज़ उन्होंने मंगाये होंगे और उनको देखने के बाद उन्होंने अपनी राय पलट दी इसलिये मुझे निश्चित तौर से कन्विक्शन है कि काग़ज़ों में कुछ गोलमाल ज़रूर है। काग़ज़ों का नाम लेने से पहले कह रहे थे कि जो भी काग़ज़ चाहिये वे मंगायेंगे, लेकिन काग़ज़ों का नाम बताने के बाद वे दब गये। इसलिये कुछ शक पैदा होता है। यह शक केवल मुझको ही नहीं है बल्कि दूसरे सदस्यों को भी है; न सिर्फ़ प्रोप्राइटी की दृष्टि से बल्कि गूढ़ दृष्टि से भी।

आपने यह कहा कि मथुरादासजी को इससे क्या फ़ायदा हुआ? यह भी मुद्दे की बात है। बार बार इस बात का ज़िक्र कर रहे हैं, जानबूझ कर ज़िक्र कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि उनको क्या फ़ायदा हुआ। इस के बारे में डोक्युमेन्टरी रेकार्ड मौजूद है ऐसा करने की प्रणाली चालू है और वे उसमें फंस रहे हैं। पहली बार जब इसका ज़िक्र आया तब भी अपने कहा था कि क्या फ़ायदा हुआ इससे उनको? मैं यह पूछना चाहता हूं कि जांच कराते हैं क्या आप? फिर यह मत कहियेगा कि डोक्युमेन्ट लाओ, टेलीफ़ोन नहीं मानेंगे। फिर यह मत कहियेगा कि क़ानून को बीच में लावेंगे। आपकी क्या दशा है, कभी ट्रान्सपोर्ट में हुआ तो कभी और किसी जगह हो गया। सारे लोग जानते हैं लेकिन हम भी मजबूर हैं। कहें तो क्या कहें? बड़ी मुश्किल से तो सड़क पर पड़ा हुआ काग़ज़ मिला, उसके टुकड़े जोड़ कर पेश किया तो उस पर क्या कर लिया। फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ यह बात तो कमेटी सोचेगी। आप जांच तो करवाइये। आपकी स्थिति हमारे सामने है। सदन के नेता ने जान बूझ कर जांच करवाने से यह स्थिति पैदा की है। प्राइमाफ़ेसी केस होने की ख़बर तो उन्होंने ख़ुद ने ही देदी। कोई हां भर कर देता है तो कोई ना कह कर। हमारे ये नेता ऐसे हैं जो ना कहकर ख़बर देते हैं। अपने दोस्त के बारे में इन्क्वायरी करना पसन्द नहीं करते, इसलिये इन्क्वायरी में मुझे एसोसियेट नहीं करके उन्होंने यह साबित कर दिया कि प्राइमाफ़ेसी केस है। दूसरी बात यह है कि ५ फ़र्म्स को ब्लैक लिस्ट किया उसी तरह से मथुरादासजी के ख़िलाफ़ एक्शन लेने के लिये क्यों नहीं तैयार होते, तीसरी बात यह है कि यह पत्र पहुंचा और इसका असर किस प्रकार हुआ उसका पता इस बात से लगेगा कि सारे प्रोसीडिन्ज़ में ऊंचा नीचा मामला कहां हुआ, उसको देखें। इससे भी ज्यादा ज़रूरत हो तो नेशलाईज़ेशन बोर्ड की मीटिंग हुई, पहले २५ तारीख़ को रखी गई फ़िर डिफ़रेन्स ओफ़ ओपिनियन होने के बाद हुई, फिर एम. एम. वर्मा ने स्तीफ़ा दिया, फिर एज्यूकेशन सेक्रेटरी का ट्रान्सफ़र हुआ। यदि सारी चीज़ें चाहते हैं तो जांच करवालें, मगर जांच करवाने के लिये मुख्य मन्त्रीजी को तैयार होना चाहिये। यदि वे जांच करवाने के लिये तैयार नहीं हैं तो सदन को तैयार होना चाहिये। यह प्रश्न पार्टी विशेष का नहीं है लेकिन इस क़िस्म का है कि जिसे टेस्ट केस बनाया जाना चाहिये। कभी कभी ही ऐसा मौक़ा आता है। यदि इसके बारे में लिहाज़ बरतेंगे तो उसका नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा और राजस्थान के लोगों को बुरी लगनेवाली बात होगी और वे कहेंगे कि सदन ने यह बात अच्छी नहीं की। ये मुख्य दलीलें हैं जिनकी बिना पर मैं अपनी राय प्रस्तुत करता हूं और श्री त्यागीजी के प्रस्ताव का समर्थन करता हुआ यह निवेदन करूंगा कि इसकी जांच होनी चाहिये।

अन्त में मैं एक बात और कहना चाहूंगा। वह बात ऐसी है कि जो सारी कान्टोवर्सी से ज्यादा महत्व की है। वह बात क्या है? वह बात यह है कि यदि न्याय का सिद्धान्त है या क़ानून का सिद्धान्त है कि ""Justice must be done that is due, but it must also appear to have been done"

आप न्याय भी करें लेकिन लोगों को यक़ीन होना चाहिये कि आप न्याय कर रहे हैं। मान लें कि आप अपने दिल में १६ आना पाव रत्ती कन्विन्स्ड हैं कि मथुरादासजी ने कोई ग़लती नहीं की। बार २ मुख्य मंत्री जी यह कहते हैं कि जांच करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वे इस बात पर तो ग़ौर करें कि राजस्थान में और सदन में कई लोग ऐसे हैं जिनको इसमें जिन्युआइन डाउट है और पूरा पूरा शक है और कुछ लोगों को यह यक़ीन है कि उन्होंने ग़लती की है और आप कहते हैं कि कोई बात ऐसी नहीं निकली जिसके कारण उनको दोषी ठहराया जा सके। मुमकिन है कि सदन के नेता के शब्दों से प्रभावित होकर कई सदस्य इसके गूढ में नहीं जावें और कहदें कि सदन के नेता की राय बन गई है तो अपन भी उनको फ़ालो करें। लेकिन अच्छा इस बात में नहीं है। अच्छा इस बात में है कि जिन लोगों को शिकायत है उनको भी यक़ीन हो। मुझे तो परेशानी हो रही है जब ३० तारीख़ को पत्र मिला तब जांच होनेवाली थी वह बीच में ही कैसे रुक गई। जैसी भावना मुझमें जागृत होती है वैसी ही राजस्थान के डेड़ करोड़ लोगों में भी जागृत होनी चाहिये।

उनको महसूस करना चाहिये कि कुछ मामलों में सदन में पार्टी का प्रश्न नहीं आता, व्यक्ति विशेष का प्रश्न नहीं आता। चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों न हो चाहे वह चीफ़ मिनिस्टर का कितना ही नज़दीक मित्र क्यों नहो जब किसी को संदेह हो जाता है तो निजी तौर से नहीं बल्कि चार आदमियों से जांच कराने का कहते तो ज्यादा अच्छा होता और यह कहते कि चार आदमी जो अपनी राय देंगे वह ठीक होगी। वे आपके सहयोगी हैं, आपके साथ हर दम बैठते हैं, रहते हैं और आप उनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि वे ऐसे नहीं हो सकते। हो सकता है आपके दिमाग़ में उनके लिये ज्यादा फ़ेवरएबल कन्सीड्रेशन हो और आपको उनका लिहाज़ आता है और उस लिहाज़ से आप कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते तो ऐसी सूरत में मेरे जैसे और दूसरे व्यक्तियों के दिमाग़ में शक तो ज़रूर बना रहता है। आपको उनका लिहाज़ है और आपने उनके साथ लिहाज़ बरता है क्योंकि वे आपकी पार्टी के आदमी हैं। इसलिये में यह कहूंगा कि आप और सदन का यह कर्तव्य है कि आप सब लोगों को तसल्ली दिलाएं कि वास्तव में न्याय हुआ है और जब चार आदमियों द्वारा न्याय होगा तो किसी को आपकी तरफ़ उंगली उठाकर कहने का मौक़ा नहीं आएगा कि आपने लिहाज़ उनके साथ बरता है। यदि वे निर्दोष होंगे तो सदन की बनी हुई कमेटी की जांच से बराबर निर्दोष निकल जावेंगे। आपको तो यह कहना चाहिये कि इसकी जांच होनी चाहिये। मगर इस प्रस्ताव के विरोध में खड़े होकर यह कहना कि इसको पास नहीं करना चाहिये, यह आपके लिये उचित नहीं है। प्रस्ताव का क्या भविष्य होता है, इसके लिये मैं कुछ नहीं कहूंगा। मगर मुझे खेद इस बात का है कि आज सदन के नेता खड़े होकर विरोध करते हैं और महज़ इसलिये कि कुछ लोग शिकायत करते हैं कि वे उनके सहयोगी हैं उसके कारण क्यों उनके खिलाफ़ कार्यवाही की जावे। अगर वे उनके सच्चे सहयोगी हैं तो उनको चाहिये था कि ज़रूर उसकी जांच कराई जावे। मैं उनकी जगह होता तो कहता कि कोई परवाह नहीं, एक नहीं चार कमेटी बिठाई जावे और जांच होवी चाहिये और आपके दिल में कोई किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिये और यह कहना चाहिये कि विरोधीसे विरोधी लोगों की कमेटी बनाई जानी चाहिये ताकि जांचमबिल्कुल साफ़ निर्दोष निकल जावें। आप यह कहते हैं कि मेरे सहयोगो तकलीफ़ से न गुज़रें। अगर स्वस्थ परम्परा कायम करनी है तो उनको तकलीफ़ से गुज़रना होगा। यह केवल तकलीफ़ से गुज़रने की बात नहीं है। जो जो तथ्य कहे गये हैं उन पर निष्पक्ष रूप से विचार किया जावे तो मालूम होगा कि कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर हुई है। क्या

गड़बड़ हुई है, यह कमेटी निर्णय करेगी। इसलिये माननीय अध्यक्ष, जांच करने की बात को इस प्रकार गोटाले में क्यों रखते हैं? अब भी गुन्जाइश है। इसके लिये आप कु० जसवन्तसिंहजी से पूछ सकते हैं। उनको मथुरालालजीने कहा था और श्री पालीवालजी को भी मथुरालालजी ने कहा था। मथुरालालजी चार चिट्ठियां लिखें तो क्या यह सारी बातें इन्क्वायरी से सिद्ध होंगी। इसलिये इस इन्क्वायरी की बात को सब सदन को एक मत से पास करना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं श्री वेदपाल त्यागी नेजो प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं और सदन से निवेदन करूंगा कि एक मत से इसको स्वीकार करें। इतना कह कर मैं अपना स्थानग्रहण करता हूं।

श्री अध्यक्ष:—कितने सदस्य और बोलना चाहते हैं, मैं जरा समय एसर्टेन कर लूं।

(कुछ सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री माधोसिंह भंसवाड़ा:—माननीय अध्यक्ष, मैं बोलना नहीं चाहता। मैं क्लोजर मूव करना करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष:—श्री गोपीलाल यादव।

श्री गोपीलाल यादव:—इस समय मैं बोलना नहीं चाहता। कल पर रखिये।

श्री अध्यक्ष:—कल पर रखें। इस वक्त कोई बोलने के लिये तैयार नहीं है।

एक माननीय सदस्य:—Keep on Monday, Sir.

No Monday. The Members shall have to be present at the time appointed by me. There is no option. We will sit upto one o'clock.

जो सदस्य बोलना चाहें, खड़े हो जावें। (कुछ माननीय सदस्यों के खड़े होने के पश्चात्) जो सदस्य खड़े हुए हैं वे ही बोलेंगे, हर कोई सदस्य कल या शाम को नहीं बोल सकेगा।

श्री वेदपाल त्यागी:—कब तक बैठने का विचार है?

श्री अध्यक्ष:—एक बजे तक

श्री वेदपालत्यागी:—It will be too much strain.

श्री मोहनलाल सुखाडिया:—इस पर काफी चर्चा हो चुकी है। अभी एक बजे तक बैठें और फिर ४ बजे से फिर बैठ कर इसको तय कर लें। इस चीज पर बहस चलने से कोई फ़ायदा नहीं होगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास:—आप कमेटी बिठाने की बात को मन्जूर कर लें, बहस समाप्त हो जाएगी।

श्री वेदपाल त्यागी:—माननीय अध्यक्ष, मुख्य मन्त्रीजी ने जो प्रस्ताव रखा है कि अभी एक बजे तक बैठें और फिर चार बजे का समय रखा जाए; चार बजे इतनी गर्मी होती है कि सदस्य आ नहीं

Page No.87

श्री वेदपाल त्यागी]
सकेंगे। इसका मतलब यह साफ है कि उन लोगों को बोलने की इजाजत नहीं दी जावे। मैं समझता हूं कि इसमें कोई जल्दी नहीं है। कल सेटर्डे है और लोग बैठने को तैयार हैं तो कल सवेरे रखा जावे।

श्री अध्यक्ष—So I take the names; Shri Tikaram Paliwal; Shri Man Singh Mahar; Shri Ghisi Singh and Shri Muktilal Modi—only four names.

श्री जगन्नसिंह--My name be also included, Sir

(कुछ और सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—६ आदमी सुबह बोल रहे हैं। I will fix time limit.

आज कोई बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, कल यह शिकायत नहीं होनी चाहिये कि समय नहीं दिया गया। कल मैं खत्म कर दूंगा।

श्री वेदपाल त्यागी--कल सुबह ७ बजे से १२ बजे तक ५ घंटे मिलेंगे। क्वेश्चन अवर तो है नहीं।

श्री अध्यक्ष--जितने सदस्य बोलना चाहेंगे उनके लिये समय निर्धारित कर दिया जाएगा और जवाब देने का मौका माथुर साहब को दिया जायगा and then I will put it to vote

श्री वेदपाल त्यागी--आखिरी मौका तो मेरा होगा।

श्री अध्यक्ष--He (Shri Mathur) has also a right of reply.

(कुछ विराम के अनन्तर)

लीडर आफ दी हाउस और मेम्बर कन्सर्न्ड को हमेशा जवाब देने का राइट है।

(अनौपचारिक चर्चाओं के पश्चात्)

सदन की कार्यवाही कल ७-३० बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(सदन की कार्यवाही १२ बज कर २२ मिनट पर, दिनांक १६ मई, १९५६ के ७-३० बजे प्रातः तक के लिये स्थगित हुई)।

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक—१८ मई, १९५६.